खण्ड-327, अंक-1
बुधवार, 23 भाद्रपद, शक संवत् 1899
(14 सितम्बर, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 327 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 14 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 355

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह गुप्त, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कालीचरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्रभान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भाश्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री

पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविंद", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबूलाल विद्यार्थी, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृजलाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा,श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीष्म, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री

मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (राय बरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम पति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री

लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारता भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज श्री

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव, विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही तथा गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 14 सितम्बर, 1977

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

आगरा की फर्म टीकमचन्द ब्रदर्श की गोदाम से पकड़ा गया रेपसीड तथा रेपसीड आयल

*1--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक 23 जुलाई, 1977 के आस-पास आगरा जनपद के टीकमचन्द एन्ड फर्म पर छापा मारकर क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक अधिकारी ने करीब 10 लाख रुपए का अवैध रेपसीड जब्त किया और दिनांक 27 जुलाई, 1977 के आस-पास कारण बताओ नोटिस जारी किया ? क्या यह भी सही है कि सरकार ने जब्तशुदा सीड को फर्म के पक्ष में रिलीज करने का आदेश दिया है और दोषी व्यक्तियों का का चालान आवश्यक वस्तु अधिनियम में नही किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य मन्त्री (श्री हरिशचन्द्र)--

जी नहीं। रेपसीड जब्त नहीं किया बल्कि दिनांक 22/23 जुलाई, 1977 को खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा फर्म टीकम चन्द ब्रदर्श के गोदामों में अनधिकृत रूप से रखा रेपसीड/रेपसीड आयल पकड़ा गया। उसे फर्म के पक्ष में रिलीज नहीं किया गया बल्कि उसे सुपुर्दगी में दिया। फर्म को कारण बताओं नोटिस दिनांक 27 जुलाई, 1977 को दिया गया।. उक्त फर्म के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना छत्ता में दर्ज कराई गई है। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

मान्यवर, प्रश्न करने के पहले मैं आपका ध्यान मन्त्री जी के उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने कह दिया--जी नहीं। यह भी कह दिया कि रेपसीड पकड़ा गया और स्वीकृति भी दे दी गयी। दोनों का उत्तर 'हां' हुआ। तो इसको देख लें तब मैं प्रश्न करूं। इन्होंने उत्तर दिया कि रेपसीड पकड़ा गया और जब्त नहीं। जब प्रश्न हुआ तो इन्होंने कहा कि जी नहीं। बाद में कहा सुपुर्दगी में दिया गया, तो इसके लिए क्या हो गा ? सुपुर्दगी में दिया गया या क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष--

इन दोनों में अन्तर है। बाद में, सजा देने के रूप में जब्त करना और है। लेकिन मन्त्री जी का उत्तर है कि यह अनाधिकृत पकड़ा गया इसलिए सुपुर्दगी में दिया गया। जवाब में कोई विरोध नहीं है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह सुपुर्दगी में दिनांक 29 जुलाई, 1977 को आपके द्वारा या सचिव द्वारा दिया गया और इसी ऐक्ट के अन्तर्गत क्या दिनांक 19 जुलाई, 1977 को रिपोर्ट दर्ज हुई ?

श्री हरिशचन्द्र--

मैं 19 जुलाई को आगरा में नहीं गया था। सुपुर्दगी में, 2 अगस्त को आर0 एफ0 सी0 द्वारा दिया गया।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

मान्यवर, रिपोर्ट कब दर्ज हुई इसका उत्तर नहीं दिया?

श्री हरिशचन्द्र--

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 दिनांक 20 अगस्त, 1977 को दर्ज हुई।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि टीकमचन्द एन्ड फर्म और राम शरण एन्ड कं0 इन दोनों के यहां रेपसीड पक ा गया और इम्पोर्टेड आयल भी पकड़ा गया। तो दोनों को पकड़ने के बाद माल की सुपुर्दगी क्या एक दूसरे को दी गयी थी ?

श्री हरिशचन्द्र--

माल की सुपुर्दगी, उसी फर्म के दूसरे जो पार्टनर हैं उन्हीं की सुपुर्दगी में दे दिया गया है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 23 जुलाई को छापा मारा गया और यह कहते हैं कि दिनांक 29 जुलाई, 1977 को एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई। तो यह 8 दिन का गैप क्यों हुआ ?

श्री हरिशचन्द्र--

दिनांक 20 जुलाई, 1977 को एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गयी थी।

श्री अध्यक्ष--

जब 23 को छापा मारा गया, तो 7 दिन बाद क्यों रिपोर्ट हुई यह प्रश्न है।

श्री हरिशचन्द्र--

फर्म के मालिकों ने इस बात की आपत्ति की थी कि रेपसीड आयल आयातित है और यह एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत नहीं आता है। विधिक स्थिति जानने के लिए आर0 एफ0 सी0 से यहां भेजा गया।

श्री अध्यक्ष--

यह दुकानदारों को थोड़े ही तय करना था कि एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट में आता है या नहीं। यह तो एनफोरसिंग अथोरिटीज को तय करना था।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

जिन अधिकारियों ने 23 को माल पकड़ा और जब्त किया, अगर उन्होंने अधिनियम के मुताबिक रिपोर्ट नहीं की तो क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री हरिशचन्द्र--

22/23 दो दिन छापा पड़ा और कई ऐसे मामले थे जिनकी पकड़ वह करते रहे। उसकी सूचना उन्होंने शासन को दी है। 27 जुलाई को कारण बताओं नोटिस उन्हें दिया है।

श्री सुख पाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विलम्ब का कारण यह तो नहीं है कि फर्म के मालिकों से और अधिकारियों से कुछ लेन देन का सौदा पटना था और जब सौदा नहीं पटा तो अधिकारियों ने बाद में मुकदमा दायर किया ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप आक्षेप लगा रहे हैं और सूचना दे रहे हैं।

श्री सोहन वीर सिह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मन्त्री जी का कहना है कि यह जो अनधिकृत पकड़ा गया था, इसको वापस कर दिया गया। मान्यवर, एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट में एक बार किसी को कब्जे में लेने के बाद, वापस करने का अधिकार नहीं रहता है और वापसी के लिए कानून में और हमारे संविधान में एक प्रक्रिया बनी हुई है कि जिलाधीश के सामने दरख्वास्त देनी पड़ेगी और वह निर्णय करेगा जो जुडिशियल होगा कि सुपुर्दगी में दिया जा सकता है या नहीं। जब जांच हो रही हो तो न शासन को अधिकार है . . .

श्री अध्यक्ष--

आप तो तर्क कर रहे हैं, आप प्रश्न पूछिए। आपका प्रश्न केवल इतना होना चाहिए कि सुपुर्दगी पुलिस ने क्यों की, अदालत के सामने क्यों नहीं पेश किया ?

श्री हरिशचन्द्र--

यह सुपुर्दगी विभाग की तरफ से की गयी।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न यह है कि एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट में पुलिस ने छापा मारा। उसनें स्वयं क्यों सुपुर्दगी की, कोर्ट में क्यों नहीं मामला पेश किया ?

श्री हरिशचन्द्र--

हुआ यह कि जब तक विधिक राय प्राप्त नहीं होती और चूंकि बाजार में रेप सीड और रेप सीड आयल का अभाव था माल ठीक से बिक जाय इसलिए सुपुर्दगी में दे दिया गया,इस शर्त पर कि जो भी माल बेचा जायगा उसकी पूरी रिपोर्ट आर0एफ0 सी0 को दिया करेंगे और जब शासन को आवश्यकता होगी तो पूरा धन उनको देना पड़ेगा।

श्री सोहन वीर सिह तोमर--

मेरे प्रश्न का उत्तर अब भी नहीं आया।

श्री अध्यक्ष---

आपने उत्तर दिया कि हम ने लिया। इस सम्बन्ध में उचित होगा कि आप कानूनी सलाह ले लें कि क्या पुलिस का यह कार्य ठीक था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों को लखनऊ बुलाया गया और लखनऊ में गोलमाल किया गया ?

श्री हरिशचन्द्र---

मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है।

कई सदस्य---

मान्यवर, इसमें लम्बा घोटाला है।

श्री अध्यक्ष---

अब अगला प्रश्न लेते हैं क्योंकि इस प्रश्न पर 10 मिनट हो गया।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा---

इसमें लाखों का घोटाला है।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

आप लोग बैठ जाइए। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

आप लोग सदन का समय नष्ट कर रहे हैं, बैठ जाइए।

एक सदस्य---

मान्यवर, आप मन्त्रियों को संरक्षण देते हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जाइए।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। इस पर आधे घन्टे की चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

नियम 49 में इसके लिए लिखकर दें। इस तरह से आक्षेप करना उचित नहीं है। यह सदन का अपमान है, यदि यह कहा जाय कि अध्यक्ष द्वारा मन्त्रियों को समर्थन दिया जाता है। 10 मिनट का समय केवल एक प्रश्न पर लग गया। दूसरे भी प्रश्न हैं। इसीलिए मैंने दूसरे प्रश्न के लिए बुला लिया। इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए।

फैजाबाद जिले के व्यवसाइयों के लाइसेन्स के नवीनीकरण के विरुद्ध बचत-पत्र खरीदने की कथित अनिवार्यता

*2--श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

क्या पूर्ति मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद में ऐसे व्यवसायियों को जिनका लाइसेन्स नवीनीकरण पूर्ति विभाग द्वारा किया जाता है, के लिए नवीनीकरण की शर्त के रूप में, राष्ट्रीय बचत-पत्र खरीदना अनिवार्य किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो अब तक किन कारणों से जिलापूर्ति अधिकारी ने लाइसेन्सों का नवीनीकरण रोक रखा है जबकि लाइसेन्सों की नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 1977 रक्खी गयी है ?

श्री हरिशचन्द्र--

जी नहीं, अनिवार्य नहीं है। जिलापूर्ति अधिकारी फैजाबाद द्वारा थोक तथा फुटकर व्यवसायियों के लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु दिनांक 31 अगस्त, 1977 तक प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों का नवीनीकरण कर दिया गया है।

श्री मित्रसेन--

क्या माननीय खाद्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय बचत-पत्र खरीदन के लिए और लाइसेन्सों के नवीनीकरण के लिए कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

श्री हरिशचन्द्र--

मान्यवर, ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

नियमों में तो नहीं है, लेकिन आपके अधिकारीगण ऐसा करते हैं या नहीं, यह बताइए ?

श्री हरिशचन्द्र--

अधिकारी कौन कहां क्या करता है, यह तो नहीं मालूम लेकिन अल्प बचत योजना के अन्तर्गत उसमें यह जरूर है कि लोगों से अनुरोध किया जाय और उन्हें प्रोत्साहित किया जाय कि धन जमा करें।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन क्या नवीनीकरण के समय अनुरोध किया जाय ?

श्री हरिशचन्द्र--

नए लाइसेन्सों के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं हैं। लेकिन अधिकारीगण अनुरोध करते हैं कि बचत के लिए वे जमा करें।

श्री अध्यक्ष--

अनुरोध का मतलब है कि एक तरह से प्रतिबन्ध लगाना।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी जिलाधिकारियों को ऐसे आदेश देने का कष्ट करेंगे कि जिससे किसी भी प्रकार लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिए इन बचत-पत्रों के रूप में रुपए जमा करने के लिए बाध्य न किया जाय ?

श्री हरिशचन्द्र—

यह प्रश्न सही है कि यह पुराना अध्याय बदला दिया जाना चाहिए और उनको निश्चितरूप से कहा जाएगा कि लाइसेन्स के नवीनीकरण और लाइसेन्स बनाने के लिए लोगों को हैरान न किया जाय।

पोलीटेक्निक के छात्रों का अनशन एवं उनकी मांगें

*3—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित) —

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पोलीटेक्निक छात्र संघ विगत दिनांक 12 अगस्त, 1977 से अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के प्रमख केन्द्रों पर क्रमिक अनशन कर रहे हैं तथा उसके एक प्रमुख नेता जिला जेल, लखनऊ में 18 अगस्त, 1977 से भूख हड़ताल पर भी हैं? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उसे पूरा करने में शासन के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं?

शिक्षा मन्त्री (श्री कालीचरन)—

छात्रों द्वारा प्रसंगगत क्रमिक अनशन व भूख हड़ताल 12 अगस्त, 1977 से हुए अवश्य, परन्तु जिला जेल, लखनऊ में उन्होंने 15 अगस्त, 1977 को उन्हें समाप्त कर दिया। इस जेल में अनशन व भूख हड़ताल का सिलसिला 18 अगस्त, 1977 को पांच छात्रों द्वारा फिर प्रारम्भ किया गया।

21 अगस्त, 1977 तक इन अनशनकारियों की कुल संख्या 25 तक पहुंच गई। अनशन व भूख हड़ताल का यह दौर भी 22 अगस्त, 1977 को समाप्त हो गया।

उनकी मांगों की सूची संलग्न है।

बैक पेपर सम्बन्धी पहली मांग मान ली गई है।

पांचवीं, सातवीं, नवीं तथा चौदहवीं मांगें ऐसी हैं, जिनकी पूर्ति का भरसक प्रयास तो किया ही जाता है तथा भविष्य में भी किया जाता रहेगा।

दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी, आठवीं, दसवीं, तेरहवीं व पन्द्रहवीं मांगें व्यवहारिकता, एकरूपता, मितव्ययिता तथा उपयोगिता की दृष्टि से जनहित में नहीं हैं। इनसे शैक्षिक स्तर में भी गिरावट विशेष आ जाना अवश्यम्भावी है।

ग्यारहवीं मांग के विषय में निवेदन है कि किसी शिकायत के प्राप्त होने पर यथोचित जांच व शिकायत के समुचित निराकरण की व्यवस्था तो होती ही है।

बारहवी मांग का विषय वस्तु शासन के नियन्त्रण क्षेत्र के अधीन नहीं है।

जहां तक सोलहवीं मांग का सम्बन्ध है, यदि संस्थायें अपने आर्थिक साधनों से प्रसंगगत छात्रों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध कर लेती हैं, तो प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश को इनकी परीक्षा ले लेने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके लिए संस्थाओं को निर्देश दे दिए गए हैं।

पार्ट-टाइम के द्वितीय वर्ष के सिविल के छात्र पार्ट-टाइम के द्वितीय वर्ष में एलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल की कक्षाओं में भर्ती किए जा सकते हैं। इस आशय के निदेश भी प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा दे दिए गए हैं।

पार्ट-टाइम के छात्रों को 'रेगुलर' छात्रों के साथ प्रशिक्षित करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि 'रेगुलर' छात्रों के तीन वर्षों का पाठ्यक्रम, 'पार्ट-टाइम' छात्रों द्वारा संध्या के समय अंशकालीन पठन-पाठन से चार वर्षों में पूरा हो पाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम की अवधि का काफी विस्तार हो जाता है। इसके अतिरिक्त दोनों ही पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश (admission) की प्रणाली भी, एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 143 पर।)

गढ़वाल एवं कुमायूं मन्डलों के अध्यापकों की मांगें

*4—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के गढ़वाल एवं कुमायूं मन्डल की समस्त शाखाओं की ओर से प्रकाशित कोई नोटिस (8 अगस्त, 1977 का) जिसमें उन्होंने 5 सितम्बर, 1977 को "विरोध-दिवस" मनाने और उस तिथि के बाद गढ़वाल-कुमायूं के समस्त राजकीय विद्यालयों को अपनी मांगों के अस्वीकार किए जाने पर अनिश्चित कालीन हड़ताल करने के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त हुआ है। क्या यह भी सत्य है कि पिछले दिनों माह जुलाई में इन दोनों मन्डलों के अध्यापकों ने लखनऊ में भूख हड़ताल भी की थी और उनकी मांगों को सरकार ने नहीं माना जिसके फलस्वरूप उन्हें विरोध दिवस मनाने के लिए बाध्य होना पड़ा? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या-क्या हैं और उनको तत्काल हल करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री कालीचरन—

जी हां, प्रसंगत नोटिस शासन को प्राप्त हुई है। परन्तु गत जुलाई में गढ़वाल एवं कुमायूं मन्डलों के अध्यापकों ने लखनऊ में भूख हड़ताल नहीं की। उनकी मांगें संलग्न हैं। मांग संख्या 1(क), 2, 4 तथा 6 पर शासन द्वारा अत्यन्त सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है तथा मांग संख्या 1 (ख) को मानते हुए आवश्यक निदेश जारी किए जा चुके हैं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 144 पर।)

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जैसा उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि उनकी मांगों को सक्रिय रूप से ले रहे हैं, तो क्या सक्रिय से मतलब मन्त्री जी का यह है कि वह उनकी मांगों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर देंगे?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, जिस पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है उसको जल्दी ही पूरा कर दिया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि संलग्न हैं। क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सदन की जानकारी के लिए कि वे मांगे कौन-कौन सी हैं जिनको सरकार मानेगी, जो सरकार के विचाराधीन हैं और जो सरकार अस्वीकार कर रही है?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उत्तर के साथ है। प्रश्नकर्ता को संलग्न सूचना दी गयी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, सदन को भी तो सूचना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

इसे माननीय नौटियाल जी को, जो प्रश्नकर्ता हैं उन्हें दिया जा चुका है।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री की यह जानकारी में है कि राजकीय शिक्षक संघ के लोग विधान सभा के सामने क्रमिक अनशन चला रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर और उन्होंने 24 सितम्बर के बाद प्रदेशव्यापी हड़ताल का कोई नोटिस दिया है ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप नहीं कह सकते कि सम्बन्ध नहीं है। आप तो ओपीनियन दे रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि आपकी जानकारी में है या नहीं ?

श्री कालीचरन—

श्रीमन्, अगर आप कहें तो जो भी प्रश्न पूछा गया . . .

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, ये कौन हैं कहने वाले ?

श्री अध्यक्ष—

24 तारीख से प्रदेश व्यापी हड़ताल करने का नोटिस दिया गया है। अगर आपको सूचना है तो कहिए मुझे इत्तला है, या नहीं है ? आपका यह तो अधिकार नहीं है कि आप कहें कि प्रश्न नहीं उठता। यह तो मैं निर्णय करूंगा।

श्री काली चरन—

इसकी जानकारी कर ली जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान मांग-पत्र में दो मांगों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें एक मांग यह की गयी है कि भविष्य में तदर्थ नियुक्तियां बिल्कुल बन्द कर दी जायं और दूसरी मांग यह है कि गत वर्ष और इस वर्ष जिन शिक्षकों को नौकरी से निकाला गया है उनको तत्काल अपने स्थान पर रख दिया जाय। इन दो मांगों को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर दिया जा चुका है कि विचाराधीन है ।

श्री राजेन्द्र कुमार—

मान्यवर, जिन मांगों की बात कही गयी है, जो विचाराधीन हैं, यह उनसे भिन्न हैं।

श्री कालीचरन—

श्रीमन्, पर्वतीय क्षेत्र के 60 अध्यापक ऐसे हैं, जिन्हें सेवा से हटाया जा चुका है। यह आदेश हो चुका है कि जब तक इन पूरे अध्यापकों को नियुक्तियां न दे दी जायं, तब तक कोई भी तदर्थ नियुक्ति न की जाय।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि प्रदेश के अन्य राजकीय कर्मचारियों से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है। मान्यवर, मुझे इस सम्बन्ध में कहना है कि पर्वतीय अंचल में भी, जो इस प्रकार की भूख-हड़ताल चल रही है, वह प्रदेश की ही तमाम इन सम्मलित मांगों को लेकर चल रही है और आज भी आपके इस भवन के आगे राजकीय कर्मचारी क्रमिक अनशन चला रहे हैं। तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितनी भी उनकी मांगें हैं, उन पर अविलम्ब कब तक अपना निर्णय दे देंगे ?

श्री काली चरन—

शासन विचार कर रहा है। जो सम्भव है उनको स्वीकार कर लिया जायगा और जो सम्भव नहीं हैं, उनको स्वीकार नहीं किया जायगा।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

कुमायूं तथा गढ़वाल के 80 प्रतिशत विद्यालय राजकीय अध्यापकों द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन आज कल जब वे अध्यापक यहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो वहां के लिए माननीय मन्त्री ने क्या व्यवस्था कर रखी है ?

श्री काली चरन—

अध्यापक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इसकी जानकारी कर ली जायगी और शासन जो उचित समझेगा, उसकी व्यवस्था करेगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

आज उत्तर प्रदेश के शिक्षक अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन कर रहे हैं और माननीय मन्त्री सदन में कह रहे हैं कि उनकी मांगों पर विचार किया जायगा, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उनकी जिन मांगों को सरकार पूरा कर सकती है, उसकी घोषणा वह सदन में करेगी और कब तक उनकी मांगो को पूरा करने का निर्णय सरकार ले लेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न उठता नहीं क्योंकि कुमायूं तथा गढ़वाल के बारे में यह प्रश्न पूछा गया है। आप इसकी परिधि बढ़ा रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

बस्ती जिले के झिनकू लाल, इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध गबन की शिकायत

*1—श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या शासन को जानकारी है कि झिन्कू लाल, इन्टर कालेज, कलवारी, बस्ती के प्रधानाचार्य द्वारा हजारों रुपए गबन करने तथा अनेक प्रकार के अनियमित कृत्यों के कारण उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने प्रधानाचार्य को सेवा विमुक्त करके सम्पूर्ण कागजात जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती के सुपुर्द मई, 1977 में कर दिए थे परन्तु अभी तक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भ्रष्ट प्रधानाचार्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्या सरकार मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर कार्यवाही करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री काली चरन—

प्राप्त सूचना अपूर्ण होने के कारण पुन: सूचना मांगी गई है।

श्री बाबू राम वर्मा—

दिनांक 31 अगस्त, 1977 को यह प्रश्न दिया गया था और आज तक इसका उत्तर नहीं आया। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि अधिकारी प्रधानाचार्य को बचाने के लिए षड़यन्त्र रच रहे हैं और कागजात में हेराफेरी कर रहे हैं, जिससे उत्तर आने में विलम्ब हो रहा है?

श्री काली चरन—

इसमें प्रधानाचार्य के निष्कासन का प्रश्न निहित है। विद्यालय ने जो कार्यवाही की है, उस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य का यह कहना है कि प्रबन्धक ने उसे कोई चार्ज शीट नहीं दी है। उनसे हमने कहा है कि जो कार्यवाही उनके विरुद्ध की गयी है, उसके सारे प्रपत्र हमको भेज दिए जायें, लेकिन प्रबन्धक ने नहीं भेजे। उनसे दुबारा डी0 आई0 ओ0 के थ्रू कहा गया है कि जो भी प्रपत्र हैं, वे शासन को भेज दिए जायं जिससे समुचित रूप से यहां पर उत्तर दिया जा सके।

श्री अध्यक्ष—

शिक्षा मन्त्री जी यह ध्यान रखें कि यह प्रश्न दिनांक 2 अगस्त, 1977 को भेजा गया। प्रत्येक प्रश्न पर शासन का व्यय होता है। प्रश्नों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है सूचना प्राप्त करने का और अगर इस असावधानी के साथ डेढ़ महीने तक केवल एक स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी, तो प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं रहता। मैं यह उनसे अनुरोध करूंगा कि प्रश्नों का बार-बार स्थगन करना और डेढ़ महीने तक सूचना न प्राप्त करना, यह सदस्यों के अधिकारों की अत्यन्त उपेक्षा है और अत्यन्त अनुचित है। मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं और माननीय मन्त्री जी अगले महीने में पूरी सूचना प्राप्त करके सदन को इसकी सूचना दें।

श्री काली चरन--

एक निवेदन है कि इस सम्बन्ध में कि यह प्राइवेट मैनेजमेंट है"। इसमें प्रबन्धक से सूचना मंगानी होती है। हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। शासन अगर सूचना मंगाता है और वह सूचना समय से नहीं देते हैं, तो विलम्ब हो जाता है, इसके लिए कोई तरीका हमारे पास नहीं है कि वह तुरन्त ही सूचना भेज दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय शिक्षा मन्त्री जी उसका वेतन आपके द्वारा दिया जाता है और डी0 आई0 ओ0 एस0 के अन्दर स्कूल होते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बात की कोशिश करें कि आपके डी0 आई0 ओ0 एस0 सतर्कता वर्तें और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर समय के अन्दर दें। (व्यवधान) मैंने प्रश्न को स्थगित कर दिया है।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

इस सम्बन्ध में लोग प्रधान मन्त्री से मिले हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। मैंने इसे स्थगित कर दिया है।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (बस्ती) के लिए गृह विज्ञान के प्रवक्ता की मांग

*2--श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बस्ती में कक्षा 11 व 12 में गृह विज्ञान विषय पढ़ाए जाने की स्वीकृति शिक्षा निदेशालय द्वारा किस तिथि को दी गयी थी और क्या यह सही है कि अभी तक किसी प्रवक्ता की नियुक्ति नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरन--

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बस्ती में कक्षा 11 व 12 में गृह विज्ञान पढ़ाये जाने के आदेश शिक्षा निदेशालय द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 1969 को दिए गए थे। प्रवक्ता की नियुक्ति इस लिए नहीं की गई क्योंकि कक्षा 11 व 12 में गृह विज्ञान पढ़ाने हेतु नियमानुसार एल0 टी0 वेतन-क्रम की अध्यापिका अनुमन्य है।

*3--श्री गिरधारी लाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बस्ती में कक्षा 11 व 12 में गृह विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रवक्ता के पद का सृजन किस तिथि को किया गया है और उस पर शिक्षा सत्र 1969-70 से अब तक कब-कब, कौन-कौन प्रवक्ता कार्यरत रही हैं और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरन--

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गिरधारी लाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एल0 टी0 वेतन-मान और प्रवक्तावेतन-मान में फर्क क्या है, जब तक प्रवक्ता वेतन-क्रम में अध्यापक उपलब्ध नहीं होते तब तक एल0 टी0 क्यों नहीं रखते हैं, इसमें क्या असंवैधानिक है ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, माध्यमिक शिक्षा परिषद् मिनिमम अर्हता निर्धारित करती है कि किस विषय को पढ़ाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने गृह विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित स्नातक को उसके अर्ह माना है।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

इस योग्यता के अध्यापक आपको नहीं मिले इसलिए आपने नियुक्ति नहीं की। क्या आपने इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज से जानकारी की कि क्या वे उपलब्ध करा सकते हैं?

श्री काली चरन--

यह मैंने बताया कि जब परिषद् ने मान लिया है कि विभिन्न विषयों के लिए क्या-क्या योग्यता निर्धारित है, तो उस निर्धारित योग्यता के अध्यापक रखे जा रहे हैं, जब तक परिषद् अपने नियमों को बदलती नहीं तब तक जानकारी प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं आता है। (व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या मन्त्री जी नियम में परिवर्तन करने पर विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको इजाजत नहीं दी, आप बैठिए।

पर्वतीय क्षेत्र के हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट कालेजों को दी गई मान्यता एवं मान्यता हेतु निर्धारित मानकों में छूट

*4--श्री शिवा नन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के हाई स्कूलों तथा इन्टरमीडिएट कालेजों को मान्यता दिए जाने के लिए क्या-क्या छूट दी जाती है और क्या ये छूट वर्ष 1975-76 और 1976-77 में दी गई? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों को दी गई?

श्री काली चरन--

जी हां, पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों को हाई स्कूल तथा इन्टर की मान्यता दिए जाने हेतु निर्धारित मानकों से कुछ छूट दी जाती है। वर्ष 1975 तक दी जाने वाली छूट का विवरण संलग्न नत्थी के परिशिष्ट 'क' पर है जिसके अनुसार वर्ष 1975-76 में पर्वतीय क्षेत्र के 20 विद्यालयों को मान्यता दी गई। इन विद्यालयों की सूची संलग्न नत्थी के परिशिष्ट 'ख' पर है। दिसम्बर, 1975 में मान्यता के नवीन मानक निर्धारित किए गए। इनमें पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो छूट दी गयी उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ग' पर है। वर्ष 1976-77 में सामान्य रूप से मान्यतायें नहीं दी गई। विशेष परिस्थितियों में इने गिने विद्यालयों को मान्यता दी गई थी उनमें पर्वतीय क्षेत्र के 3 विद्यालय थे जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट 'घ' पर है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 145-150 पर)

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा कि उन्होंने अपने परिशिष्ट (क) के भाग 1(अ) में कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों को 4 सौ विद्यार्थियों के ऊपर मान्यता दी जाती है। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां ढाई सौ विद्यार्थियों के ऊपर मान्यता दी जाती है, तो क्या उनकी जो सूची, यहां पर है, वह सही है और क्या इसी आधार पर पहले मान्यता दी गयी ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, जो मानक निर्धारित किए गए हैं, जो सूची दी गई है, वह सही है। उनकी जानकारी में कोई दूसरी बात हो, तो उसे माननीय सदस्य दे दें, तो हम उसे देख लेंगे।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी उनके द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कुछ स्कूलों के विषय में आदेश दिए गए हैं और इसी 19 व 20 तारीख को इलाहाबाद में उस पर निर्णय होने वाला है ? यदि हां, तो उसमें विशेष विषयों की क्या-क्या छूट दी है ?

श्री कालीचरन--

विशेष छूट देने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित--वर्ष 1976--77 में सामान्यतः मान्यता नहीं दी गयी थी, तो क्या कारण थे कि आपने सामान्यतः मान्यता नहीं दी ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, उस समय शासन ने अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस पर विचार करना स्थगित कर दिया था।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 व 1976-77 में जो प्रार्थना-पत्र मान्यता के लिए दिए गए थे और जिनको स्थगित कर दिया गया है, नए प्रार्थना-पत्रों पर पुनर्विचार के समय क्या उन पुराने वालों पर भी पुनः विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरन--

पुराने जो केस हैं, उनके सम्बन्ध में शासन ने यह आदेश दिए हैं कि 31 जनवरी, 1977 तक नई कम्पलायंस रिपोर्ट लेकर, उन पर पुनर्विचार कर लिया जाए।

सिंचाई विभाग में नियुक्त किए गए अन्य विभागों से आने वाले जूनियर इन्जीनियरों के वेतन का निर्धारण

*5--श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि इस समय सिंचाई विभाग में कितने ऐसे जूनियर इन्जीनियर हैं जो सिंचाई विभाग में आने से पहले दूसरे विभागों में समान कैडर के पदों पर कार्य कर रहे थे ?

सिंचाई उप मन्त्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)---

सूचना एकत्र की जा रही है।

*6---श्री सोहनवीर सिंह तोमर---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि क्या शासन द्वारा मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को इस बात के आदेश दिए गए थे कि उपरोक्त जूनियर इन्जीनियरों का वेतन निर्धारण फन्डामेन्टल रूल 22, फाईनेन्शियल हैण्ड-बुक भाग 2, खण्ड 2-4 के अनुबन्धों के अन्तर्गत किया जाय ? यदि हां, तो कितने ऐसे जूनियर इन्जीनियर हैं जिनका वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार नहीं किया गया है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर---

यह प्रश्न इससे पहले एक बार स्थगित हो चुका है। इसकी सूचना दिनांक 3 अगस्त, 1977 को दी गई थी, दिनांक 31 अगस्त, 1977 को यह स्थगित किया गया और आज दिनांक 14 सितम्बर, 1977 है। नियमानुसार शासन एक बार ही स्थगन ले सकता है। मालूम पड़ता है कि जानबूझ कर इसको टालने की बात है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ, जिन्होंने इसे टालने की चेष्टा की है, कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

13 सितम्बर, 1977 को मुख्य अभिन्यता से हमने लिखित ले लिया है कि वह एक सप्ताह के अन्दर सूचना दे देंगे ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

इसकी सूचना के लिए किसी जिला कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, सब सूचना यहीं प्रान्तीय कार्यालय में उपलब्ध है, तो भी इतनी देर होने का कारण क्या है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

कुल मिलाकर 6 हजार जूनियर इन्जीनियर हैं, सब प्रदेश के कोने-कोने में हैं और अन्य स्थानों से आए हैं। इसलिए सभी विभागाध्यक्षों को लिखा गया है कि वे इस सम्बन्ध में सूचना दें। सब सूचना प्रदेश कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। फरवरी 1977 में ही प्रदेश कार्यालय से लिख दिया गया है कि वे वेतन निर्धारण करें और दूसरी बातें करें।

श्री अध्यक्ष---

मन्त्री जी, इसका विस्तार के साथ उत्तर कब तक मिल सकेगा ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

एक सप्ताह में मुख्य अभियन्ता ने लिखा है, तब दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष---

अब यह प्रश्न स्थगित किया जाता है।

राजकीय पालीटेक्निक, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*7—श्री रामजी (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायतों के आधार पर शासन द्वारा जांच कराई गई थी और उक्त जांच के आधार पर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा ने 1975 में प्रधानाचार्य को निलम्बित करने के लिए शासन को लिखा था ? यदि हां, तो प्रधानाचार्य को निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री काली चरन—

प्रश्न के प्राप्त होने के समय राजकीय पालीटेक्निक, आजमगढ़ के जो प्रधानाचार्य थे उनके विरुद्ध, जब वह राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे तब उसी संस्था के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थ जिनकी जांच करवाई गई परन्तु जांच के आधार पर प्रधानाचार्य के निलम्बन का कोई प्रस्ताव निदेशक, प्राविधिक शिक्षा से शासन को नहीं प्राप्त हुआ। अत : प्रश्न में उल्लिखित शेष कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मैनपुरी जिले के मुख्यालय पर उप-मार्ग के निर्माण की मांग

*8—श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले के मुख्यालय पर बाई पास निर्माण का प्रश्न शासन के समक्ष लगभग 12 वर्षों से विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में आवश्यकीय कागजात स्वीकृत के लिए एक लम्बे समय से सेक्रेटेरियट में पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

इस उप मार्ग का निर्माण धनाभाव के कारण स्वीकृत करना सम्भव नहीं हो सका है।

*9—श्री वीरेन्द्र पति यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह ध्यान रखते हुए कि बाईपास के निर्माण का प्रश्न बहुत पुराना हो चुका है और उसके न होने के कारण जिले में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, विशेष आदेश देकर बाई-पास का निर्माण प्रारम्भ करा देने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

धनाभाव की वर्तमान स्थिति में इसका निर्माण फिलहाल सम्भव प्रतीत नहीं हो ा।

श्री वीरेन्द्र पति यादव—

क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त मंत्री प्रदेशीय सरकार ने जून, 1974 में आयुक्त को यह लिखा था कि इस बाई-पास का निर्माण अनिवार्य और आवश्यक है ?

श्री मोहम्मद मसूदखां--

इस किस्म की कोई सूचना नहीं है। सूचना की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष--

(श्री रामदत्त जोशी के खड़े होने पर) यह तो स्थानीय प्रश्न है। इसमें जोशी जी क्या पूछेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पति यादव--

क्या मन्त्री जी को पता है कि आयुक्त ने जुलाई, 1976 में लिखा था कि इस बाई-पास को प्राथमिकता दी जाय ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

यह तो नहीं मालूम है। 22 दिसम्बर, 1976 को मन्त्रि-परिषद् की मीटिंग में यह तय हुआ है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, धनाभाव की वजह से।

नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ के प्राधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता तथा ज्येष्ठता

*10--श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

क्या यह सही है कि शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत इन्टरमीडिएट कालेज के प्रिंसिपल पद पाने हेतु अभ्यर्थी का अनिवार्य विषय हिन्दी में इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या वर्तनान प्रिंसिपल नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ उक्त योग्यता रखती हैं ? यदि नहीं, तो उनकी इसपद पर नियुक्ति का आधार क्या है ?

श्री काली चरन--

जी नहीं।

नियुक्ति के लिए अनिवार्य हिन्दी विषय में इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। अत : शेष भाग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

*11--श्री सत्यपाल सिंह यादव--

क्या यह भी सही है कि वर्तमान प्रिंसिपल, नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ को लगभग 15 ज्येष्ठ सहयोगियों को सुपरसीड करके उक्त पद पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरन--

जी नहीं, चूंकि प्रधानाचार्या का पद पदोन्नति से न भरकर सीधी भर्ती से भरा गया, अत : किसी को सुपरसीड किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रिंसिपल होने के लिए हाई स्कूल तक हिन्दी विषय अनिवार्य होना आवश्यक है और वर्तमान प्रिंसिपल की हिन्दी में कितनी क्वालिफिकेशन है ?

श्री काली चरन--

किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए जो अर्हताएं निर्धारित की गयी है, उसमें प्रशिक्षित एम० ए०, एम० एस-सी०, एम० काम अथवा एम० एस० सी०

(कृषि) अथवा एम-एड अथवा बी-एड (एस० सी०) लखनऊ के साथ बी० ए० अथवा बी०एस-सी० अथवा बी-काम है।

श्री सत्य पाल सिंह यादव—

मैंने प्रश्न किया है कि हिन्दी विषय किसी क्लास तक अनिवार्य है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर दे दिया, जो उसकी अर्हता होनी चाहिए। तो यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

जैसा आपने कहा कि प्रधानाचार्य का पद पदोन्नति से न भर कर सीधी भरती से भरा गया है, क्या यह प्रिंसिपल महोदय जो इस समय हैं प्रिंसिपल बनने से पहले इस विश्वविद्यालय की टीचर थीं या नहीं ? अगर थीं, तो वरिष्ठता के अनुसार कौन से नम्बर पर थीं ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, यह उस विद्यालय में अध्यापिका थीं, वरिष्ठता के अनुसार किस नम्बर पर थीं, यह सूचना नहीं है लेकिन स्पष्ट है कि प्रधानाचार्य की नियुक्ति में वरिष्ठता का कोई प्रश्न आता ही नहीं ?

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

मैं जानना चाहता हूं कि जब टीचर थीं, तो उस समय इनके टीचर होने में कौन सा नम्बर वरिष्ठता में था ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे नहीं पैदा होता, सत्यपाल जी।

फैजाबाद जिले के जहांगीरगंज ब्लाक के अन्तर्गत कन्या जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की मांग

*12—श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री (श्री तिवारी जी) ने 23 फरवरी, 1977 को रामनगर फैजाबाद पब्लिक मीटिंग में जहांगीरगंज ब्लाक में लड़कियों का एक जूनियर हाई स्कूल जुलाई, 1977 से खोलने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो अब तक स्कूल न खोलने का क्या कारण है ?

श्री काली चरन—

शिक्षा विभाग की जानकारी में नहीं है।

श्रीमती रामरति देवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि राम-नगर ब्लाक तथा जहांगीराबाद ब्लाक में एक भी हाई स्कूल लड़कियों का नहीं है, जब कि इनमें 5-5 इन्टर कालेज लड़कों के हैं, तो जो लड़कियों की शिक्षा की कमी है उसको देखते हुए हाई स्कूल खोलने की व्यवस्था की जाएगी ?

श्री काली चरन—

इस तरह का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री ने 23 फरवरी, 1977 को कोई घोषणा की थी तो उसकी लिखित आज्ञा विभाग में मिली है, क्या सरकार उसको बताएगी ?

श्री कालीचरन--

यह कहीं से कोई सूचना प्राप्त नहीं हो सकती है कि उस समय के मुख्य मन्त्री जी ने इस तरह की घोषणा की थी ।

[बुधवार, 14 सितम्बर, 1977 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षा में एकरूपता लाने की मांग

*1--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार कर रही है कि प्रदेश के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षा में एकरूपता लाने हेतु एक किस्म की शिक्षा दी जाय और कोई भी प्राइवेट शिक्षा संस्था को अलग से किसी प्रकार चलाने नहीं दिया जाए ?

श्री काली चरन--

जी नहीं ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने घोषित किया है कि शिक्षा में एक रूपता लाई जावेगी, तो क्या सरकार ने फिर उसे अलग-अलग शिक्षा देने का विचार किया है ?

श्री कालीचरन--

प्रश्न में है कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में शिक्षा की एक रूपता लाने के बारे में, जहां तक सरकार द्वारा चलने वाले स्कूल हैं चाहे वह बेसिक परिषद् के विद्यालय हों या कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय हों, सब में एक समान शिक्षा दी जाती है । इसलिए इस पर कोई विचार करने का प्रश्न नहीं है । कान्स्टीट्यूशन की धारा 29 और 30 के अनुसार कुछ अल्प संख्यक समुदाय हैं, जिनको संविधान ने अपने अलग से शिक्षा संस्थाओं को चलाने का अधिकार दिया है, उनसे समरूपता रखने में हम असमर्थ हैं ।

श्री ऊदल--

माननीय मन्त्री जी, बहुत से बेसिक स्कूल चल रहे हैं जो शिक्षा विभाग के निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को न पढ़ा कर अपनी पुस्तकें पढ़ा रहे हैं ?

श्री काली चरन--

जो भी सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, वहां पर आदेश है कि वे वही पाठ्यक्रम पढ़ाएं, जो सरकार द्वारा निर्धारित है । अगर कोई बात है, तो माननीय सदस्य मुझे बता दें, मैं जांच कराऊंगा ।

शिक्षा संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की मांग

*2—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त सभी प्राइवेट संस्थाओं को क्या सरकार अपने कब्जे में लेने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरन—

जी नहीं।

राज्य के सीमित वित्तीय साधनों के कारण।

श्री ऊदल—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब शिक्षा मन्त्री बनने के पूर्व, वह संगठन के सदस्य थे, तो शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की मांग किया करते थे, क्या उन्होंने उस नीति को छोड़ दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है। आप जाकर उनके घर पर जानकारी कर लें।

श्री ऊदल—

मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं। प्राइवेट तरीके से जितने कालेज इस समय चल रहे हैं और उन संस्थाओं की मांग, जो वर्षों से होती रही है, उसको देखते हुए क्या इन संस्थाओं को अपने कब्जे में लेने पर विचार करेंगे ?

श्री कालीचरन—

श्रीमन्, मैंने बता दिया कि इस तरह का जो विश्लेषण हुआ है, उसमें 2 तरह की विचार धारायें आयी है और माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि क्या सरकार इनको ले लेगी। माध्यमिक शिक्षकों की मांग, उसकी सरकार को लेने की नहीं, बल्कि राष्ट्रीयकरण की है।

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग ज्यादती करते हैं, जिनका प्रश्न है, उनको प्राथमिकता मिलेगी।

श्री ऊदल—

जब अध्यापकों की तनख्वाहें, स्कूल में लाइब्रेरी और दूसरे फन्ड तथा चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी इन कालेजों में काम करते हैं, उनके सारे भुगतान और तनख्वाहें और महंगाई सरकार देती है, यदि हां, तो यह धनाभाव का सवाल कहां से आ गया ?

श्री काली चरन—

2 तरह के प्राइवेट स्कूल हैं। कुछ ऐसे हैं, जिनको सरकार अनुदान देती है और कुछ ऐसे हैं जो अनुदान सूची में नहीं आ सके हैं। जिनको हम अनुदान देते हैं, उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उनकी फीस आदि के बाद जो डिफिसिट होता है, उसे पूरा करने के लिए सरकार अनुदान देती है।

श्री राजेन्द्र कुमार--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने बताया है कि वित्तीय कारणों से विद्यालयों को शासन अपने कब्जे में लेने के लिए विचार नहीं कर रहा है तो राष्ट्रीयकरण के मामले में वर्तमान समय में सरकार की नीति क्या है ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, जैसा कि मैंने बताया कि प्रश्न विचाराधीन है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे विद्यालय, जो अंग्रेजी माध्यम से चल रहे हैं, सरकार उनको लेने पर विचार कर रही है ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन विद्यालयों को उनकी प्रबन्ध समितियां सरकार को देने के लिए स्वेच्छा से तैयार हैं, तो क्या शासन उन्हें लेने के लिए तैयार है ?

श्री काली चरन--

जैसा कि मैंने बताया कि वित्तीय साधनों को देखते हुए ही सरकार इस सम्बन्ध में कोई विचार या निर्णय कर सकती है।

सिंचाई विभाग के जूनियर इन्जीनियरों की सहायक अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति से अर्हकारी परीक्षा तथा परीक्षा के माप-दन्ड में शिथिलता सम्बन्धी आदेश

*3--श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जूनियर इन्जीनियरों की सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु की जाने वाली अर्हकारी परीक्षा में परीक्षार्थियों को ग्रुपवाइज छूट देने की नीति अपनाने के पश्चात् कितनी परीक्षायें ली गयीं ? क्या सरकार ऐसे जूनियर इन्जीनियरों की संख्या बतायेगी जो क्रमश : वर्ष 70 से एक या दो ग्रुप उत्तीर्ण किए बैठे हैं तथा इन्हें दुबारा उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर अभी तक कितनी बार मिला ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

जूनियर इन्जीनियर को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु की जाने वाली अर्हकारी परीक्षा में परीक्षार्थियों को ग्रुपवाइज छूट देने के आदेश शासनादेश संख्या 6217-ए/23-आई0ए0-3(एक)/69, दिनांक 25 अक्तूबर, 1969 द्वारा पारित हुए थे। इस शासनादेश में निर्धारित नीति अपनाने के उपरान्त 2 बार वर्ष 1970 व 1972 में परीक्षायें ली गयीं। ऐसे जूनियर इन्जीनियरों की संख्या जो वर्ष 1970 से एक या दो ग्रुप पास किए बैठे हैं क्रमश : 139 व 61 हैं। इन जूनियर इन्जीनियरों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर एक बार वर्ष 1972 में मिला था जिसका परीक्षार्थी जूनियर इन्जीनियरों ने सामूहिक रूप से बहिष्कार कर दिया था।

*4--श्री सोहन वीर सिह तोमर--

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1970 की जूनियर इन्जीनियरों की अर्हकारी परीक्षा के उपरान्त परीक्षाफलों के मापदन्डों को संशोधित अथवा परिवर्द्धित करने के सम्बन्ध में कोई शासनादेश प्रसारित किया गया है? यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

समय-समय पर अवर अभियन्ताओं से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने के उपरान्त परीक्षा पास करने के मापदन्ड को शिथिल करते हुए आदेश प्रसारित किए गए।

श्री सोहन वीर सिह तोमर--

मान्यवर, 4 सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछने का हमें अधिकार है। मन्त्री जी ने दोनों प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे दिया।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिए।

श्री सोहनवीर सिह तोमर--

क्या माननीय सिचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जूनियर इन्जीनियर्स को 1972 में परीक्षा देने का मौका दिया गया और उन्होंने उस परीक्षा का बहिष्कार कर दिया, तो परीक्षा के बहिष्कार करने के क्या कारण थे और उन कारणों को दूर करने के लिए आपने क्या कार्यवाही की?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

सन् 1972 में की गई परीक्षा का जूनियर इन्जीनियर्स द्वारा बहिष्कार किए जाने का एक कारण तो यह था कि प्राविधिक परिषद् द्वारा उनको परीक्षा की सूचना समय पर नही दी गई। चूंकि परीक्षा का समय उन्होंने बदल दिया था। इसलिए कुछ परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिऐ नहीं आ सके। दूसरा कारण यह था कि जो आवेदन-पत्र थे, वे समय से भेजे नहीं गए। अब जो जानकारी प्राप्त हुई है, इसी आधार पर हम विचार करेंगे।

श्री सोहन वीर सिह तोमर--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे सूचना देकर फिर परीक्षा करायेंगे? बहिष्कार करने के क्या कारण थे?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

वर्ष 1972-73 के बाद 1973 में राष्ट्रपति शासन के दरमियान ऐसी परीक्षाओं को लेने का प्राविधान समाप्त कर दिया गया और लोक सेवा आयोग ने भी यह कहा था कि वह निर्णय सही है और विभाग द्वारा जो कोटा निश्चित किया गया है, उसके आधार पर ही पदोन्नति की जाय।

श्री सोहन वीर सिह तोमर--

पदोन्नति का कौन सा मापदन्ड बनाया गया और वह किस आधार पर की जा रही है?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

चरित्र पंजिका और उसके बाद ज्येष्ठता को देखते हुए और कुछ उनकी परीक्षा व्यक्तिगत आधार पर पदोन्नति देने का प्राविधान था, कुछ ने एडमिशन वगैरह ले लिया था और जो लोग डिग्री वगैरह लेते जा रहे हैं, उसके आधार पर कर रहे हैं।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि समय-समय पर अवर अभियन्ताओं से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने के उपरान्त परीक्षा पास करने के मापदंड को शिथिल करते हुए आदेश प्रसारित किए गए। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो इन्जीनियर्स थे, उनको इसका लाभ मिला या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष--

इसको पहले समाप्त होने दीजिए।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि जब माननीय सिंचाई मन्त्री जी प्रश्नों का उत्तर देने खड़े होते हैं, तो बार-बार अपनी बाहें चढ़ाते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिए, सेहरा जी आपको कोई खतरा नहीं है ?

(हंसी)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

माननीय सदस्य पुन : अपने प्रश्न को दुहरा दें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि वर्ष 1970 की जूनियर इन्जीनियरों की अर्हकारी परीक्षा के उपरान्त परीक्षाफलों के मापदन्डों को संशोधित अथवा परिवर्द्धित करने के सम्बन्ध में कोई शासनादेश प्रसारित किया गया है। माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया वह यह है कि समय-समय पर अवर अभियन्ताओं से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने के उपरान्त परीक्षा पास करने के मापदन्ड को शिथिल करने के आदेश प्रसारित किए गए। माननीय मन्त्री जी ने अभी यह भी कहा था कि परीक्षायें लेना ही बन्द कर दिया है। तो ये उत्तर एक दूसरे के विरोध में है। मैं जानना चाहता हूं कि परीक्षा पास करने के मापदन्ड में जो शिथिलता की गई उसका लाभ क्या परीक्षार्थियों को मिला ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दे दिया कि परीक्षायें अब समाप्त कर दी गईं लोक सेवा आयोग की अनुमति से और अब केवल चरित्र पंजिका और वरीयता के आधार पर ही जैसे किसी का अवसर होता है, वैसे उसको ले लिया जाता है। वे जानना चाहते हैं कि क्या

जूनियर इन्जीनियर्स के प्रत्येक वर्ग के लिए स्थान सुरक्षित हैं, जिन पर आप चरित्र पंजिका एवं ज्येष्ठता के आधार पर लेते हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)--

जब हम पदोन्नति करते हैं तो यह होता है कि 25 प्रतिशत में से आधे जूनियर इन्जीनियर्स और आधे, दूसरे। लेकिन इन इन्जीनियर्स की मांगें यह चल रही हैं कि 25 प्रतिशत हमको दिया जाय, वह शासन के विचाराधीन है।

सीतापुर के खेमकरन इन्टर कालेज के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

*5--श्री राजेन्द्र कुमार--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खेमकरन इन्टर कालेज, लहरपुर, जिला सीतापुर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन दिनांक 30 जून, 1977 के आस-पास किसी दिन उन्हें अध्यक्ष श्री खेमकरन इन्टर कालेज, लहरपुर, जिला सीतापुर (श्री ओम प्रकाश शुक्ल) की ओर से मिला ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री काली चरन--

जी हां, दिनांक 24 सितम्बर, 1976 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें मुख्य शिकायतें निम्नलिखित हैं:--

(1) विद्यालय में आर्थिक अनियमितता।

(2) प्रशासन योजना में कमियां हैं।

(3) प्रबन्धक द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है।

शिकायतों के आधार पर विद्यालय का आडिट मन्डलीय आडिट इकाई द्वारा कराया गया तथा प्रशासन योजना में संशोधन हेतु प्रबन्धक से प्रस्ताव मन्डलीय उप शिक्षा निदेशक को अनुमोदनार्थ प्राप्त हुआ है। संस्था में अनियमितताओं के निराकरण हेतु शिक्षा अधिनियम की धारा 16-घ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार--

अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से इस प्रश्न का जो उत्तर है उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, दिनांक 24 सितम्बर, 1976 को आज से एक वर्ष पहले प्रश्नगत आवेदन-पत्र शिक्षा विभाग को मिला। इसके पहले भी, दो वर्ष पहले से आरोप-पत्र विद्यालय के खिलाफ आते रहे हैं, लेकिन उस सम्बन्ध में तत्कालीन शिक्षा मन्त्री जी के निर्णय के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो भी आरोप हैं, प्राग्दर्शन में बिलकुल ठीक हैं। आडिट रिपोर्ट से इतने गम्भीर आरोप सिद्ध हो गए हैं, जिनकी चर्चा इस समय सम्भव नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं, और आपको एक और संकेत करता हूं कि प्रशासनिक योजना उस समय ऐसी स्वीकार कर ली गयी थी, जिसका प्रजातांत्रिक आधार ही नही था, तो अब तक जो साधिकार नियन्त्रक नियुक्त करने की बात थी, उस सम्बन्ध में क्या कठिनाई है और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष---

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार—

कब तक हो जाएगी ?

श्री अध्यक्ष—

इससे पैदा नहीं होता ।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए आवंटित चीनी व सीमेन्ट की मात्रा

*6—श्री श्यामधर मिश्र—

क्या खाद्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय सीमेन्ट और चीनी की कितनी कमी है और उन्होंने भारत सरकार से कितने की मांग की है और उस पर क्या हुआ ?

श्री हरिशचन्द्र—

इस समय भारत सरकार द्वारा प्रदेश को सामान्य जनता में वितरण हेतु 28,433 मै0 टन लेवी चीनी का मासिक कोटा प्राप्त हो रहा है। प्रदेश के मासिक कोटे को 37,000 मैट्रिक टन निर्धारित करने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया है। भारत सरकार ने सूचित किया है कि सभी प्रदेशों के मासिक कोटे का पुनरीक्षण एक समिति द्वारा किया जा रहा है जिसकी संस्तुति प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा। जहां तक सीमेन्ट का सम्बन्ध है, 1977 के जुलाई-सितम्बर त्रैमास के लिए 6,92,280 मैट्रिक टन की मांग भेजी गई थी परन्तु देश में सीमेन्ट का उत्पादन देखते हुए भारत सरकार ने केवल 4,67,500 मैट्रिक टन का आवंटन किया है। शेष मांग का आवंटन प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा चुके हैं जिसके फलस्वरूप केवल 24,500 मैट्रिक टन का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, प्रश्न देखा जाय। मेरा मूल प्रश्न था कि कितनी कमी है, भारत सरकार से कितनी मांग की गयी है और उस पर क्या हुआ ? दो प्रश्नों के उत्तर मिले, जो अन्तिम हैं, लेकिन कितनी कमी है उसका नहीं मिला। प्रश्न यह है कि जितनी मांग हैं, 37 हजार मैट्रिक टन मासिक चीनी और 6.92 हजार त्रैमासिक सीमेन्ट की, तो उसकी ही आवश्यकता है या उससे अधिक, क्योंकि आबादी के अनुसार हमारी आवश्यकता निश्चित रूप में अधिक है, तो मांग इतनी कम क्यों की है ?

श्री हरिशचन्द्र—

चीनी के सम्बन्ध में पहले से एक विचित्र विषमता व्याप्त है । प्रदेश में एक ही जिला भाग्यवान है, नैनीताल जहां जितनी आवश्यता थी उतनी व्यक्ति के हिसाब से चीनी में, ध्यान रखा गया है। वहां हर एक जगह हर एक को प्रतिमास एक किलो चीनी मिलती है, उसके बाद और व्यक्ति का ध्यान किया गया है तो पर्वतीय क्षेत्र में, जहां ग्राम में हर व्यक्ति को 500 ग्राम और शहर में एक किलो मिलती ही है। केवल उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र ऐसे हैं, जहां व्यक्ति की चिन्ता छोड़ कर केवल परिवार का सोचा गया। यह विषमता पहले से विद्यमान

है। 37 हजार मीट्रिक टन की डिमाण्ड जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है, उसी के अनुसार है। जहां तक कमी की बात है, मैंने पहले भी कहा था, सदन में कि मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि विषमता समाप्त हो। इस सम्बन्ध में, एक लाख मैट्रिक टन का आवंटन शहरों तथा गांवों में, सब को कम से कम 1 किलो के हिसाब से किया जाय, तो पूरा हो सकता है। मैं उसी दिशा में प्रयत्नशील हूं कि चीनी का कोटा और प्राप्त हो।

जहां तक सीमेन्ट का सम्बन्ध है, एक्सपर्ट ओपीनियन है कि 8 लाख 18 हजार मैट्रिक टन उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। उस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। जो प्राप्त हुई, वह मैंने निवेदन किया।

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री श्यामधर मिश्र—

तो फिर आधा घंटे का समय दीजिए, यह तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मिश्र जी, अभी तो .... अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

गोरखपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग के हेड क्लर्क तथा चपरासी की विधायकों द्वारा पिटाई

*7—श्री गुलाब सेहरा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में दो विधायकों ने 1 अगस्त, 1977 को सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, पी0 डब्लू0डी0 के हेड क्लर्क को तथा उसके चपरासी को पीटा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया ? यदि हां, तो सरकार इस मामले की पूरी जानकारी ब्योरे सहित सदन को बताने की कृपा करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्राप्त सूचनानुसार कथित घटना की रिपोर्ट थाने में लिखायी गयी और इस घटना की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही है।

परगनाधिकारी, फूलपुर, इलाहाबाद द्वारा श्री चन्द्र गुप्त सीमेन्ट स्टाकिस्ट की दुकान की चेकिंग तथा थाने में लिखाई गई रिपोर्ट में विलम्ब

*8—श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद फूलपुर परगनाधिकारी ने 1 जुलाई, 1977 को 2 बजे के करीब 39 बोरी सीमेन्ट पकड़ा, रात्रि 9.30 बजे दुकानदार का चालान हुआ। दुकान तहसील, थाना से एक फर्लांग के अन्दर है, तो चालान देने में हाकिम परगना ने क्यों इतनी देर की ?

श्री हरिशचन्द्र—

जी नहीं। दिनांक 1 जनवरी, 1977 को अपराह्न 4-00 बजे परगनाधिकारी, फूलपुर, जिला इलाहाबाद ने श्री चन्द्र गुप्त, सीमेन्ट स्टाकिस्ट की दुकान एवं गोदाम की

नोट—तरकत ।।प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

चेकिंग की और स्टाक में 39 बोरी सीमेन्ट अधिक पाया जिसके सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सायं 7.35 बजे थाने में दर्ज करायी गयी। स्टाकिस्ट के सम्बन्धित अभिलेख, स्टाक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, कैश मेमो इत्यादि के निरीक्षण करने, गोदाम में रखे गए सीमेन्ट के भौतिक सत्यापन करने, मौके पर फर्द बनाने और गोदाम को सील मोहर करने में समय लगा। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई विलम्ब नहीं हुआ।

टिहरी डैम योजना का निर्माण

*9—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टेहरी डैम योजना कब से प्रारम्भ की गई और कब तक पूर्ण हो जाएगी एवं इसके पूर्ण होने से विद्युत् की कितनी क्षमता बढ़ जाएगी ?

श्री बलवीर सिंह—

टिहरी डैम योजना के प्रारम्भिक कार्य वर्ष 1970 में आरम्भ किए गए थे परन्तु धनाभाव के कारण बीच में परियोजना का भविष्य अनिश्चित सा हो गया था। अब निर्माण कार्य नियमित रूप से प्रारम्भ किया जा रहा है और दस-ग्यारह वर्ष में कार्य पूर्ण होने की आशा है।

परियोजना के विद्युत् गृह में प्रथम चरण में 600 मेगावाट क्षमता की मशीनें लगाई जायेंगी। बाद में विद्युत् गृह की क्षमता दुगनी या उससे भी अधिक किए जाने का प्रस्ताव है।

बांदा जिले के करबी कस्बे में राजकीय कन्या इन्टर कालेज के भवन निर्माण की मांग

*10—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के करबी कस्बे में बालिकाओं के लिए एक राजकीय इन्टर कालेज के भवन निर्माण का शिलान्यास सन् 1974 के विधान सभा के चुनावों के कुछ ही महीने पहिले तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री बहुगुणा ने किया था? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अग्रिम क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री काली चरन—

जी हां। वर्ष 1977-78 में इस भवन के निर्माण हेतु 50,000 रुपये का प्राविधान है।

रुहेलखंड कैनाल डिवीजन के नवाबगंज जिलेदारी नम्बर 2 को शारदा सागर डिवीजन में सम्मिलित किए जाने की मांग

*11—श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रोहेलखंड कैनाल डिवीजन के नवाब गंज जिलेदारी नं0 2 के कुछ भाग को शारदा सागर के नए डिवीजन में सम्मिलित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह---

इस समय यह प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

*12---श्री राम सजीवन---

[5वें बुधवार के लिए स्थगित।]

बिजनौर जिले का अर्धनिर्मित शेखपुरा पट्टी-ठाठजह सड़क

*13---श्री सत्यपाल सिंह यादव---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बिजनौर में शेखपुरा पट्टी ठाठजह ढाई किलो मीटर सड़क के निर्माण का कार्य जो अधूरा पड़ा है कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

*14---श्री शिवानन्द नौटियाल---

[तीसरे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

हरिपुरा जलाशय निर्माण खन्ड, बरेली के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध सर्तकता अधिष्ठान द्वारा जांच

*15---श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

क्या यह सही है कि हरिपुरा जलाशय निर्माण खंड, बरेली के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध लाखों रुपए के घोटाले से सम्बन्धित शिकायत जो नवम्बर, 1975 में तत्कालीन मुख्य मन्त्री द्वारा जांच के लिए सतर्कता विभाग के सुपुर्द की गई थी तथा सतर्कता अधिकारी ने सम्बन्धित रिकार्ड सील करके प्राथमिक रिपोर्ट में लगभग 1 करोड़ रुपए के घोटाले का सन्देह किया ? यदि हां, तो उक्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह---

जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है। जांच आख्या अभी नहीं प्राप्त हुई है। जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाएगी।

फैजाबाद जिले के नऊरी-रामनगर चहोड़ा सड़क के निर्माण की मांग

*16---श्रीमती रामरति देवी---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के ब्लाक रामनगर के पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु नऊरी से रामनगर होते हुए चहोड़ा ग्राम तक पक्की सड़क का निर्माण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां ---

धनाभाव के कारण इस समय इस मार्ग का निर्माण स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

207

इटावा जिले के तिवारी ज्वाला प्रसाद आर्य कन्या इन्टर कालेज की अवैधानिक प्रबन्ध समिति द्वारा किया गया गबन एवं भ्रष्टाचार

*17—श्री वीरेन्द्र पति यादव—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तिवारी ज्वाला प्रसाद आर्य कन्या इन्टर कालेज, इटावा की प्रबन्ध समिति विद्यालय की प्रशासन योजना की धारा 2(8) के अनुसार निर्वाचित नहीं है, फिर भी विशेष कारणवश शासन ने उस विद्यालय का कार्य-भार सौप रक्खा है ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय की अवैधानिक प्रबन्ध समिति ने छात्राओं की छात्रवृत्ति का लगभग 23 हजार रूपया हाल ही में गबन कर लिया है और सरकारी अनुदान से खरीदी बस केवल 700 रुपए में बेच दी है ?

श्री काली चरन—

इस विद्यालय की प्रबन्ध समिति प्रशासन योजना की धारा 2(8) के अनुसार निर्वाचित नहीं है किन्तु उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार प्रशासक की नियुक्ति रद्द करते हुए कार्यभार प्रबन्ध समिति को सौंप दिया गया है ।

कथित प्रबन्ध समिति द्वारा छात्रवृत्ति का लगभग 16 हजार रुपए का गोलमाल किया जाना पाया गया । शेष धन का अभी विभाग को हिसाब नहीं मिल सका है ।

कालेज बस 700 रुपए में विक्रय की गई । अब प्रबन्धक को शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति हेतु कारण बताओ नोटिस दे दी गई है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी एस 0 डी 0 सिंह जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों के वि रुद्ध की गई कार्यवाही

*18—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार को लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिए नियुक्त एम 0 डी 0 सिंह आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री काली चरन—

जी हां । आयोग की रिपोर्ट दिनांक 26 दिसम्बर, 1974 को सदन के पटल पर रखी जा चुकी है ।

*19—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बताएगी कि उक्त विश्वविद्यालय के जिन शिक्षकों के विरुद्ध आयोग ने गम्भीर आरोप लगाए हैं उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और वे आज भी विश्वविद्यालय में पूर्ववत् कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री काली चरन—

आयोग की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही की गई है परन्तु उन्हें सेवा से अलग नहीं किया गया है । विश्वविद्यालय शिक्षकों को दन्ड देने के मामले में स्वयं सक्षम है ।

निरीक्षक, उर्दू मदरसा की जिला विद्यालय निरीक्षक (बांदा) के पद पर कथित पदोन्नति

*20—श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि निरीक्षक, उर्दू मदरसा को पदोन्नति देकर अभी हाल ही में जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा बनाया गया है? यदि हां, तो उनको उनके मूल पद पर ही पदोन्नति न देने का क्या कारण है?

श्री काली चरन—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई जिले के आई० आर० इन्टर कालेज में अध्यापकों की तदर्थ नियुक्ति

*21—श्री मन्ना लाल (जिला खीरी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई के आई0 आर0 इन्टर कालेज, संडीला में वर्ष 1976 फरवरी में कितने अध्यापकों की एल0 टी0 तथा सी0 टी0 वेतन-मान में तदर्थ नियुक्ति की गई? क्या यह सही है कि शासनादेश संख्या 938/सत्रह-वि0-1-35-ए-77, लखनऊ 21 अप्रैल, 1977 के अन्तर्गत दिए गए आदेशों के विपरीत उन अध्यापकों की सेवायें समाप्त कर दी हैं? यदि हां, तो क्यों? इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या सरकार कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री काली चरन—

एक अध्यापक की एल0 टी0 तथा एक अध्यापक की सी0 टी0 वेतन-क्रम में तदर्थ नियुक्ति दिनांक 15 फरवरी, 1976 से 20 मई, 1976 तक के लिए की गई थी। उक्त नियुक्तियां दिनांक 21 अप्रैल, 1977 की राजाज्ञा की परिधि में नहीं आतीं। अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर के बेडा-देवकली-नबीची मार्ग के निर्माण में गबन सम्बन्धी कथित रिपोर्ट

*22—श्री मन्ना लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर में बेडा-देवकली-नबीची मार्ग के निर्माण में अवर अभियन्ता द्वारा किए गए गबन के सम्बन्ध में दिनांक 17 सितम्बर, 1975 की सूचना पर कोई जांच रिपोर्ट दिनांक 23 दिसम्बर, 1976 को शासन को प्राप्त हुई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री मोहम्मद महमूद खां—

जी नहीं।

प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेन्शन

*23—श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि व्यक्तिगत संस्थाओं में सेवारत अध्यापकों को राजकीय विद्यालयों में सेवा करने वाले अध्यापकों के समान पेन्शन देने की घोषणा शासन ने गत मार्च-अप्रैल, 1977 में की थी? यदि हां, तो शासन ने उसे पूरा करने हेतु अभी तक उसमें क्या कार्यवाही की है?

श्री काली चरन—

जी नहीं। शासन ने 1 मार्च, 1977 को या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त होने वाले उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों मात्र को राजकीय विद्यालयों में सेवा करने वाले अध्यापकों के समान पेन्शन देने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा को क्रियान्वित करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में आवश्यक प्राविधान कर दिया गया है ?

जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता सम्बन्धी शासन की नीति

*24—श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता के सम्बन्ध में शासन को सन् 1977 में अब कितने आवेदन मिले तथा शासन ने इन आवेदनों पर मान्यता सम्बन्धी क्या नीति बनाई ?

श्री काली चरन—

1152 (1-1-1977 से 31-8-1977 तक)

यदि संस्थायें निर्धारित मानक पूरा करती हैं तो अस्थाई मान्यता उदारता-पूर्वक दी जाय।

जिला परिषदों तथा बेसिक शिक्षा परिषदों के अध्यापकों को पेन्शन का मनीआर्डर द्वारा भुगतान सम्बन्धी आदेश

*25—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जिला परिषदों के अध्यापकों, अध्यापिकाओं के पेन्शन जिला परिषद् कार्यालयों में बुला कर दी जाती है, जिसके कारण किराया सवारी के रूप में प्राप्त धन में से एक बड़ा भाग व्यय हो जाता है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मन्त्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि पेन्शन की धनराशि मनीआर्डर द्वारा सीधे उनके पास पहुंचा दी जाय। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरन—

जिला परिषदों तथा वर्तमान बेसिक शिक्षा परिषद् के अवकाश प्राप्त अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को पेन्शन अंशदायी भविष्य निधि बीमा-पेन्शन योजना (लाभत्रयी योजना) की नियमावली के प्राविधानों के अनुसार शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय से प्राप्त करनी होती है और इसे प्राप्त करने में उनको आवागमन पर कुछ व्यय भी वहन करना पड़ता है। इस कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से उक्त नियमावली के नियम 22 एवं 28 (3) में संशोधन कर दिया गया है और मनीआर्डर द्वारा कमीशन पर होने वाले डाक व्यय को पेन्शन की धनराशि से काटकर भुगतान करने का आदेश दिया जा चुका है।

खाद्य विभाग राजपत्रित अधिकारियों की विचाराधीन सेवा नियमावली

*26—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश के खाद्य विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के समस्त कैडरों के रूल्स बन गए हैं ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री हरिशचन्द्र—

खाद्य विभाग के बांट तथा माप एवं हाट शाखा के राजपत्रित अधिकारियों से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (बांट तथा माप) सेवा नियमावली, 1977 तथा उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) सेवा नियमावली, 1977 के आलेख्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को अनुमोदनार्थ भेजे जा चुके हैं। आयोग का अनुमोदन प्रतीक्षित है। उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (आपूर्ति) सेवा नियमावली के आलेख्य को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र ही उसे भी लोक सेवा आयोग को अनुमोदन हेतु भेज दिया जायगा। लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने पर इन नियमावलियों को लागू करना सम्भव होगा।

बहराइच जिले की इकौना -पांडेपुरवा तथा इकौना–सिरसिया सड़क का निर्माण

*27—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि बहराइच जनपद में पाण्डे पुरवा से सेमरी चक पिहानी होते हुए इकौना व इकौना से लक्ष्मनपुर बाजार होते हुए सिरसिया की सड़क सम्पूर्ण दोआबा व पूर्वी तराई के लिए एक मात्र आवागमन एवं विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ? यदि हां, तो इन दोनों सड़कों को पक्की बनवाने के लिए शासन एवं विभाग द्वारा अब तक कौन-कौन कदम उठाए गए ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

यह दोनों ही मार्ग स्थानीय महत्व के हैं। इकौना—पाण्डे पुरवा मार्ग 23.0 किलो मीटर का केवल 5 किलो मीटर भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है जिसे पक्का बनवा दिया गया है।

इकौना—सिरसिया मार्ग 33.00 किलो मीटर का 2.8 किलो मीटर भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग को मार्च, 1977 में जिला परिषद् से प्राप्त हुआ है। वह निर्माणाधीन है।

छितौनी रेलवे पुल के निर्माण की मांग

*28—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छितौनी रेलवे पुल के निर्माण में उत्तर प्रदेश सरकार क्या योगदान दे रही है और उसके क्या उद्देश्य हैं ?

श्री बलवीर सिंह—

मई, 1976 में रेल मन्त्री, भारत सरकार तथा सिचाई मन्त्री, उत्तर प्रदेश के बीच हुई बैठक के निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश सरकार को नदी प्रशिक्षण कार्यों हेतु व्यय का 25 प्रतिशत व्यय इस प्रतिबन्ध के साथ वहन करना होगा कि उनका कुल व्यय 1.5 करोड़ रु0 से अधिक न हो। तदनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मार्च, 1977 में 80 लाख रु0 रेलवे विभाग को दिया गया है।

पुल के गाईड बांध तथा नदी प्रशिक्षण कार्यों के निष्पादित होनें से गंडक नदी नियन्त्रित होगी और निकटवर्ती देवरिया जनपद का क्षेत्र सुरक्षित होगा।

छितौनी पिपरासी बांध के निर्माण की मांग

*29—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले को नारायणी (बड़ी गंडक) नदी की तबाही एवं बरबादी से बचाव हेतु प्रस्तावित मुख्य सुरक्षात्मक छितौनी पिपरासी बांध का निर्माण कार्य किन कारणों से नहीं हो रहा है और अब यह निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा तथा इस पर कुल कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री बलवीर सिंह—

प्रस्तावित छितौनी पिपरासी बांध, जो उत्तर प्रदेश तथा बिहार प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, की योजना के प्राक्कलन पर गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग की स्वीकृति के अभाव में उसका निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने तथा धन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा।

उत्तर प्रदेश सीमा में बांध के निर्माण में 86.5 लाख रु0 के व्यय का अनुमान है।

*30—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[7 सितम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत उत्तरित।]

ललितपुर जिले में वेतवा नदी पर राजघाट बांध के निर्माण की मांग

*31—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जिले में वेतवा नदी पर बन रहे राजघाट बांध जिसकी नींव सन् 1973 में रक्खी गयी थी अब तक उक्त बांध का कितना काम हो चुका है और उस पर कितना-कितना रुपया व्यय किया जा चुका है और उक्त बांध के कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

श्री बलवीर सिंह—

ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर प्रस्तावित राजघाट बांध का निर्माण भारत सरकार द्वारा पारित बेतवा नियन्त्रण परिषद् अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत नियन्त्रण परिषद् द्वारा किया जाना है। यह बांध उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर बनना है। उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारम्भिक कार्य जैसे सर्वेक्षण एवं अनुसंधान आदि किया जा चुका है। राजघाट बांध पर व्यय एवं निर्माण आदि की सूचना राजघाट बांध नियन्त्रण परिषद् से सम्बन्धित है।

बरेली जिले की फरीदपुर-मुता सड़क को पक्का किए जाने की मांग

*32—श्री सिया राम सागर (जिला बरेली)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में सड़क फरीदपुर—मुता रोड जो ऋण प्रोग्राम के अन्तर्गत 1974 में निर्मित हुई और केवल ग्राम मल्लपुर तक बनी है, एक साल पहले से टूटी पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को मुता तक पहुंचाएगी और टूटी हुई सड़क पर पत्थर और कोलतार डलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां।

जी हां।

निरीक्षक, अरबी मदरसों एवं संस्कृत पाठशालाओं के पदों को प्रथम श्रेणी राजपत्रित पद घोषित किए जाने की मांग

*33—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या यह सही है कि ललितपुर जनपद के केवल 20 माध्यमिक विद्यालयों के निरीक्षण के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रथम श्रेणी का पद सृजित किया गया है? क्या यह भी सही है कि निरीक्षक अरबी मदरसा, उत्तर प्रदेश तथा निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं उत्तर प्रदेश को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के विद्यालयों का कार्य देखना पड़ता है? यदि हां, तो निरीक्षक, उर्दू मदरसा तथा निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाओं के पदों को भी प्रथम श्रेणी राजपत्रित पद घोषित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री काली चरन—

जी हां।

जी नहीं। निरीक्षक, अरबी मदरसा केवल अरबी मदरसों का तथा निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं केवल संस्कृत पाठशालाओं का कार्य देखता है।

प्रश्न नहीं उठता।

औचित्य नहीं है।

एस० आर० के० कालेज, फिरोजाबाद, आगरा के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का नया वेतनमान के बकाये का भुगतान

*34—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) की संस्तुतियों के आधार पर गैर-सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों के शिक्षणोत्तर (नान-टीचिंग) कर्मचारियों के वेतन मानों में संशोधन राजाज्ञा संख्या 852/15-74(11)-14(1)/73, दिनांक 23 फरवरी, 1974 द्वारा 1 अगस्त, 1972 से किया गया? यदि हां, तो नए वेतन मानों के लागू करने के फलस्वरूप वर्ष 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 की अवशेष धनराशि का पूर्ण भुगतान एस0 आर0के0 महाविद्यालय, फिरोजाबाद, आगरा के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री काली चरन—

जी हां।

किन्तु एस0आर0के0 कालेज, फिरोजाबाद, आगरा के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) की संस्तुतियों के आधार पर वेतन संशोधन के फलस्वरूप वर्ष 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 की अवधि की देय बकाया धनराशि का अभी आंशिक भुगतान ही किया जा सकता है क्योंकि बकाया धनराशि के विवरण सम्बन्धी प्रपत्रादि मार्च तथा मई, 1977 में ही निदेशालय में प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रपत्रों का परीक्षण कर अपेक्षित धनराशि के भुगतान की स्वीकृति शीघ्र ही प्रदान कर दी जायेगी।

कालपी डिग्री कालेज, कालपी को अनुदान दिए जाने तथा प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग

*35—श्री बाबू राम शुक्ल—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कालपी डिग्री कालेज, कालपी के प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों ने दिनांक 22 जुलाई, 1977 तथा 14 अगस्त, 1977 को कोई ज्ञापन देकर कालेज को अनुदान सूची में सम्मिलित करने की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री काली चरन—

जी हां। इस मांग का परीक्षण किया जा रहा है।

*36—श्री बाबू राम शुक्ल —

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि धनाभाव के कारण उक्त कालेज के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को कितने महीनों से वेतन नहीं मिला है तथा सरकार इन कर्मचारियों को वेतन दिलानं हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

श्री काली चरन—

कालेज से प्राप्त सूचना के आधार पर इस कालेज के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का 6 मास से लेकर 17 मास तक का वेतन बकाया है। बकाया वेतन का तुरन्त भुगतान कराने हेतु कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय को निर्देश दे दिए गए हैं।

उतरौला जिला गोन्डा के राजकीय कन्या सीनियर बेसिक विद्यालय की अध्यापिकाओं के वेतन का भुगतान

*37—श्री दशरथ सिंह (जिला गोण्डा)—

क्या शिक्षा मन्त्री को पता है कि गोण्डा जिले के उतरौला कस्बे में राजकीय कन्या सीनियर बेसिक विद्यालय अक्तूबर, 1976 से चल रहा है और जिसमें अध्यापिकाओं की नियुक्ति 22 मार्च से जुलाई, 1977 तक हुई है लेकिन 11 अगस्त, 1977 तक किसी भी अध्यापिका को वेतन नहीं मिला है जिसके सम्बन्ध में अध्यापिकाओं ने विभिन्न प्रार्थना-पत्र दिनांक 12 मई, 1977 से जून, 1977 तक बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला, मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद तथा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिया है ? यदि हां, तो इस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ? वेतन न देने का कारण क्या है ?

श्री काली चरन—

जी हां।

माह अगस्त, 1977 तक का वेतन संस्था के समस्त अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों को वितरित किया जा चुका है।

बहराइच जिले की भिनगा तहसील में पहाड़ी नालों पर बंधी के निर्माण की योजना

*38—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि बहराइच जनपद के भिनगा तहसील सीमान्तर्गत एक भी राजकीय ट्यूबवेल नहीं है ? यदि हां, तो क्या भू-गत जल को बाहर निकालने तथा पहाड़ी नालों पर पक्की बन्धी बनाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई योजना तैयार की जा रही है ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां ।

जी हां । सर्वेक्षण कराया जा रहा है ।

इलाहाबाद जिले की किशनपुर लिफ्ट सिंचाई योजना के अन्तर्गत ग्राम पश्चिम शरीरा के कुलावे के निर्माण की स्वीकृति

*39--श्री नाथू राम शिक्षक--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पश्चिम शरीरा, तहसील मंझनपुर, जिला इलाहाबाद के निवासियों ने दिनांक 30 जून, 1977 को एक प्रार्थना-पत्र क्षेत्रीय विधायक के द्वारा जिला अधिकारी, इलाहाबाद के माध्यम से किशनपुर लिफ्ट योजना के अधिशासी अभियन्ता को इस आशय का दिया है कि पश्चिम शरीरा के पास मील नं0 14, 15 के बीच का कुलाबा नं0 44 कई वर्षों से बन्द पड़ा है, जिसके कारण उक्त कुलाबा क्षेत्र की हजारों बीघे खेत असिंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां । प्रार्थना-पत्र पर जांच कराई गई थी । धान की सींच हेतु तत्काल सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृषकों की मांग के अनुसार 4 इंच के एक अस्थायी कुलाबे की स्वीकृति दे दी गयी है ।

शक्कर के वितरण प्रणाली में सुधार से सम्बन्धित आदेश

*40--डाक्टर रामनारायण वर्मा (जिला सीतापुर)--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शक्कर वितरण के सम्बन्ध में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को हाल ही में शासन द्वारा कोई नए निर्देश दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री हरिश्चन्द्र--

जी हां । दिनांक 20 अगस्त, 1977 को शासनादेश संख्या 3185/उन्तीस-एफ0-6-10-57-20-77 जारी किया गया है जिसमें वितरण प्रणाली में सुधार, देहाती क्षेत्रों में चीनी का कोटा मासिक आधार पर स्थायी रूप से निश्चित करने तथा एक पूर्व घोषित तिथि पर उसे वितरित कर देने आदि के आदेश जारी किए गए हैं ।

आदेश की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 151-154 पर ।)

खारी नदी पर अकोला पुल तथा उटंगन नदी पर कोलुआ पुल के टोल टैक्स के समाप्ति की मांग

*41--श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या खारी नदी पर अकोला पुल तथा उटंगन नदी पर कोलुआ पुल का निर्माण व्यय टोल टैक्स के रूप में सरकार को प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो इन पुलों पर टोल टैक्स अब समाप्त करने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

जी हां ।

विचाराधीन है ।

फैजाबाद जिले के गोसाईगंज में राजकीय महिला चिकित्सालय भवन का निर्माण

*42---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के गोसाईं-गंज कस्बे में राजकीय महिला चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया है और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कब तक उक्त भवन को स्वास्थ्य विभाग को सौंपे जाने की आशा है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

जी हां ।

नवम्बर, 1977 तक ।

*43---श्री हर प्रताप सिंह---

[5वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*44---श्री श्यामधर मिश्र---

[6ठे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*45---श्री राजेन्द्र कुमार---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सीमेन्ट का जिलेवार आवंटन तथा आवंटन पर लगाया गया नियन्त्रण

*46---श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)---

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में जुलाई, 1977 से 15 अगस्त, 1977 तक सीमेंट का आवंटित कोटा केन्द्र से कितना-कितना प्राप्त हुआ और किन-किन जिलों को कितनी सीमेंट दी गई तथा शहर और देहात में वितरण का आधार क्या निर्धारित किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र---

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए सीमेंट का आवंटन त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। 1977 के तृतीय त्रैमास (जुलाई---सितम्बर) के लिए कुल 4,92,000 मी0 टन सीमेंट का आवंटन प्राप्त हुआ जिसमें से 3,13,000 मी0 टन सीमेंट प्रदेश के विभिन्न जिलों को फ्री सेल में आवंटित किया गया जिसकी सूची संलग्न है। प्रदेश की आवश्यकतानुसार सीमेंट न उपलब्ध होने के फलस्वरूप फ्री सेल कोटे के सीमेंट के वितरण पर राज्य सरकार ने कुछ नियन्त्रण लगा रखा है जिसके अनुसार देहाती क्षेत्र में मरम्मत के लिए ग्राम प्रधान की संस्तुति पर प्रत्येक व्यक्ति को 2 बोरी सीमेंट दिया जायगा। नए भवनों के निर्माण के लिए खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम 25 बोरी सीमेंट प्रति मास दिया जायगा। शहरी क्षेत्र में मरम्मत के लिए राशन कार्ड/गृह-कर की रसीद के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को 2 बोरी सीमेंट दिया जायगा। नए भवनों के निर्माण के लिए 25 से 75

बोरी तक सीमेंट नक्शे के आधार पर प्रति मास दिया जायगा। इससे अधिक सीमेंट की मांग की आपूर्ति जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा परमिट के आधार पर की जायगी।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 155–156 पर।)

*47—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह भी बतायेंगे कि सीमेंट पर लगी पाबन्दी को हटा देने की योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र—

वर्तमान परिस्थिति में सीमेंट के वितरण पर नियन्त्रण समाप्त करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है क्योंकि प्रदेश की मांग के अनुसार सीमेंट का आवंटन नहीं प्राप्त हो रहा है।

*48—श्री बिहारी लाल हंस—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

अतारांकित प्रश्न

सार्वजनिक निर्माण विभाग आगरा रीजन के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कथित छंटनी

1—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि सन् 1975–76 में कितने चतुर्थ और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की छटनी सार्वजनिक निर्माण विभाग, आगरा रीजन में हुई है ? क्या सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर लेने के आदेश दिए हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

उक्त अवधि में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छटनी नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच तथा स्थानान्तरण

2—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, फैजाबाद के विरुद्ध श्री दीप नारायण पाण्डेय, विधायक गोण्डा की शिकायत पर उनको उप नियन्त्रक बांट तथा माप, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पद पर क्यों स्थानान्तरित किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार शिकायतों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र—

उप नियन्त्रक, बांट तथा माप का पद लखनऊ में उसके पदधारक की मीसा में बन्दी के कारण रिक्त था। तत्कालीन क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, फैजाबाद के विरुद्ध कतिपय शिकायतें थीं। अतः प्रशासनिक आधार पर उन्हें उप नियन्त्रक, बांट तथा माप के पद पर लखनऊ में स्थानान्तरित किया गया।

श्री दीप नारायण पाण्डेय की शिकायतों की जांच कराई गई थी और अधिकांश शिकायतों की पुष्टि नहीं हो पाई। केवल दो मामलों में अपने अधीनस्थ कर्मचारी व एक व्यापारी के विरुद्ध नरमी बर्तने से तत्कालीन क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, फैजाबाद दोषी पाए गए थे।

श्री दीप नारायण पाण्डेय के शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि† संलग्न है।

ज्येष्ठ निरीक्षक बांट तथा माप बहराइच के विरुद्ध कथित शिकायत

3—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्येष्ठ बांट तथा माप निरीक्षक, बहराइच के विरुद्ध जनवरी, 1974 से जून, 1977 तक कितनी शिकायतें मिलीं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में ज्येष्ठ निरीक्षक बांट तथा माप, बहराइच के विरुद्ध कोई शिकायत न तो नियन्त्रक बांट तथा माप के कार्यालय में न क्षेत्रीय उप नियन्त्रक कार्यालय, गोरखपुर में, जिसके नियन्त्रणाधीन ज्येष्ठ निरीक्षक बांट तथा माप, बहराइच का कार्यालय है, प्राप्त हुई। अतः सम्बन्धित ज्येष्ठ निरीक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

ड्रेनज खन्ड, बस्ती को स्वीकृत धनराशि के खर्च का विवरण

4—श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती) तथा श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के ड्रेनेज खण्ड में कितना धन 1972–73, 1973–74, 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 में वर्षवार किस-किस तहसील को स्वीकृत हुआ और वर्षवार कितना-कितना धन किस-किस तहसील पर खर्चा हुआ ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलवीर सिंह—

बस्ती जिले के ड्रेनेज खण्ड, बस्ती को निम्न धन वर्षवार स्वीकृत हुआ है। तहसीलवार धन का आवंटन नहीं स्वीकृत है परन्तु तहसीलवार जो खर्च किया गया वह निम्न प्रकार है :—

वर्ष		स्वीकृत धन	खर्च
		रुपए	रुपए
1972–73	..	6,38,000	18,98,470.69
1973–74	..	14,50,000	14,84,455.40
1974–75	..	6,02,000	18,42,810.79
1975–76	..	19,08,400	19,95,506.73
1976–77	..	57,45,000	67,78,225.03

† छापी नहीं गई।

वर्षवार खर्चा तहसीलवार निम्न हैं :—

तहसील का नाम	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76	1976–77
	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
बस्ती	18,657.50	1,05,024.80	1,94,556.82	1,29,602.10	5,39,230.00
बांसी	7,65,481.34	6,22,601.23	6,81,294.80	7,75,706.69	20,14,270.85
नौगढ़	2,23,887.70	4,35,111.29	3,56,165.63	7,85,637.44	32,39,787.65
डुमरियागंज	..	..	..	40,094.00	1,74,292.52
खलीलाबाद	3,77,912.25	1,02,430.50	2,29,311.95	2,39,996.45	4,14,893.56
हरैया	5,12,531.90	2,19,287.58	3,81,481.59	24,470.05	3,95,750.45
योग ..	18,98,470.69	14,84,455.40	18,42,810.79	19,95,506.73	67,78,225.03

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5—श्री हामिद रजा खां—

[6ठे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

फर्रुखाबाद जिले की कायमगंज सराय अगत रोड का निर्माण

6—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कायमगंज–सराय अगत रोड, जनपद फर्रुखाबाद के हेतु निर्धारित धन समय से कार्य न हो सकने के कारण सरेण्डर हो गया है ? यदि हां, तो समय से कार्य न हो पाने के कारण क्या हैं और क्या उसे सरकार शीघ्र ही बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

1973–74, 1974–75 व 1975–76 में सरेण्डर हुआ। 1976–77 में मूल अनुदान से अधिक अनुदान प्राप्त करके कार्य किया गया।

पर्याप्त मात्रा में निर्माण सामग्री इत्यादि के उपलब्ध होने में कठिनाई के कारण पूर्व वर्षों में कार्य की प्रगति मन्द रही। पिछले वर्ष से कार्य की प्रगति में तीव्रता लाने का प्रयास किया गया है।

बहराइच जिले की भिनगा तहसील के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों का विवरण

7—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भिनगा तहसील, बहराइच जनपद सीमान्तर्गत कितने प्राइमरी पाठशाला बालक एवं कन्या हैं और उनके पास पूरे तौर पर बने हुए भवन हैं और कितने अर्द्ध निर्मित तथा बिना भवन के हैं ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री काली चरन—

भिनगा तहसील, बहराइच जनपद सीमान्तर्गत 139 बालक एवं 39 कन्या प्राइमरी पाठशालाएं हैं। इनमें से 71 बालक तथा 19 कन्या प्राइमरी पाठशाला के भवन पूरे तौर पर बने हुए हैं। 12 बालक तथा एक कन्या प्राइमरी पाठशाला का भवन अर्द्ध निर्मित है तथा 56 बालक एवं 19 कन्या प्राइमरी पाठशाला बिना भवन के हैं। अभी 30 भवनहीन विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को सौंपा गया है।

8—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[7वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

9—श्री राम सजीवन—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

10—श्री हामिद रजा खां—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

मैनपुरी जिले के अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरुद्ध शिकायतों की जांच

11—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें 20 जुलाई, 1977 के आस-पास को मैनपुरी के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भयंकर भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है ? यदि हां, तो अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां ।

इन शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

बस्ती जिले की हरैया तहसील के अन्तर्गत टेस्ट वर्क के लिए आवंटित धनराशि

12—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरैया तहसील, जिला बस्ती में टेस्ट वर्क के अन्तर्गत 1972–73 तथा 1973–74 में कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? उसमें से कितना धन खर्चा हुआ और कितना धन रह गया और कितने लेबर चिट्ठों का पेमेंट सहायक अभियन्ता द्वारा स्वयं किया गया और कितने धन की जांच कराकर अवर अभियन्ताओं से पेमेंट कराया गया ?

श्री बलवीर सिंह—

बस्ती जनपद के लिए टेस्ट वर्क के अन्तर्गत वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 में क्रमशः 4.25 लाख तथा 1.20 लाख रु0 आवंटित किया गया । जिसमें से हरैया तहसील के अन्तर्गत टेस्ट वर्क पर उक्त वर्षों में क्रमशः 2,23,689 रु0 तथा 1,52,572 रु0 व्यय किया गया । लेबर चिट्ठों पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्न है :—

	1972–73	1973–74
	रु0	रु0
सहायक अभियन्ता द्वारा स्वयं किया गया भुगतान	10,391.00	10,558.31
सहायक अभियन्ता की जांच के बाद अवर अभियन्ता द्वारा किया गया भुगतान	2,490.00	..
योग ..	12,881.00	10,558.31

ड्रेनेज खंड, बस्ती में कर्मचारियों की नियुक्ति

13—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड, बस्ती में जून, 1976 से जुलाई, 1977 तक चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनमें कितने शासन आदेश के अन्तर्गत नियुक्त किए गए और कितने कर्मचारियों को अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक

अभियन्ता ने सीधे भर्ती किया ? क्या मन्त्री जी बतायेंगी कि चयन समिति तथा सेवा योजन कार्यालय को सूचना न देने का क्या कारण है ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलवीर सिंह—

दो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं । एक की नियुक्ति "उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" के प्राविधानों के अधीन की गई तथा दूसरे की नियुक्ति कार्य प्रभारित कर्मचारियों में से की गयी । इन नियुक्तियों के विषय में पूर्व सूचना सेवायोजन कार्यालय/चयन समिति को देने की आवश्यकता नहीं थी । सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट में सेवायोजन कार्यालय को सूचना भेजी गयी थी।

टिहरी डैम परियोजना की अनुमानित लागत तथा उसकी पूर्ति की अवधि

14—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टिहरी डैम की अनुमानित लागत क्या है, उस पर वर्ष 1975–76 में कितना धन व्यय हुआ है तथा इसके पूर्ण होने का लक्ष्य वर्ष कौन है ?

श्री बलवीर सिंह—

टिहरी डैम परियोजना की लागत 305.16 करोड़ रुपए आंकी गयी है । इस परियोजना पर वर्ष 1975–76 में 90,39,000 रुपए व्यय किए गए । परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से दस-ग्यारह वर्ष के अन्दर डैम का निर्माण कार्य पूर्ण होने का अनुमान है। निर्माण कार्य नियमित रूप से अक्तूबर, 1977 में प्रारम्भ होने की आशा की जाती है ।

मान्यता प्राप्त हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालिजों के प्रधानाचार्यों को नियमित किए जाने की मांग

15—श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह पता है कि प्रदेश के संस्थागत मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों और इण्टरमीडिएट कालेजों में जुलाई, 1975 से तदर्थ रूप से नियुक्त किए गए प्रधानाचार्यों को अब तक नियमित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री काली चरन—

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम तथा इसके अधीन निर्मित विनियमों में मान्यता प्राप्त हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में तदर्थ रूप से नियुक्त किए गए प्रधानाचार्यों को नियमित करने का प्राविधान नहीं है । अतः ऐसे प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां नियमित करने की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोन्डा जिले के उपविद्यालय् निरीक्षक, श्री राम सरोज मिश्र के विरुद्ध अध्यापकों से अनियमित धन की वसूली सम्बन्धी शिकायत

16—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोण्डा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र नवाबगंज, जनपद गोण्डा में अध्यापक, सहायक अध्यापकों का बकाया अवशेष वेतन अप्रैल सन् 1974 से जून, 1976 तक अन्तरिम महंगाई भत्ता माह जुलाई में दिनांक 27 जुलाई, 1977 ई0 को एस0 डी0 आई0 प्रति उप विद्यालय निरीक्षक (श्री राम सरोज मिश्र) ने वितरण किया था? क्या यह सही है कि प्रत्येक पाठशाला से 10 रुपए वसूल किया था? यदि हां, तो क्यों और किस अधिकारी के आदेश से वसूला गया था? क्या यह भी सही है कि जो धन जबरदस्ती से वसूला गया था उसकी शिकायत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से की गयी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री काली चरन—

जी हां।

प्रत्येक पाठशाला से 10 रुपया वसूल किए जाने की शिकायत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच की जा रही है। रुपया वसूल किए जाने का कोई आदेश किसी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया।

17—श्री सिया राम सागर—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित।]

18—श्री कृष्णा राय—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित।]

19—श्रीमती रामरति देवी—

[6ठे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सीतापुर जिले के अवकाश प्राप्त उप-विद्यालय निरीक्षक, श्री शिव नारायन लाल मिश्र को पेन्शन तथा जी० पी० एफ०

20—श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 में सीतापुर जिले से अवकाश ग्रहण करने वाले ऐसे कौन-कौन प्रति उप विद्यालय निरीक्षक हैं जिन्हें अभी तक पेंशन, ग्रेच्युटी तथा जी0पी0एफ0 का धन नहीं प्राप्त हुआ है और उसका कारण क्या है?

श्री काली चरन—

जी हां। केवल एक श्री शिव नारायण लाल मिश्र।

इसका कारण पेंशन तथा अन्य पत्रजातों का पूर्ण न होना है।

हरदोई जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्रधानाध्यापिका के पद हेतु साक्षात्कार एवं उनकी ज्येष्ठता सूची

21—श्री बिहारी लालहंस (जिला हरदोई)—

क्या शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई के बेसिक शिक्षा में कार्यरत जिला परिषदीय कन्या पाठशालाओं में अध्यापिकाओं का कोई साक्षात्कार प्रधानाध्यापिका

पद पर प्रोन्नति के लिए जनवरी, 1976 में हुआ था ? क्या यह सत्य है कि चुनी गई अध्यापिकाओं को अब तक पदोन्नति नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक उन्हें पदोन्नत कर दिया जायगा ?

श्री काली चरन—

जी हां ।

जी हां । साक्षात्कार के पश्चात् कुछ अध्यापिकाओं द्वारा ज्येष्ठता के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी । संशोधित ज्येष्ठता सूची तैयार की की जा रही है और उसके पश्चात् पदोन्नति की जायगी ।

जिला परिषदों के कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधायें तथा उनकी भूख हड़ताल

22—श्री ऊदल—

क्या बेसिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों में कार्य करने वाले शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को वह सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जो सुविधाएं राजकीय कर्मचारियों को दी जा रही हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या समान सुविधा हेतु शिक्षा मन्त्री के यहां लखनऊ में आमरण अनशन उन कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है ?

श्री काली चरन—

जी हां । इन कर्मचारियों की सेवा शर्तें अभी वही हैं जो जिला परिषदों में थीं । इन सेवा शर्तों में सुधार हेतु बेसिक शिक्षा परिषद् प्रयत्नशील है । कुछ कर्मचारियों ने शिक्षा मन्त्री के आवास पर क्रमिक भूख हड़ताल दिनांक 13 जुलाई, 1977 से 24 जुलाई, 1977 तक तथा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दिनांक 25 जुलाई, 1977 से की थी जो 29 जुलाई, 1977 को समाप्त हो गयी ।

वाराणसी जिले में नाद नदी पर सुरही गांव का अर्ध निर्मित पुल

23—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव सुरही, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में नाद नदी में एक पुल अधूरा बना हुआ है ? यदि हां, तो इसे अब तक पूरा न करने का कारण क्या है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां । इस पुल का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया गया है । अतः इसके पूरा किए जाने के सम्बन्ध में सूचना देना सम्भव नहीं है ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरे सभी प्रश्न अतारांकित कर दिए जाते हैं । ऐसा क्यों किया जाता है ? मैंने कल भी अनुरोध किया था कि मेरे प्रश्न अतारांकित कर दिए जाते हैं । तो मैं आपसे चाहूंगा. . .

श्री अध्यक्ष—

औचित्य का यह प्रश्न नहीं है। आप इस सम्बन्ध में मेरे कक्ष में आ कर पूछ लीजिएगा। मैं पत्रावली. . .

श्री सुखपाल पाण्डेय—

आप देख लें, हमारे सभी प्रश्न. . .

श्री अध्यक्ष—

आपका जवाब पत्रावली देख कर दे दूंगा। यहां पर इस प्रकार का औचित्य का कोई प्रश्न न पूछिए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल मेरा एक प्रश्न 19 नम्बर पर था कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्वगामी मंत्रि मण्डल (श्री नारायण दत्त तिवारी मन्त्रि मंडल) के विरुद्ध माह अप्रैल, 1977 में केन्द्रीय गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) को तत्कालीन विरोधी दल के विधायकों द्वारा दिए गए भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप पत्र के विषय पर क्या केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई रपट मांगी है? यदि हां, तो मुख्यतः किन-किन बातों के बारे में जानकारी चाही गयी है? और केन्द्रीय सरकार को क्या रपट भेजी गई है. . .

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(एक अन्य सदस्य के खड़े होने पर)

आप बैठिए। आपको इतना नियमों को समझना चाहिए कि जब मैं खड़ा हूं तो आप को तुरन्त बैठ जाना चाहिए। माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी, कल आपका प्रश्न था। आप का प्रश्न नहीं आ सका। आपको उत्तर मिल चुका है। अनुपूरक प्रश्न करने का अब कोई समय नहीं रह गया है। उसके लिए औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है। आप बैठिए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

[× × ×]

नोट:—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। आप बैठिए। इसमें व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

केवल मैं यह व्यवस्था चाहता था कि मान लीजिए हम कोई सवाल करें, उसका जवाब भी आ जाय, लेकिन सवाल के जवाब में ही अगर लिखा हो कि सूचना मंगाई गई है। तो उस सूरत में वह सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ। कोई लोक महत्व का सवाल अगर हो और उसका जवाब न मिला हो तो हम आपसे मदद चाहते हैं और आपका आदेश चाहते हैं कि हम लोग क्या करें ?

श्री अध्यक्ष—

नियम के अनुसार यदि जो उत्तर आपको प्राप्त हुआ है वह सन्तोषजनक नहीं है तो पुनः आप दूसरा प्रश्न उस सन्दर्भ में दे सकते हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

जैसा कि माननीय सुखपाल पाण्डेय जी ने कहा, अगर प्रश्न का नम्बर 18, 19 या 20 हुआ और उसका उत्तर ही नहीं आ पाएगा . . . .

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें तो मजबूरी है, जितने प्रश्न आते हैं सब में यह हो सकता है।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, इसमें आप आधे घंटे की चर्चा करा दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दीजिएगा, तब उस पर विचार किया जायगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अल्प सूचित तारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न हैं, क्या इसको निश्चित करने का कोई मापदण्ड है ?

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप नियमों के अनुसार कोई प्रश्न उठा सकते हैं।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से सदन की सुविधा के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूं, आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, अल्प सूचित तारांकित प्रश्न यहां अनेक हम रखते हैं और उसे सम्बन्धित मन्त्री जी के पास भेज दिया जाय, जो हमारे नियमों में है और वे तभी आते हैं जब इसे माननीय मन्त्री जी स्वीकार करें। हम लोगों को दो महीने का अनुभव यह हो रहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम धर मिश्र]

है कि स्वीकृत प्रश्न बहुत कम आ रहे हैं, तो मान्यवर, नियमों में कुछ संशोधन किया जाय या कुछ विचार करें जिससे विषय अधिक से अधिक आ जायं। यहां शासन के पास जिन विभागों के सम्बन्ध में मालूमात लखनऊ में उपलब्ध है, तो कोई कारण नहीं है कि शासन उसके सम्बन्ध में समय मांगे और इनकार करे। मान्यवर, हम लोगों को लिखित उत्तर न मिलने के कारण बड़ी असुविधा हो रही है। आज ही 3—4 प्रश्न आए, उत्तर पढ़ा गया, कुछ क, ख, ग करके पढ़ा गया। अब इस क, ख, ग को केवल प्रश्नकर्ता ही समझ सकता है, अन्य लोग नहीं समझ सकते हैं। मान्यवर, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप कोई व्यवस्था करें कि हम लोगों को ये सब चीजें मिलें, तभी हम लोग कामयाबी पा सकते हैं। तो हमें मान्यवर, सब प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, अभी हमारे मित्र श्यामधर जी ने जो प्रश्न उठाया है, यह बहुत आवश्यक है। जिन चीजों का, जिन प्रश्नों का जवाब यहीं मन्त्री जी के सचिवालय में मौजूद है, उन प्रश्नों को भी जो माननीय मन्त्री जी हैं अल्प सूचित नहीं मानते हैं, उस सम्बन्ध में मैं आपसे स्पष्ट यह व्यवस्था चाहता हूं कि आप आदेश दें माननीय मन्त्री जी को कि जिसकी सूचना यहां पर उपलब्ध हो उसको अल्प सूचित तारांकित मान कर उसका जवाब दिया करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 49 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि—"अध्यक्ष किसी ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर जो सदन में हाल में प्रश्नोत्तर का विषय रहा हो, चर्चा करने के लिए आधे घंटे का समय नियत कर सकेंगे।" मान्यवर, जो हम आपके कार्यालय में प्रश्न देते हैं, वह प्रश्न किस कोटि का है, इसका निर्णय आपके द्वारा होता है। यह आपके विवेक की बात है कि वह अल्प सूचित में जायगा या तारांकित में। यही शिकायत माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी को है। मान्यवर, जिस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए प्रदेश का जन-मानस उत्सुक है नियमों में हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं कि हम उसकी कैसे चर्चा कर सकें, पूरक प्रश्न पूछ सकें। मान्यवर, आप अपने स्वविवेक से निर्देश दें। कभी-कभी आप स्थगित भी कर देते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण होते हैं, अधिक महत्वपूर्ण हैं लेकिन विचाराधीन नहीं हो सकते तो उसके लिए नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में जो शतरुद्ध प्रकाश जी ने सवाल दिया है वह बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक चार्ज-शीट दी गई थी, उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने रिपोर्ट भी मांगी। इस सम्बन्ध में हम चर्चा करना चाहते हैं। नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, यह नियम आपके अधीन हैं आप इनको निलम्बित भी कर सकते है और इस सम्बन्ध में अन्यथा व्यवस्था भी कर सकते हैं। आप सक्षम हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो नियम 49 के परव्यू में नहीं आता और हम आपके माध्यम से सदन और मंत्रि-मन्डल का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो कैसे आकर्षित करें?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, हम लोग कोई सवाल अल्पसूचित समझ कर करें। आपके दफ्तर से भी वह अल्पसूचित के रूप में सरकार के पास भेजा जाता है, लेकिन सरकार को जिस निश्चित अवधि में उसका उत्तर देना चाहिए उस निश्चित अवधि के अन्दर उसका जवाब नहीं देती है। इस तरह से वह अल्पसूचित प्रश्न तारांकित प्रश्न में अपने आप परिवर्तित हो जाता है और आपके क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाता है। उसका महत्व अपने आप समाप्त हो जाता है और जो एक घंटे का समय यहां सप्लीमेन्टरी करने के लिए होता है उसकी सीमा से बाहर हो जाता है जैसे मेरा सवाल हो गया। हो सकता है कि नियम, कानून के बाहर मैं बात कर रहा होऊं। लेकिन मैंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया था। उस पर बहस नहीं हो सकी। आप नियमों के जानकार हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब लोगों को अनुमति दें कि किस नियम के तहत मैं उसे उठाऊं। मैंने जो कल माननीय नारायण दत्त तिवारी की सरकार के खिलाफ सवाल उठाया था उसके लिए कौन से नियम, प्राविधान के तहत आप गुंजाइश रखेंगे कि यहां सदन के अन्दर उस पर बहस हो सके, यह मैं नहीं जानता। आप तय करेंगे। अगर मैं नियम 49 के अन्दर देता हूं और सचिवालय कहे कि यह नियम 49 की परिधि में नहीं आता है। तो मान्यवर, आप इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आज के प्रश्न 39 के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। जिसमें मैंने निश्चित मांग किया है कि सिंचाई करने के लिए जो कुलावा है। वह बहुत दिनों से बन्द है। इसके लिए शिकायत की गयी। सरकार की तरफ से जो उत्तर मिला है ....

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षक जी, जिस पर अभी चर्चा चल रही है वह विषय समाप्त नहीं हुआ है। आप अपना स्थान ग्रहण करें। अभी मैंने इस पर निर्णय नहीं दिया है, आप बैठिए।

श्री नाथू राम शिक्षक—

मान्यवर, मैंने इस कुलावे की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

श्री अध्यक्ष—

आप स्थान ग्रहण करें।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था उसको निरस्त किया गया था, उसका उत्तर नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

शारदा प्रसाद जी आप अपना स्थान ग्रहण करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

मान्यवर, इसकी आप जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं शारदा प्रसाद जी, यह आचरण सदन का अपमान है। जब मैं खड़ा हुआ हूं और आप बोलने का प्रयास करें यह अत्यन्त अनुचित है। नियमों के विरुद्ध है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप इस प्रकार का आचरण भविष्य में नहीं करेंगे और नियमावली के अनुसार आप अपना आचरण करें।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

मान्यवर, इसकी जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

***श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वल)—**

मान्यवर, मेरा निवेदन यह था कि प्रश्नों के सम्बन्ध में आप हर दल के नेताओं को अपने कक्ष में बुला लें ताकि इस सम्बन्ध में तय हो सके। हम लोग भेजते हैं तारांकित के रूप में, लेकिन वह अतारांकित हो जाता है। अब हमारी समझ में नहीं आता कि तारांकित और अतारांकित में भेद का कोई मापदन्ड है। यह हो सकता है कि माननीय सदस्य एक दो के अलावा पूछ सकते हैं लेकिन यदि एक प्रश्न है और वह भी अतारांकित हो गया जो कि लोक महत्व का प्रश्न है तो इसकी आम शिकायत है। इसलिए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के बारे में कोई निश्चित मापदन्ड मान्यवर, होना चाहिए जिससे माननीय सदस्यों का जो अधिकार है उसका हनन न हो। जब आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न स्वीकार कर लेते हैं तो उसकी अवधि निश्चित तय कर लें कि उसके अन्दर उत्तर आ जाय। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो जो अल्पसूचित प्रश्नों का महत्व है वह जाता रहता है।

श्री अध्यक्ष—

जो चीजें कह दी गयी हैं कृपया उनको फिर से न दोहरायें।

***श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—**

मान्यवर, माननीय सदस्य, शतरूद्ध प्रकाश जी ने जो प्रश्न किया था मैं समझता हूं कि नियमावली के नियम 49 के अन्तर्गत आप उसको स्वीकार कर सकते हैं और चर्चा का विषय बना सकते हैं। उसमें जब प्रश्न का उत्तर आ ही गया है, भले ही पूरक प्रश्न करने का अवसर नहीं मिला, तो और भी नियम 49 का औचित्य हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि नियम 49 के अन्तर्गत उसको आ जाना चाहिए चूंकि उसका उत्तर आया है और प्रश्नोत्तर का समय आज हो रहा है। श्री राजेन्द्र कुमार जी ने जो कहा कि नियम 49 के अन्तर्गत नहीं आता तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। यहां वह नियम 49 में कह सकते हैं चूंकि सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैनेजर सिंह जी, इस प्रकार से सदन की कार्यवाही चलाना नामुमकिन हो जाएगा। जो शतरुद्ध प्रकाश जी ने कहा उस पर बहस की क्या जरूरत है? आपने अपना पक्ष रख दिया। यदि इस पर बहस होगी तो न बजट लिया जा सकेगा और न दूसरा काम होगा। नियमानुसार एक प्रश्न की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है।

पर्वतीय विकास उप मन्त्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

मान्यवर, उस प्रश्न के उत्तर में नियम 45 और 46 में आपको अधिकार है कि श्री शतरुद्ध प्रकाश के प्रश्न को आप उसका वर्ग बदलकर उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों ने अल्पसूचित प्रश्न के सन्दर्भ में बहुत ही अपना क्षोभ व्यक्त किया है। अल्पसूचित प्रश्न बहुत महत्व के होते हैं और जिनको आवश्यक समझा जाता है उनको स्वीकार भी किया जाता है। लेकिन नियमावली के नियम 29 के उप नियम (3) में लिखा है—यदि मन्त्री अल्प सूचना पर उत्तर देने के लिए सहमत हों, तो यह तत्काल या तदुपरान्त इतने शीघ्र कार्य सूची में रख दिया जायगा जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें। यदि मन्त्री उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो वह तारांकित प्रश्न में परिवर्तित हो जाता है। यह ठीक है। उप नियम (4) में यदि अल्पसूचित प्रश्न है और वह अत्यन्त महत्व का है तो उसको तारांकित प्रश्नों की जो सूची है उसमें प्राथमिकता देने का अधिकार अध्यक्ष को है। लिहाजा आप देखेंगे कि प्रश्नों में नत्थी (क) है उसमें प्राथमिकता के प्रश्न रखे गए हैं। इस तरह प्रश्नों को रखा जाएगा। लेकिन मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो अल्प सूचित प्रश्न हों और जिनका उत्तर बड़ी आसानी से दिया जा सकता है और दूसरे सूचना सचिवालय के अन्दर उपलब्ध है या मुख्यालय पर उपलब्ध है तो उसका उत्तर अवश्य दे देना चाहिए। सरकार के माननीय सदस्य इसको देख लें। सदन के सदस्यों की यह भावना है कि अल्प सूचित प्रश्नों को अधिक महत्व दिया जाय और इनका यथासम्भव उत्तर दिया जाय। एक बात मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं। आज की कार्यसूची आप देखगे, करीब-करीब 20 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। लेकिन फिर इससे अधिक प्रश्न रह गए। 56 प्रश्न थे। जो माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं पहला अधिकार उनका है। अगर प्रत्येक सदस्य इस बात का आग्रह करे कि उनको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाय तो एक घंटे में एक ही प्रश्न हो सकता है। मैं आपकी इसमें मदद चाहता हूं। यदि माननीय सदस्यों की यह राय है तो मेरे कक्ष में आकर बात कर लें कि एक ही प्रश्न पर सारा घंटा समाप्त कर दिया जाय। एक माननीय सदस्य एक अनुपूरक प्रश्न करते हैं और फिर खड़े होकर कहते हैं यह एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो प्रश्नकर्ता है उसको प्राथमिकता दी जा सकती है। जो उस क्षेत्र के स्थानीय सदस्य हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह ठीक है कि प्रत्येक सदस्य की योग्यता है और वे जानकारी रखते हैं कि तमाम सूबे के प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न कर सकें। लेकिन मेरी कठिनाई है और सभी को अनुमति देना मुश्किल होगा। प्रश्नों के लिए एक घंटे का समय है। यदि उस समय तर्क वितर्क चलने लगे, औचित्य का प्रश्न उपस्थित होने लगे, बहस होने लगे कि मन्त्री जी का उत्तर ठीक नहीं है तो उसके लिए अलग अवसर है, नियम 49 में। आप लिखित दे सकते

[श्री अध्यक्ष]

हैं उसका कारण देते हुए और अगर वह नियमति होगा तो उसका अवसर मैं दूंगा। यहां पर इस तरह की बहस करना कि मन्त्री जी का उत्तर असन्तोषजनक है, नियमों के विरुद्ध है।

श्री श्यामधर मिश्र—

लिखित उत्तर नहीं मिलते।

श्री अध्यक्ष—

संसद में भी व्यवस्था नहीं है कि प्रत्येक सदस्य को लिखित उत्तर दिया जाय लेकिन इसकी व्यवस्था की जा रही है कि साइक्लोस्टाइल करके दोनों लाबियों या जहां उचित होगा कि कापी रख दी जायं। जो सदस्य दिलचस्पी रखते हैं वह कापी प्राप्त कर लें। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की कापी प्रत्येक सदस्य को भेजना सम्भव नहीं है। माननीय श्यामधर जी आप जानते हैं कि लोक सभा में भी इसकी व्यवस्था नहीं है। राज्य सभा में विपुल साधन उपलब्ध हैं, लेकिन वहां भी यह व्यवस्था नहीं है। साइक्लोस्टाइल कापी कराकर कक्ष में कितनी रख सकते हैं उसकी व्यवस्था करेंगे। सदस्य आकर उनका अवलोकन कर सकते हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

नियम 49 में लिखा है कि अध्यक्ष किसी ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर जो सदन में हाल में प्रश्नोत्तर का विषय रहा हो, चर्चा करने के लिए आधे घंटे का समय नियत कर सकेंगे। मैंने परसों एक सवाल किया था जिस पर बहस नहीं हो सकी। श्यामधर जी अधिष्ठाता थे ....

श्री अध्यक्ष—

अब यह प्रश्न समाप्त हो चुका। आप बैठें।

श्री शतरूद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अगर एक व्यवस्था के बाद दूसरी और फिर तीसरी होती रहेगी तो कैसे सदन चलेगा? व्यवस्था उठाने के भी नियम हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं जानना चाहता हूं कि जो एक घंटे के अन्दर अनुपूरक प्रश्न नहीं कर पाए तो आपके दफ्तर से बताया गया कि ....

श्री अध्यक्ष—

आप स्थान ग्रहण करें। आप सदन का समय ले रहे हैं। आप मेरे कक्ष में आकर बात कर सकते हैं।

श्री राजेश चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता, नैनीताल के विरुद्ध अनियमितता तथा भ्रष्टाचार की शिकायत के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मैं इस सदन के माध्यम से जनता सरकार को सूचित करना अपना कर्तव्य समझता हूं कि विगत 18 नवम्बर, 1975 को तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री बहुगुणा द्वारा श्री राजेशचन्द्र, अधिशासी अभियन्ता, हरिपुरा जलाशय निर्माण खण्ड, गूलरभोज, जिला नैनीताल के विरुद्ध पेश की गई एक लिखित शिकायत पर जिसमें भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप प्रादर्शन में ही सिद्ध थे, उसे जांच करने के लिए 'विजिलेंस' के सुपुर्द कर दिया गया था। सतर्कता अधिकारी ने उपरोक्त जलाशय निर्माण खण्ड के कार्यालय में जाकर आरोप से सम्बन्धित कुछ रिकार्ड्स सील किए। मुख्य आरोपों में, फर्जी ठेकेदारों के नाम से कल्पित कार्यों के टेंडर लेकर जनरैल सिंह कम्पनी नामक फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा टेन्डरों, एग्रीमेन्टों, वर्क आर्डर्स, भुगतान के बिलों तथा चैकों पर भी जाली एन्डोर्समेन्ट बनाकर लाखों रुपए का भुगतान बैंकों से लिया जाना शामिल है। जलाशय निर्माण के लिए करोड़ों टन पत्थर का ढुलान 90 कि0 मी0 की दूरी पर चोरगलिया नामक स्थान से किया जाना दर्शाया गया है, जबकि वास्तव में वह पत्थर केवल 25 कि0 मी0 की दूरी पर गौला नदी, हल्द्वानी से लाया गया था। इसका प्रमाण उपरोक्त ठेकेदारों द्वारा बन विभाग हल्द्वानी को दी गई रायल्टी की रसीद है। जिन मोटर वाहनों के लिए फारेस्ट रोड से गुजरने की परमीशन उपरोक्त ठेकेदारों को वन विभाग द्वारा दी गई थी, वह ट्रक सम्बन्धित अवधि में चोरगलिया गए ही नहीं, इसका प्रमाण फारेस्ट चेक चौकी चोरगलिया के रिकार्डस् में उन ट्रकों के आवागमन का कोई इन्दराज न होना है। इस प्रकार केवल पत्थर के ढुलान की दूरी चारगुनी दिखा कर करीब 60 हजार रुपया अतिरिक्त कमाया गया। साथ ही लाखों टन रेता, बजरी और मिट्टी के ढुलानों की दूरी बड़ी हुई दर्शाकर और उसका फर्जी डबल हैंडलिंग दिखाकर, जनता के गाढ़े पसीने की कमाई के लाखों रुपए हड़प लिए गए। चूंकि उपरोक्त भुगतान अनेक फर्जी ठेकेदारों के नाम से जाली दस्तखत बनाकर लिए गए हैं, अतएव उस काले धन को मोटी कमाई पर इनकम टैक्स की भारी रकमें चोरी चली गईं। भ्रष्टाचार की लम्बी फेहरिस्त जो मेरे पास सप्रमाण मौजूद है, उसमें से यह कुछ ही ज्वलन्त उदाहरण हैं। तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री बहुगुणा के पद त्याग के बाद भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार ने कुछ भ्रष्ट कांग्रेसी विधायकों के दवाब में विजिलेंस की अधूरी जांच को जिन्दा ही दफना दिया।

अतएव मैं जनहित में सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सफेद हाथियों के काले कारनामों की अधूरी जांच को विजिलेन्स अथवा लोकायुक्त द्वारा पुनः शुरू कराने के लिए तुरन्त आदेश जारी करें।

स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के फलस्वरूप उन्नाव जनपद में संक्रामक रोगों के प्रसार के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के फलस्वरूप इन दिनों उन्नाव जनपद में भयंकर संक्रामक रोगों का प्रसार हो रहा है। सैकड़ों व्यक्ति बीमार पड़े हैं, अनेकों

[श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी]

लोग काल कवलित हो चुके हैं। विकास क्षेत्र, नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम जनसार में 9 सितम्बर, 1977 को एक बालिका की हैजे से मृत्यु हुई है इसके पूर्व इसी ग्राम में एक धोबी के दो बच्चे हैजे से मरे। संक्रामक रोगों के शिकार अनेक लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। विकास क्षेत्र बांगरमऊ, गंजमुरादाबाद, सफीपुर, मियांगंज आदि से भी ऐसी ही सूचनायें आ रही हैं।

लोक महत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह संक्रामक रोगों की रोक-थाम हेतु अविलम्ब युद्ध स्तर पर कार्यवाही करे।

अरहर की दाल के मूल्य में असाधारण वृद्धि तथा खेसारी मिश्रित दाल के प्रयोग से पूर्वी जिलों में पक्षाघात की बीमारी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

प्रदेश में अरहर की दाल के मूल्य में असाधारण वृद्धि होने के कारण व्यापक पैमाने पर उसमें खेसारी (लतरी) का अपमिश्रण किया जा रहा है। विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अरहर की दाल प्रमुख खाद्य है। खेसारी मिश्रित दाल के प्रयोग से लाखों व्यक्ति पक्षाघात से पीड़ित हो गए हैं। अल्पवयस्क किशोरों में पोलियों (बाल पक्षाघात) का भीषण प्रकोप बढ़ता जा रहा है। खेसारी की दाल पशुओं के लिए भी घातक है। यह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों की निश्चित राय है।

इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेसारी का बेरोकटोक प्रयोग होने से लाखों व्यक्तियों के प्राण संकटापन्न हैं। शासन को तत्काल प्रभावी कार्यवाही कर कठोरतम प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। एतदर्थ माननीय सदन को यह निश्चित सूचना दे रहा हूं। कृपया जनहित में स्वीकार करें।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र असंतोष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में छात्र असन्तोष व्यापक होता जा रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अधिकारी विश्वविद्यालय चलाने में असमर्थ हो गए हैं। वहां विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस तैनात कर दी गयी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो0 वाइस चान्सलर प्रोफेसर कृष्णा जी से छात्रों ने अपने पद से त्याग-पत्र लिखा लिया और अब कुलपति को भी विश्वविद्यालय परिसर में जाने से रोक रहे हैं। उक्त दोनों विश्वविद्यालयों में दाखिला की समस्या गम्भीर है। बार-बार माननीय सदन को शिक्षा मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि निचली कक्षा में पास छात्रों को अगले कक्षा में प्रवेश मिलेगा जिसके परिणाम स्वरूप छात्र और विश्वविद्यालय प्रशासकों में जगह-जगह टकराव की हालत पैदा हो गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आगरा में भी छात्र अशान्त हैं। वहां गत सप्ताह जुलूस और तो-फो की घटना हुई है। बुन्देलखंड विश्वविद्यालय की हालत अत्यन्त गम्भीर है। वहां झांसी और उससे सम्बन्द्ध महाविद्यालयों में ह ताल चल रही है। गत पखवारे कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को अपने पद से त्याग-पत्र देना प ा, काफी अनुनय विनय के बाद उनका त्याग-पत्र वापस हुआ है। आज आई0 आई0 टी0 1 कानपुर के डाइरेक्टर को भी वहां के छात्रों ने तंग व परेशान किया जिससे उन्हें ऊब कर अपने पद से त्याग-पत्र देना पड़ा। कानपुर में भी छात्र असन्तोष उग्रता पर है। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति डा0 सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध लम्बे-लम्बे पर्चे भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों के सम्बन्ध में छप कर बंट रहे हैं। उनके क्रिया कलापों के विरुद्ध छात्र आन्दोलन भ कने की सम्भावना है।

वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में ब्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है और उसकी ओर भी शासन का ध्यान बार-बार आकृष्ट किया गया। इस तरह सम्पूर्ण प्रदेश के शिक्षा केन्द्रों में विद्यार्थी हल चल है। शासन का ध्यान इस ओर नहीं है कभी भी हालत विस्फोटक हो सकती है और सम्पूर्ण प्रदेश मे चल रहा छात्रों का यह छिटपुट आंदोलन संगठित ढंग से उठ कर सरकार और प्रदेश के नियम व्यवस्था के लिए एक समस्या खड़ा कर सकता है। अत : हमारी शासन से मांग है कि छात्र असन्तोष पर व्यापक रूप से चर्चा करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश स्तर पर छात्र नेता, अभिभावक, शिक्षा शास्त्री और शासन के प्रतिनिधियों का एक व्यापक सम्मेलन किया जाय साथ ही एक उच्च अधिकार प्राप्त स्वायतसायी निगम बने जो प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कथित भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में की गई धांधली, भाई-भतीजाबाद की जांच कर सरकार को उचित दिशा में सोचने के लिए मजबूर करे। साथ ही विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के प्रबंध के ढांचे में परिवर्तन के मौलिक उपायों का सुझाव दे।

कलेक्टरी कचेहरी, देवरिया के प्रांगण में श्री श्रद्धानन्द त्रिपाठी के आमरण अनशन के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजमंगल तिवारी (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, देवरिया जनपद के कलेक्टरी कचेहरी के प्रांगण में जनता पार्टी के एक नेता श्री श्रद्धा नन्द त्रिपाठी गत 5 सितम्बर से आमरण अनशन कुछ विशेष लोक महत्व के प्रश्नों को लेकर कर रहे हैं। इतना ही नहीं उनकी यह भी घोषणा है कि यदि आगामी 15–9–77 तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता तो वे जल का भी त्याग कर देंगे। श्री त्रिपाठी की स्थिति उनके चिकित्सकों के अनुसार दिनोंदिन बिग ती जा रही है। उनका वजन बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। 11–9–77 तक उनका वजन 8 पौण्ड तक कम हो गया था। उनके अनशन के कारण पूरे भटनी विकास क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

पंडित जवाहर लाल कृषक इंटर कालेज महुआवारी पर छात्रों द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। भटनी बाजार में दिनांक 10 सितम्बर, 1977 को पूर्ण रूपेण ह ताल रही है तथा उसी दिन एक प्रतिनिधि मन्डल जिला अधिकारी, देवरिया से मिलकर उन्हें स्थिति से अवगत कराया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजमंगल तिवारी]

श्री श्रद्धानन्द त्रिपाठी का जीवन खतरे में है। उनकी मांगें सभी सार्वजनिक महत्व की हैं। श्री त्रिपाठी के अनशन चलते रहने की स्थिति में बहुत से अध्यापक और नागरिक आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं। इस सम्बन्ध में मांग-पत्र †संलग्न है।

इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुख्य मन्त्री जी का ध्यानाकार्षण कर रहा हूं।

षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति का बारहवां प्रतिवेदन†

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1976-77) का बारहवां प्रतिवेदन, जो षष्ठ विधान सभा के विघटन से पूर्व माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था, सदन के पटल पर रखता हूं।

प्रदेश में बाढ़, सूखा तथा कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राजस्व मन्त्री के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण††

श्री अध्यक्ष—

देवरिया, बस्ती, गोरखपुर तथा बलिया में बाढ़, कटाव तथा सूखे के सम्बन्ध में कल माननीय राजस्व मन्त्री जी का वक्तव्य माननीय सदस्यों को प्राप्त हो गया है और कल यह निश्चित किया गया था कि माननीय सदस्य इसको पढ़ लेंगे और आज इस पर जो भी स्पष्टीकरण मांगना चाहें वह मांग लेंगे और मन्त्री जी उसका उत्तर देंगे। इसमें आधा घंटा मैं प्रश्नों के लिए विनिश्चित करता हूं और माननीय सदस्यों के, जो स्पष्टीकरण चाहते हैं, प्रश्नों को आमंत्रित करता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मेरा भी इसी तरह का प्रस्ताव था . . .

श्री अध्यक्ष—

आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

बलिया जनपद में बाढ़ के कटाव से जो लोग विस्थापित हो गए हैं उनको अब तक बसा दिया गया है? यदि नहीं बसाया गया है, तो कब तक बसाया जायगा? दूसरे दिनांक 22 अगस्त, 1977 को बलिया जनपद में जिलाधीश के कक्ष में एक बैठक हुई उसमें तमाम प्रतिनिधियों ने मांग की थी कि अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि से जो लोग तबाह हो गए हैं वे भुखमरी से मर रहे हैं उनके लिए क्या राहत के कार्य किए जा रहे हैं?

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

बलिया में मैंने स्वयं जा कर देखा, उन गावों को जो कट गए थे। वहां इधर-उधर तमाम लोग पड़े हुए हैं। जिलाधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि उनको बसाने के लिए जमीन एक्वायर कर ली जाय और उस सम्बन्ध में जो भी व्यवस्था हो, की जाय।

---

†छापा नहीं गया।

††वक्तव्य दिनांक 13 सितम्बर, 1977 की कार्यवाही में नत्थी में छपा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

वहां जो जिलाधिकारी के कक्ष में दिनांक 22 अगस्त, 1977 की मीटिंग हुई थी उसके बारे में माननीय मन्त्री ने कुछ नहीं बताया ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री को निश्चित सूचना हो इस सम्बन्ध में तो दे दें ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मुझे किसी ऐसी बैठक की सूचना नहीं दी गयी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

जो वक्तव्य दिया गया है उसमें पर्वतीय क्षेत्र का जिक्र नहीं है। समाचार पत्रों में माननीय मन्त्री ने पढ़ा होगा कि पिथौरागढ़ के तवाघाट में अतिवृष्टि तथा कटाव के कारण 40 व्यक्ति मर गए और जो वहां के निवासी हैं उनका वहां पर रहना असम्भव हो गया है, तो क्या माननीय मन्त्री इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करके विस्थापित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

भू-स्खलन की सूचना इसमें नहीं मांगी गई थी और न तफसील मेरे पास है। कुछ मौतें अवश्य हुई हैं उस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दे दिए गए हैं और आवश्यक व्यवस्था की जायगी।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

एक अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले देवरिया, बस्ती, गोरखपुर तथा बलिया के सदस्यों को मौका दूंगा। बाद में अन्य सदस्यों को।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय मन्त्री ने उजियार से ले कर पूर्वी क्षेत्र तक बलिया में निरीक्षण किया था तो देखा होगा कि भदई और मक्का की फसल 90 प्रतिशत नष्ट हो गयी है अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि से, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस इलाके में सस्ते गल्ले की दुकानें तुरन्त चालू कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मैं यह आदेश दे चुका हूं अगर आवश्यक हो तो वहां टेस्ट वर्क्स प्रारम्भ कर दिए जायं और इसके लिए 25 हजार रुपया भी आवंटित कर दिया गया है लेकिन अनाज देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

राजस्व मन्त्री ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है देवरिया जिले में सूखे के बारे में उसमें यह बतलाया गया है कि वहां 10 प्रतिशत की क्षति हुई है लेकिन जिलाधिकारी, देवरिया ने शासन को यह निश्चित सूचना प्रस्तुत की थी कि वहां एक भीषण क्षति हुई है और 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में खैरा और झुलसा रोग से धान की फसल बरबाद हो गई जब कि मेरी

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

जानकारी है कि 1 लाख 25 हजार हेक्टेयर में मान्यवर, यह स्थिति है। वहां सूखे की स्थिति नहीं है बल्कि पूर्णरूप से वह क्षेत्र अकालग्रस्त हो गया है । तो यह 10 प्रतिशत की बात कहां से आ गई ?

अध्यक्ष—

आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिलाधिकारी ने क्या शासन को सूचना भेजी थी कि 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल खैरा और झुलसा रोग से बरबाद हो गई है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, देवरिया के सम्बन्ध मे जो सूचना मुझे उपलब्ध है वह मैंने दे दी है। मैने स्पेशल मैसेन्जर से हर जिले से सूचना मंगाई थी। केवल देवरिया से कोई सूचना नहीं आई। कल एक तार से फिर पूछा है कि यदि कोई सूखाग्रस्त इलाका है तो सूचना दें। (व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

एक-एक करके सब को मौका मिलेगा, बोलने का।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

मैंने जो सूचना दी है उसमें मैंने घाघरा नदी के कटाव की तरफ शासन का ध्यान आकृष्ट किया था। इस वक्त जो घाघरा नदी के किनारे कटाव हो रहा है उसमें राहत देने के लिए क्या कार्यवाही की गई उसका जिक्र नहीं है। मैं (1) जानना चाहता हूं कि घाघरा के कटाव से सम्बन्धित गांव की सुरक्षा के लिए देवरिया जिले में क्या कार्यवाही की गई ? (2) इसमें लिखा है कि देवरिया जनपद में अभी तक 2 लाख 7 हजार रुपया विभिन्न मदों में आवंटित किया जा चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि इतना पैसा तो आपने आवंटित कर दिया है लेकिन कुल कितनी राशि देवरिया जिले में राहत कार्यों हेतु शासन की ओर से दी गई है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो सूचना मैंने दी देवरिया में 126 गांव प्रभावित हुए हैं और उस सम्बन्ध में जो शासन ने वहां सहायता दी है उसकी मैंने सूचना दे दी है । हर जिलाधिकारी को बतला दिया गया है कि अगर अधिक धन की आवश्यकता है तो तुरन्त मांग की जाय, वह भेजी जाएगी।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, मैं . .

श्री अध्यक्ष—

श्री सुखपाल जी, आप चाहते हैं कि आपको ही समय दिया जाय और आप बार-बार बोलने लगते हैं। आप धैर्य रखें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो सूची मन्त्री जी ने रावती नदी के कटाव से पीड़ित गांवों की गोरखपुर जिले की दी है उसके अतिरिक्त रावती नदी के किनारे बैरिया से खुदराम तक जो बांध है जो सिंचाई विभाग ने बनाया है उसको भी खतरा हो गया है और समराबुजुर्ग, सेमपुरा गांवों की आबादी को भी खतरा पैदा हो गया है। यदि हां, तो सरकार इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कल मुझे सूचना दी थी कुछ गांवों के बारे में। तुरन्त वायरलेस के जरिए पूछा गया है कि यदि वहां पर कटाव है और सहायता की आवश्यकता है तो उसकी सूचना तुरन्त दी जाय।

श्री श्यामनारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)---

मैंने आपको सूचना दी थी कि गोरखपुर जिले का उत्तरी क्षेत्र सूखे की चपेट में है और उस सिलसिले में मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें यह दर्ज है कि कुछ हिस्से में 25 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक नुकसान है यद्यपि यह नुकसान और अधिक है। वहां कोई बारिश नहीं हुई है। मेरा कहना यह है कि गोरखपुर जिले का वह हिस्सा, फरेंदा में जहां सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है और न नहर तथा नलकूप की व्यवस्था है अगर है तो नहीं के बराबर है, वहां प्रतिशत और अधिक है, अब तक बारिश नहीं हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर राहत कार्य के सिलसिले में कौन सी कार्यवाही की जा रही है और दीर्घकालीन योजना के तहत सिंचाई व्यवस्था तथा अन्य कौन सीं कार्यवाही की जाएगी ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य इस समय ट्यूववेल--सिंचाई व्यवस्था होगी या नहीं---इस वक्तव्य के अन्दर इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इस समय तो केवल यह है कि जो स्थिति पैदा हो गई है बाढ़, सूखा और कटान से, उसमें सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? प्लान में जो कार्यवाही होगी, वह तो बाद में होगी।

(व्यवधान)

श्री शारदा भक्त सिंह---

गोरखपुर के सम्बन्ध में जो सूचना प्राप्त की गई है और वहां से स्पेशल मैसेन्जर एस0 डी0 एम0, श्री त्रिपाठी आए थे, उन्होंने जो सूचना दी है परसों तक की, वह सारी सूचना इसमें उपलब्ध करा दी गई है। वहां पर कोई विशेष हानि नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य कहते हैं तो दुबारा मालूम करा लिया जायगा।

(कई सदस्यों के एक साथ पुन: खड़े होने पर) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

ऊदल जी, मैंने कहा है, पहले मैं इन चार जिले वालों को अवसर दूंगा--अभी बरेली आदि को नहीं लिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या राजस्व मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती के नौगढ़ में बाढ़, हरैया में बाढ़ और घाघरा नदी के कटान से तथा बाकी क्षेत्र में सूखा से जो लाखों लोग पीड़ित हैं, वह इस रिपोर्ट में बहुत कम दिखाया गया है ? क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उन बाढ़ और सूखा से पीड़ित तमाम लोगों तथा घाघरा नदी के कटाव, जो 96 किलोमीटर तक लम्बा कटान ह, जिससे हजारों गांव कट गए हैं, से पीड़ित गांवों के लोगों को बसाने के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए, लड़कों की पढ़ाई के लिए अब तक सरकार ने क्या-क्या व्यवस्था की है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सूचना आपके द्वारा आदेश दिए जाने के बाद बस्ती से स्पेशल मैसेन्जर द्वारा जो भी स्थिति है, वह मंगाई है। वह इसमें सूचित कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से हमें जो सूचना मिली है, हमने पूरी दे दी है। माननीय सदस्य कोई उनके अतिरिक्त विशेष गांव बताना चाहते हैं तो उसे मुझे दे दें, मैं उनको मालूम करके जो आवश्यक होगा, करूंगा।

(श्री बाबूराम वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

आप विरोध पक्ष को कोई मौका नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मेरे यहां कुआनो नदी के दोनों तरफ के दो सौ गांवों की पूरी फसल सूखे से नष्ट हो गयी है। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि गन्ने और अरहर पर कोई असर नहीं है। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से बताना जाहता हूं कि आप उसकी पुन: जांच कराएं। कहीं भी गन्ने और अरहर की फसल कुआनो नदी के किनारे बची नहीं है। दो सौ गांवों में भुखमरी की स्थिति है, जानवरों के चारे की समस्या है, किन्तु अधिकारीगण मौन हैं, आपको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो क्या आप दुबारा इसकी जांच करायेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मैंने कहा है कि जो सूचना मिली है, विस्तार से दे दी है। उसमें यदि कोई सूचना गलत है तो माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दें, मैं जांच करा लूंगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय मन्त्री (व्यवधान) .....

(विरोधी पक्ष से कुछ कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष—

विरोधी पक्ष का इसमें सवाल नहीं है जो जिले हैं, आप जानते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जो रिपोर्ट हमने आपकी पढ़ी है, जहां मथुरा का उसमें जिक्र है वह बिल्कुल सत्य से परे है। सारे प्रदेश में मथुरा में समझता हुं इस वक्त

नम्बर एक पर दुर्दशा में है। अभी सात दिन में जो भयंकर वर्षा हुई है उससे साढ़े चार सौ गांव माठ, तहसील गोवर्द्धन, छाता और गोकुल क्षेत्रों के बिल्कुल जलमग्न हो गए हैं। मनुष्य बाहर जिलों को जा रहे हैं। मवेशियों में गल-घोंट रोग फैल रहा है। हजारों मवेशी मर रहे हैं। माठ क्षेत्र में नौझील बांध टूटने जा रहा है। अगर यह बांध टूट गया तो डेढ़ सौ गांव बिल्कुल बरबाद हो कर जमुना में चले जायेंगे। उसके साथ झील है। जब सिंचाई मन्त्री मथुरा गए थे तो आदेश दिया था कि झील का पानी निकाल दिया जाय। वह नहीं निकाला गया है। अगर पानी नहीं निकाला गया तो हजारों एकड़ जमीन में रबी की फसल नहीं बच पाएगी। झील इर्दगिर्द के गांवों को बरबाद कर देगी। मथुरा जिले का सर्वे करवा कर सदन में सही रिपोर्ट देंगे जिससे मथुरा जिला जो बरबादी की कगार पर खड़ा है, पूरी तरह से बच सके ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मथुरा में जो बाढ़ से हानि हुई है उसके सम्बन्ध में जो भी वहां से तथ्य आए हैं, प्रस्तुत कर दिए हैं। जो वहां पर लोगों को राहत देने का कार्य है वह भी मैंने सामने रख दिया है। जहां तक बांध टूट जायगा यह प्रश्न है, यह सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है। मेरा राहत देने का काम है। आग कैसे बाढ़ से बचाया जाय, न बचाया जाय, यह सिंचाई विभाग करेगा। माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उस विभाग को जरूर पहुंचा दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) एक बार में एक सदस्य।

एक सदस्य—

मैं वहीं का सदस्य हूं। मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय मन्त्री जी ने बताया, आगरा, मथुरा जनपदों में जो क्षति हुई है उससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो तिवारी मन्त्रि-मण्डल में आगरा, मथुरा के लिए गोवर्धन डैम बनाने की योजना थी, केन्द्रीय सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है या नहीं ? उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माननीय मुख्य मन्त्रियों की बैठक हुई है उसमें क्या तय हुआ है ? क्या प्रदेशीय सरकार ने नहीं लिखा है और यदि स्वीकृत नहीं हुई है तो लिखने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, यह तो .....

श्री अध्यक्ष—

आप बहस मत कीजिए। इससे यह नहीं पैदा होता।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

इस सम्बन्ध में इसमें लिखा है कि 12 करोड़ रुपए की मांग केन्द्रीय सरकार से की गयी है। जो बात नहीं लिखी है वह पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे दिया है।

(कई सदस्यों के एक साथ पुनः खड़े होने पर और कुछ कहने पर) आप लोग बैठ जाइए। यह तरीका नहीं है आप बैठ जाइए। आपको अनुमति नहीं देता हूं। इस प्रकार से जिस तरह से चीत्कार करके समय लेना चाहते हैं, इस तरह से समय नहीं दिया जायगा।

एक सदस्य—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठ जाइए।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं इसमें भाग नहीं लेने जा रहा था, लेकिन विषय इतने महत्व का है, माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है फ्लड कन्ट्रोल डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग से परामर्श नहीं हुआ। यह वक्तव्य ही अधूरा है, चूंकि बाढ़ निरोधक कार्य सिंचाई विभाग देखता है। राजस्व मन्त्री केवल सहायता कार्य देखते हैं। आपने आज्ञा यह दी थी बाढ़ नियन्त्रण के सम्बन्ध में, सूखा और बाढ़ सब के बारे में। बयान में सिंचाई विभाग का जो पक्ष है, वह क्या कर रहा है, वह नहीं आया है। तो वक्तव्य अधूरा है। मैं चाहूंगा कि सिंचाई विभाग के बाढ़ नियंत्रण विभाग ने जो कार्यवाहियां की हैं, वह दूसरे वक्तव्य में आनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि आप पृष्ठ 4 पर देखें, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। पृष्ठ 4 में उल्लेख किया गया है कि यह निर्णय लिया गया है कि इस क्षेत्र की बाढ़ समस्या को सुलझाने के लिए तीनो राज्यों का एक मास्टर प्लान केन्द्र के परामर्श के बाद बनाया जाय जो तुरन्त कार्यान्वित हो। ये तीन राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। यह परियोजना फरवरी, 1977 में भेजी गयी थी। इसमें यह सब लिखा हुआ है और इसी आधार पर माननीय चेतराम गंगवार जी नें प्रश्न पूछा था। मुख्य मन्त्रियों की इस सिलसिले में बैठक हुई और एक योजना बनी उसका भविष्य क्या हो रहा है? आगरा और मथुरा बहुत बाढ़-ग्रस्त है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले में सिंचाई मन्त्री जी दूसरे दिन पूरी सूचना के साथ वक्तव्य दें।

इसी प्रकार पूर्वी जिलों का मसला है। बलिया, देवरिया और गाजीपुर में भयंकर बाढ़ का प्रकोप होता है। एक गंगा फ्लड कमीशन बना हुआ है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल यह सब इस गंगा फ्लड कमीशन के मेम्बर है। कितना रुपया बिहार देगा और कितना रुपया उत्तर प्रदेश देगा, यह सब यह कमीशन करता है। तो मैं चाहता हूं कि सिंचाई मन्त्री जी पूरी स्थिति को बतावें।

श्री अध्यक्ष—

सिचाई का जब बजट आवे तो माननीय सिचाई मन्त्री जी इस पर पूर्णतया प्रकाश डालेंगे। जब बजट होता है तो उसमें सारी चर्चा की जा सकती है। शून्य प्रहर में और नियम 51 में इस तरह के प्रश्न नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह इस तरह का प्रश्न था इसीलिए मैंने आवश्यक समझा कि एक वक्तव्य राजस्व मन्त्री जी दें। इसीलिए राजस्व मन्त्री जी ने सभी जगह से सूचना इक्ट्ठा की है। रिपोर्ट में लिखा है कि केन्द्रीय सरकार को स्मरण-पत्र दिया है। मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे, लेकिन यह जो आपके सामने प्रस्तुत है उस पर विस्तार के साथ इतने थोड़े समय में विचार करना मुश्किल है। इसी तरह से जब राजस्व विभाग का बजट आएगा, सूखा आदि का तो विस्तार से विचार होगा। आज तो बिल्कुल सीमित समय है। जो निश्चित प्रश्न है, वह यह है कि जो तीन मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ उसमें क्या हुआ, उसको बतला दें ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जो मुख्य मन्त्रियों की बैठक हुई है उसके बारे में बराबर लिखा पढ़ी हो रही है, लेकिन अभी तक केन्द्रीय सरकार की सैंक्शन नहीं मिली है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)-

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सूखाग्रस्त और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी सहायता के लिए 25 हजार रुपया दिया गया है वह बहुत कम है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इसके ऊपर विशेष निर्देश देंगे कि जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं और वहां की फसलें नष्ट हो गयी हैं वहां अनुदान तथा तकावी दी जाएगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि जहां राहत कार्यों के लिए पैसे की आवश्यकता है उसमें किसी प्रकार की कंजूसी नहीं की जा रही है। नियमों के अन्तर्गत जितने अनुदान देना सम्भव है, वे सब दिए जा रहे हैं उसके अतिरिक्त तकावी का रुपया भेज दिया गया है और जिला प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं। अगर इस सम्बन्ध में और अधिक धन की आवश्यकता होगी तो वह दिया जाएगा। मैं माननीय सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि उसमें कोई कमी सरकार नहीं करेगी। अगर कोई कमी रह गई हो जिसके विषय में मुझे माननीय सदस्य यदि सूचना देंगे तो इस काम में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने जो बात कही है, मैं उससे सहमत हूं। तिवारी जी ने पहिले साल भी मथुरा देखा है और वहां की हालत देख आए है। माननीय मुख्य मन्त्री और सिचाई मन्त्री भी वहां की हालत देख आए हैं मगर माननीय राजस्व मन्त्री जी अभी मथुरा नहीं पहुंच पाए हैं और रिपोर्ट उन्होंने लिख दी है। श्रीमन्, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वहां की जनता बिल्कुल निराश है। हर साल प्रलय हो जाती है जनपद में। आप उन्हें साहस दिलाइए। भविष्य में वहां की जनता को बताया जाएगा

[श्री लक्खी सिंह]

या नहीं बताया जाएगा कि उन्हें बाढ़ से बचाने के लिए क्या किया जाएगा और क्या किया जा रहा है ? एक-एक मुट्ठी चना बांटने से वहां राहत नहीं मिल रही है। जनता वहां विद्रोह कर देगी, गदर हो जाएगा यदि जल्द से जल्द इस सदन में कोई बात नहीं कही गई। मैं माननीय सदन को बता देना चाहता हूं कि मथुरा की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी।

श्री अध्यक्ष—

श्री लक्खी सिंह जी ने जो कुछ कहा है उसके लिए मैंने नियमों का निलम्बन करके इजाजत दी है।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मुरादाबाद, जौनपुर और हसनपुर तहसील में भी बाढ़ आई है जिनके सम्बन्ध में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था। उसमें मुरादाबाद के सम्बन्ध में मन्त्री जी ने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा है । श्रीमन्, यह हानि जो मुरादाबाद में हुई है यह अधिक वर्षा के कारण नहीं हुई है बल्कि जो एक कच्चा बांध गंगा के कारण बना दिया गया है, की मिट्टी कट जाने के कारण हुई है। तो उसके लिए ठीक से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। गंगा से वहां की जमीन को बचाने की व्यवस्था नहीं है ...

श्री अध्यक्ष—

आप क्या मालूम करना चाहते हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मैं राजस्व मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने सिंचाई मन्त्री को इस बात के लिए लिखा कि जिस वजह से यह बाढ़ आई है और उससे जो नुकसान हुआ है उसमें आगे कमी करने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय सदस्य ने कहा कि शायद मुरादाबाद के बारे में कम लिखा गया है तो मुरादाबाद में 485 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और इससे 1.18 लाख की जनसंख्या प्रभावित हुई है ? इस तरह से पूरी सूचना मैंने देने का प्रयास किया है। जहां तक भविष्य में बाढ़ से बचाव के लिए उपाए किए जाने का सम्बन्ध है तो इस सम्बन्ध में हम सारी परिस्थिति पर विचार कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में जो आवश्यक कदम होंगे, उठाए जायेंगे।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, सिंचाई के बारे में मैंने कहा था कि घाघरा के कारण दोहरीघाट से सूरजपुर के इलाके का पिछले 10 सालों से कटाव चल रहा है। उस पर माननीय राजस्व मन्त्री जी का जो वक्तव्य आया है उसमें कहा गया है कि घाघरा नदी से तहसील सगड़ी व घोसी के गांवों के कटान से प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है जिसका सर्वेक्षण किया जा रहा है । यह तो हमारे जिलों के अधिकारियों द्वारा सूचना दी गई है। क्योंकि जिन 3, 4 गांवों में कटाव हो रहा है। वहां 10 साल से लगातार बाढ़ के प्रकोप को रोकने के लिए कार्यवाही हो रही है लेकिन सरकार का लाखों रुपया हर साल बार्डर डलवाने में बरबाद होता है और 10 साल से वहां कटाव जारी है। श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि इस पर जब माननीय मन्त्री जी

दूसरी बार वक्तव्य दें तो इस पर पूरी जानकारी करके सदन को सूचित किया जाय। हमारे जनपद में 2 हिस्सा सूखे से प्रभावित है लेकिन राजस्व मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आजमगढ़ भी सूखे से प्रभावित है तो यह जो अधूरी रिपोर्ट है, सही नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो सूखे के प्रभावित क्षेत्र हैं, उनको कब राहत दी जायगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जो कटाव की स्थिति माननीय सदस्यों ने बताई है, उसके बारे में सर्वेक्षण हो रहा है और जहां आप कहते हैं मैं स्वयं 20 तारीख को आजमगढ़ जा रहा हूं और इस सम्बन्ध में जो भी स्थिति होगी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

श्रीमन्, यह रिपोर्ट अधूरी ही नहीं बल्कि आंशिक-मात्र है।

(श्री गुलाब सेहरा का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, आप चाहते हैं कि सारे सदन के कार्य को रोक कर आपको प्रश्न पूछने का अवसर दूं। आपका यह तरीका अत्यन्त आपत्तिजनक है। आप कृपया बैठिए।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

माननीय पांडेय जी जो बोल रहे हैं यह नहीं लिखा जायगा। आप कृपया बैठिए। आपका आचरण अत्यन्त आपत्तिजनक है। एक बार आपको अवसर दिया जा चुका है। क्या आप चाहते हैं कि चीत्कार करके सारे सदन का समय आपको दे दिया जाय ? इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं पूछ सकता है। आपका यह व्यवहार अत्यन्त आपत्तिजनक है और मैं इसकी भर्तसना करता हूं।

एक सदस्य—

मान्यवर, जब आप किसी को मौका नहीं देते हैं तो वह क्या करे ?

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

बाढ़ और सूखे के बारे में यह रिपोर्ट बिल्कुल ही अपूर्ण है। आगरा की कुरावली और फतेहपुर सीकरी के इलाके पूरी तरह से जल-प्लावित रहे लेकिन उनका कहीं भी इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में माननीय मन्त्री जी ने यह भी नहीं बताया है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कहां-कहां और कितना-कितना रुपया दिया गया है ?

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी रिपोर्ट पढ़ी उसमें ही कितना समय लगा। हर गांव और हर स्थान का जिक्र करना असम्भव है। मैंने संक्षेप रूप में बता दिया है लेकिन अगर किसी स्थान की कोई विशेष बात हो तो माननीय सदस्य मुझे बता दें, मैं उसके बारे में भी जानकारी करा लूंगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, यह सारी रिपोर्ट असत्य पर आधारित है, गलत है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, यह रिपोर्ट गलत ही नहीं बल्कि आंशिक मात्र है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से व्यवहार करना उचित नहीं है। आपके इस व्यवहार की मुझे नोटिस लेनी पड़ेगी। आप बार-बार सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालते हैं। आप चाहते हैं कि मैं सदन के 425 माननीय सदस्यों को समय न देकर आपको ही हमेशा समय देता रहूं। बिना इजाजत के खड़े होकर इस प्रकार से बोलना अनुचित है।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, देवरिया जनपद के बारे में जिलाधिकारी ने रिपोर्ट भेजी है कि वहां पर केवल 10 प्रतिशत का ही नुकसान हुआ है। मेरी सूचना के आधार पर वहां गन्ने की फसल बोते ही सूख गई, धान बरबाद हो गया, क्या माननीय मन्त्री जी ने अरहर ही देखी है, मक्की का एक दाना भी नहीं जमा है। एक खेत से दूसरे खेत तक पानी बहा ही नहीं। अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है और सरकारी तरीका वही पूर्ववत् है। तो शासन से निवेदन है कि एक दम अपटूडेट रिपोर्ट मिल जाय। यह रिपोर्ट तो महीनों पहले की है। पानी जुलाई में नहीं बरसा, अगस्त में नहीं बरसा। एक खेत से दूसरे खेत में पानी नहीं पहुंचा। पशुओं को बीमारी है। खेतिहर मजदूरों को कोई काम पर नहीं लगाता। हमारे क्षेत्र को अकाल-ग्रस्त माना जाय।

*श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)—

माननीय राजस्व मन्त्री जी का ध्यान बाढ़ से प्रभावित एटा जनपद के गांवों की तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, एटा जनपद में खास तौर से तीन क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हैं। कासगंज, जो गंगा जी के किनारे का कुछ एरिया है और सोरों विधान सभा क्षेत्र जो गंगाजी के किनारे का है और पटियाली विधान सभा क्षेत्र। खास तौर से पटियाली का जो तराई का एरिया है और जिसमें कुछ गांव बदायूं इलाके में जाकर बस गए हैं, गंगा जी के उस प्रकोप की वजह से और उन गांवों के सम्बन्ध में राजस्व मन्त्री जी को दरख्वास्त भी दी थी कि ये टोटली कट गए हैं और उनको कोई आर्थिक सहायता या अनुदान नहीं प्रदान की गयी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिलाधिकारीगण की तरफ से। वहां लोग काफी परेशान हैं, न उनको बसाया गया है और न भूमि प्रदान की गयी है। वह कहां बसें ? दूसरे सिनौरी कासगंज क्षेत्र में बाढ़ के कारण मकान गिर गए हैं, फसल चौपट हो गयी है। वहा सर्वे नहीं किया गया। सोरों क्षेत्र में 4-5 गांव प्रभावित हैं। नेवली शुगर फैक्टरी है। बूढ़ी गंगा जो निकलती है उससे 4 किलोमीटर वह क्षेत्र रह गया है। अगर बांध ढह गया तो सोरों नगर खतरे में पड़ जायगा और नेवली शुगर फैक्टरी खतरे में पड़ जायगी।

श्री अध्यक्ष–

आप भाषण दे रहे हैं।

श्री जसवीर सिह—

मेरी प्रार्थना है कि कृपया बतावें कि इन क्षेत्रों में अब तक क्या व्यवस्था की गयी है शासन की तरफ से ? कोई अनुदान दिया गया है या नहीं, या लगान स्थगन की कार्यवाही की गयी है या नहीं ?

श्री शारदा भक्त सिह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने वक्तव्य दिया है उसमें कितना रुपया दिया है वह सब लिखा हुआ है। कहिए तो मैं फिर दोबारा पढ़ दूं। सारा वक्तव्य दे दिया है। जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है उसके लिए आभारी हूं, उसके आधार पर जो आवश्यक होगा वह करेंगे।

श्री श्यामधर मिश्र—

आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह वक्तव्य जो है कि 7 हजार गांव प्रभावित हैं और 30 जिले हैं, कृपया यह बतलाया जाय कि मुख्य मन्त्री सहायता कोष से कितने रुपए की सहायता दी गयी और साथ-साथ एक बाढ़ का सहायता कोष है उससे कितना रुपया दिया गया और किन-किन जिलों में लगान मुल्तवी की मांग की गयी है और लगान मुल्तवी किया गया है ?

श्री शारदा भक्त सिह—

जो राजस्व विभाग से राहत के लिए रुपया दिया गया उसका विस्तृत विवरण इसमें है। अगर कोई अलग से मुख्य मन्त्री कोष से रुपया दिया गया उसकी मुझे सूचना नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र—

लगान मुल्तवी हुआ या नहीं ? यह नहीं बतलाया।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने पूछा है कि लगान स्थगित करने के सम्बन्ध में कोई आदेश आपने दिए हैं ?

श्री शारदा भक्त सिह—

प्रत्येक जिलाधिकारी को यह आदेश दिए गए हैं कि फसल में अगर कोई क्षति हुई है तो तुरन्त उसकी सूचनाएं दी जायं और अगर नियमानुसार कृषि देय सस्पेन्ड होने चाहिए तो वह तुरन्त किया जायगा।

(श्री कन्हैया लाल सोनकर का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राम नरेश पाण्डेय—

क्या हम लोग भी हल्ला-गुल्ला करें तभी हमें समय मिलेगा ? उसके लिए हमें मजबूर न करें ?

श्री अध्यक्ष—

देवरिया जिले के कई सदस्यों को अवसर दिया गया, उन्होंने प्रश्न किए हैं। श्री सोनकर।

श्री राम नरेश पाण्डेय—

हर एक को बोलने का अवसर मिलना चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व दूसरे सदस्य तो नहीं करेंगे ? मैं देवरिया जिले का हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए, मैं खड़ा हूं।

श्री राम नरेश पाण्डेय—

तब से मैं प्रयास कर रहा हूं .....

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राम नरेश पाण्डेय—

मैं तो बार-बार उठता हूं, मुझे समय नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। यह देवरिया जिले की बहस नहीं है। यहां ।र नेता सदन नहीं हैं। इस तरह का व्यवहार अत्यन्त अनुचित है। यह तमाम प्रदेश की बहस है। देवरिया के तमाम सदस्य यह चाहते हैं कि केवल देवरिया की बहस हो। इसका मतलब यह है कि तीन दिन तक इस पर बहस चले। इस तरह से बोलने के लिए अनुरोध करना और आग्रह करना यह उचित नहीं है। या तो लाटरी निकाली जाय आपके नाम की।। कितने सदस्य बोल सकते हैं ? अब इस पर विवाद बन्द हुआ। आधा घंटे का समय मैंने दिया था, पौन घंटा हो गया है। अब सिर्फ माननीय कन्हैया लाल सोनकर को मैं ने अवसर दिया है।

(व्यवधान)

(श्री हरि केवल प्रसाद के खड़े होने पर।)

मैंने श्री सोनकर को इजाजत दी है। आप स्थान ग्रहण करें।

(श्री हरिकेवल प्रसाद के खड़े रहने पर।)

आप बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए या आप सदन छोड़िए।

माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस प्रतिष्ठित सभा के सदस्य हैं। आपका यह व्यवहार अत्यन्त अशोभनीय है। आप इस तरह से आचरण करते हैं जैसे कि आप किसी सार्वजनिक सभा में बोलते हैं। आप इस राज्य के दस करो; लोगों के प्रतिनिधि हैं और इस प्रतिष्ठित सभा के सदस्य हैं। आपका आचरण शोभनीय होना चाहिए। आप यह भी नहीं जानते कि नियमावली के अनुसार जब अध्यक्ष खड़े हों तो आप अपने स्थान पर बैठ कर शान्ति से सुनें। अगर इस प्रकार का आप लोग आचरण करेंगे तो इस तरह बहस की अनुमति नहीं दी जायगी या सदन स्थगित करना पड़ेगा। माननीय कन्हैयालाल सोनकर।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठिए।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मैं एक व्यवस्था चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप बैठिए।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

केवल व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठ जाइए। व्यवस्था के नाम पर आप अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। आप बैठिए। व्यवस्था के नाम पर आप सदन का समय नहीं नष्ट कर सकते।

(श्री हरिकेवल प्रसाद के खड़े रहने पर।)

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

(श्री कन्हैयालाल सोनकर के पुन: बुलाए जाने पर।)

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष--

आप सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान) कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

श्रीमन्, आपका आदेश मुझे शिरोधार्य है....

श्री अध्यक्ष--

आप सदन छोड़िए या आप बैठिए।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष--

मैं आप से कह रहा हूं, यह तरीका गलत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सदन में व्यवधान न डालिए।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

आप श्रीमन्, क्यों गुस्सा हैं ? आप अध्यक्ष हैं, आप नियमों का....

(व्यवधान) (शेम-शेम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूं कि थोड़ा सदस्यों में नियन्त्रण..... (व्यवधान) .....आप लोग खामोश रहिए। आप लोग शान्त रहिए। आप फिर .... (व्यवधान) ....माननीय हरिकेवल जी, आपका व्यवहार अत्यन्त आपत्तिजनक है। आपने जैसे कि इसको चौपाल बना दिया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी, आधे घंटे का समय इस विवाद पर था, 1 घंटा हो गया। सब माननीय सदस्य इस पर नहीं बोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस अकेले विषय पर 3 दिन की बहस की जाय और माननीय सदस्य जिस प्रकार से अनियन्त्रित ढंग से खड़े होते हैं, यह आपका कर्त्तव्य है कि उन पर थोड़ा नियन्त्रण रखें।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी....

(व्यवधान)

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए। आपको मैं अनुमति नहीं दूंगा।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वह अपने विचारों को जो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखने के लिए खड़े होते हैं, कृपया सदन की मर्यादा और गौरव का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें हमें उस परम्परा की भी रक्षा करनी है, जिस परम्परा की रक्षा के लिए यहां पर आप सभी लोग आए हैं। इसलिए मैं पुनः सदन के समस्त सम्मानित सदस्यों से, विपक्ष के और इस पक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे सदन की मर्यादा कायम रखेंगे।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी व्यवस्था दें, उसका आप सब अनुपालन करें।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मैं एक व्यवस्था उठाना चाहता हूं . . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरिकेवल जी, आप सदन छोड़िए । (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

[× × × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह प्रोसीडिंग में नहीं लिखा जायगा।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र सिंह—

आप मुझे निकाल दीजिए, सारी सत्ता आपके हाथ में हो गयी है। मैं 40 बार खड़ा हुआ, लेकिन मैं बैठ गया, मैंने शोर नहीं किया, इसलिए मुझे समय नहीं दिया गया। मेरे विरुद्ध जो वैधानिक कार्यवाही चाहें करें, अगर मुझे समय नहीं देंगे, तो मैं सदन नहीं चलने दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी, इस तरह का व्यवहार होगा, तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र सिंह—

मुझे नहीं बोलने दिया जायगा तो . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए या सदन छोड़िए। आप सदन छोड़िए। मार्शल, आपको सदन छोड़िए।

श्री रवीन्द्र सिंह—

आप मुझे बोलने का मौका नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप सदन छोड़िए या आप बैठिए।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, इस तरह का तरीका नहीं होना चाहिए। मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न है . . . .

नोट—[× × × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, आप इन्हें सदन छोड़ाइए।

(शोर)

(मार्शल के मा0 सदस्य के पास पहुंचने पर तथा सदस्य के स्थान ग्रहण कर लेने पर)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, वापस आ जायं।

(शोर) (माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठे-बैठे एक कागज दिखाते रहे।)

अगर इसी प्रकार से मनमानी की गई तो माननीय मुख्य मन्त्री जी मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। ये लोग नियन्त्रण में नहीं हैं। माननीय हरिकेवल जी को, रवीन्द्र सिंह जी को शान्त कीजिए वरना मैं सदन को स्थगित करता हूं। मैं पूरे दिन के लिए स्थगित कर दूंगा यदि इसी तरह से व्यवहार किया गया।

(विरोध पक्ष से शेम-शेम की आवाजें)

श्री राम नरेश यादव—

मैं माननीय सदस्य, रवीन्द्र सिंह जी से और अन्य सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वह सदन की कार्यवाही को, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब लोगों की, कि सदन की कार्यवाही को शान्तिपूर्ण ढंग से चलाते रहें। मुझे विश्वास है कि अब जितने भी सदस्य हैं वह इस परम्परा का निर्वाह करेंगे और उसका अनुपालन भी करेंगे।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है.....

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं। आपका यह व्यवहार अत्यन्त निन्दनीय है।

श्री कन्हैया लाल सोनकर—

मान्यवर, आज यहां पर...

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारे माननीय नेता सदन ने जो अपील की है, मैं उस सम्बन्ध में.....

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप बार-बार अवरोध पैदा कर रहे हैं। हरिकेवल जी आप बैठ जायं। मुख्य मन्त्री जी, हरिकेवल जी का व्यवहार इस सदन का अपमान है। वे इस हाउस की कार्यवाही को रोक देना चाहते हैं। देवरिया जिले की बाढ़ के सम्बन्ध में 3-4 सदस्य बोल चुके हैं। हरिकेवल जी चाहते हैं कि विषय को देवरिया तक सीमित रखा जाय। अगर देवरिया के सदस्य चाहते हैं तो माननीय राजस्व मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी से बात करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं आपने 15 मिनट सदन का समय नष्ट किया।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मान्यवर, चूंकि देवरिया जनपद का सम्बन्ध है। मैं नियमों के अनुकूल .....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

(शोर)

मुख्य मन्त्री जी, मैं सदन स्थगित . . .

(कुछ सदस्यों के साथ-साथ बोलने से शोर)

माननीय मुख्य मन्त्री जी, मैं सदन स्थगित करना चाहता हूं क्योंकि यह लोग चाहते हैं कि कार्यवाही न चले।

(शोर)

मुख्य मन्त्री जी, क्या मैं सदन स्थगित करूं ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्यों ने काफी समय तक अपने विचारों को रखा है। वे शायद और अधिक समय लेकर अपने भावों को व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उनका इरादा है वह सदन के लिए और हमारे सबके लिए बहुत अशोभनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पुन: अपने समस्त सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह ऐसी स्थिति न पैदा करें कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़े। जो हमारे सबके लिए वैसी बात होगी। मैं पुन: एक बार अपने सम्मानित सदस्यों से चाहूंगा कि वे परम्परा और विधि का निर्वाह करते हुए सदन में शान्ति रखें। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह मुझसे सम्पर्क स्थापित करेंगे और जो कठिनाई होगी मैं उन कठिनाइयों को हल करने का प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि समस्त सदस्यगण, इस परम्परा का निर्वाह करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं और वक्तव्य में देखूंगा, कि जो कठिनाई होगी उनको हल करूंगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य शान्ति पूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही चलने देंगे और अध्यक्ष की जो व्यवस्था होगी उसका परिपालन करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं सब से निवेदन करूंगा कि वह शान्ति बनायें रखें।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

नियमों के अनुसार मैं आपकी व्यवस्था के विरुद्ध हूं .....

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मैं सदन का त्याग करना चाहता हूं। मैं नियमों के अनुसार चलना चाहता हूं लेकिन आप हमारी व्यवस्था नहीं सुनते हैं और न दूसरे ढंग की बात करते हैं, बल्कि मुझे चेतावनी और श्री रवीन्द्र सिंह को चेतावनी और मार्शल को भेजकर निकलवाने की बात की। शुरू में मैंने कहा कि आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं। मेरा सवाल था कि बाढ़, सूखा और कटाव

[श्री हरि केवल प्रसाद]

पर कुछ कहूं। मैं खड़ा होता था तो आप कहते थे कि बैठें। आपने मेरी बात नहीं सुनी। देवरिया, गोरखपुर को बदनाम करने का आपने काम किया है। इसलिए मैं आपकी व्यवस्था के विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री हरिकेवल प्रसाद सदन त्याग कर चले गए।)

श्री अध्यक्ष—

श्री हरिकेवल प्रसाद ने जो कहा है अध्यक्ष की व्यवस्था के खिलाफ सदन का त्याग करना, यह सदन का अपमान है और यह विशेषाधिकार की अवहेलना है। इसलिए यह प्रश्न विशेषाधिकार का है। चूंकि सदन के समक्ष सदन की अवहेलना की है, इसलिए इस पर क्या कार्यवाही की जाय इस पर विचार को मैं आज स्थगित करता हूं। नियम में लिखा है कि जो सदन में सदन के अध्यक्ष की व्यवस्था होगी उसके विरोध में सदन का त्याग करना यह सदन का अपमान है।

श्री कन्हैया लाल सोनकर—

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्व मंत्री जी को यह जानकारी कराना चाहता हूं कि इलाहाबाद जनपद में तहसील शहर के अन्तर्गत पुरई गांव है जो कि गंगा की धारा से कट रहा है। वहां की जनता गांव को छोड़कर भाग रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां भी उस गांव को कटान से रोकने के लिए कुछ करने की कृपा करें।

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, जो सूचना दी है उस पर जांच कराकर अवश्य कार्यवाही की जाएगी।

सदन में कतिपय सदस्यों के अनियमित व्यवहार से क्षुब्ध होने पर श्री अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देने की इच्छा

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं तो केवल जो नेता सदन ने भाव व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करना चाहता हूं और इस सदन में नियमानुकूल विधि से अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो निर्देश दिए हैं उनके प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता हूं।

श्रीमन्, इस सदन के, 1952 से एक ऐसा सदस्य होने के नाते जिसे विरोधी दल में और बहुमत दल में भी बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं विनम्रता पूर्वक अपने सहयोगी साथियों से आग्रह करूंगा कि जो नेता सदन ने कहा है और जो आपने निर्देश दिए हैं यदि हम उनका अनुपालन नहीं सदन में कर पाते हैं तो फिर जिन्होंने हमको निर्वाचित करके भेजा है उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति हम नहीं कर पायेंगे। श्रीमन्, जहां एक ओर प्रत्येक सदस्यों को नियमों के अन्तर्गत अपनी बात कहने का अधिकार है उसमें अव्यवस्था किसी प्रकार की होना यह मर्यादापूर्ण नहीं है। इसलिए, श्रीमन्, मैं धृष्टता नहीं करूंगा कि विरोध पक्ष में होते हुए शासन पक्ष से आग्रह करूं यह मेरा कर्त्तव्य नहीं है। लेकिन इस सदन के सम्मानित सदस्य होने के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाते मेरा आग्रह है कि नियमों के अनुसार जहां हम अपनी आवाज उठा सकते हैं वहां नियमों का भी अनुपालन हम करें। आपने श्रीमन्, कई बार ऐसे निदेश दिये हैं जो बहुत प्रिय नहीं थे लेकिन हमने उनको स्वीकार किया है। वैसे तो विपक्ष का अधिकार है कि स्पीकर और नेता सदन से बहस कर सके। लेकिन विरोधी पक्ष ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसको असंसदीय कहा जा सके। हम इसी परम्परा को निभाना चाहते हैं और मैं चाहूंगा कि प्रत्येक माननीय सदस्य आपके निर्देशों का पालन करें।

श्री अध्यक्ष—

कार्यवाही चलाने के लिए आवश्यक है कि नियमों का पालन किया जाय। आज इस विवाद पर आधे घंटे का समय निश्चित था जो कि समाप्त हो चुका। उसके बाद भी 40 मिनट का समय लग गया। एक ही तरीका हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल के लोगों के नाम मुख्य मन्त्री व्हिप से दिलवा दें। यह असम्भव है कि 352 सदस्यों को आधे घन्टे के थोड़े से समय में अवसर दिया जा सके। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो अनुभवी सदस्य हैं विशेषरूप से देवरिया के सम्बन्ध में तीन सदस्यों ने विचार रखे। गोरखपुर, बस्ती, देवरिया और बलिया चारों जिले के सदस्यों ने अपने विचार रखे। जाहिर है कि चारों जिले के प्रत्येक सदस्य को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिल सकता था। प्रदेश के अन्य जिले भी हैं, उनको भी अवसर देना था। यह बड़ा ही अप्रिय कर्त्तव्य है। मुझे इस पद से कतई लगाव नहीं। अगर इस तरह का व्यवहार हुआ तो मैं नेता सदन और नेता विरोधी दल से आग्रह करूंगा कि मुझे इस कर्त्तव्य से मुक्त किया जाय। आप 10 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं। यदि कुछ माननीय सदस्य अपने को विशेष समझें तो इस पीठ से बैठ कर कोई व्यवस्था करना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं नेता सदन और नेता विरोधी दल से कहूंगा कि मैं आपका सहयोग चाहता हूं और इस प्रकार की परिस्थिति में मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कार्य चलाना मुश्किल होगा। तमाम प्रदेश की दस करोड़ जनता यहां के आचरण का अनुकरण करती है। आज-छात्रों में जगह-जगह असन्तोष है, उनमें क्षोभ पाया जाता है। यदि इस तरह से सदन में आचरण करेंगे तो क्या व्यवस्था छात्रों की होगी, मजदूरों की होगी, श्रमिक संस्थाओं की होगी। कुछ सदस्य अपने को विशेष समझें और समय उनको ही दिया जाय और अन्य के लिए आवश्यक नहीं है तो यह मेरे लिए मुश्किल होगा। प्रदेश बहुत बड़ा है। प्रत्येक क्षेत्र की दृष्टि से ख्याल रखना पड़ता है। माननीय सदस्य बोलने के लिए व्याकुल हैं तो मुझे आसानी होगी यदि व्हिप के द्वारा नियन्त्रण हो। कितने सदस्य बोलना चाहते हैं। उस पर समय का विभाजन हो सकता है। मैं सदस्यों की अपने क्षेत्र के प्रति चिन्ता को समझ सकता हूं लेकिन आधे घंटे में प्रत्येक क्षेत्र की बात पूरी तरह आना सम्भव नहीं है। मैंने कहा था कि सिंचाई मन्त्री जी जिस दिन अपना बजट पेश करें उस दिन कटाव की स्थिति बाढ़ से प्रभावित स्थिति के बारे में प्रकाश डाल सकते हैं। इसी प्रकार जब राजस्व मन्त्री जी का बजट होगा तो उस समय सूखा की परिस्थिति और वहां पर कितनी सहायता दी गयी इस पर विस्तार से कह सकते हैं। यदि इसी वक्तव्य पर आप बहस करना चाहते थे तो दो दिन की बहस नेता सदन और नेता विरोधी दल कार्य-मन्त्रणा समिति में निश्चित कर सकते हैं। लेकिन कार्य-मन्त्रणा समिति ने यह समय नहीं दिया, उसके लिए आधा घंटा मैंने दिया है। फिर इस तरह का व्यवहार सदन का अपमान है। अगर नियमों

[श्री अध्यक्ष]

की इस प्रकार से अवहेलना हुई, तो सदन का संचालन करना मुश्किल है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि सदन मुझे से नहीं चल सकता तो मैं अपना त्यागपत्र नेता सदन के पास भेज दूंगा।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)---

मान्यवर, दुर्भाग्य से मैं यहां पर उपस्थित नहीं था। मेरी तबियत ठीक नहीं थी और पहले से कुछ लोगों से भेंट का समय निश्चित कर रखा था। मुझे खेद है कि आपको यहां किसी सदस्य के आचरण से कष्ट हुआ। इस सम्बन्ध में मैं इत्तफाक करता हूं नेता विरोधी दल की बात से। हम लोगों का अपने विचारों को यहां रखने का अधिकार तो है लेकिन नियमों और कानून की मर्यादाओं के अन्तर्गत रह कर।

यह भी सही है कि यदि नियम का पालन नहीं होगा तो सदन का सुचारू रूप से संचालन कर पाना आपके लिए कठिन होगा। मैं इस सम्बन्ध में पूरा आश्वासन देता हूं कि अब पूरा प्रयत्न किया जायगा कि आपको इस प्रकार का कष्ट न हो और सदन की मर्यादा भंग न हो। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सदन का पूरी तरह से आपके प्रति विश्वास है। आप द्वारा दिए गए जो निर्णय होते हैं, वे हम सभी को शिरोधार्य हैं। लोकतन्त्र और माननीय सदन की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए नियमों का पालन करते हुए हम लोग अपना कर्तव्य का पालन करेंगे।

अन्त में मैं पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पक्ष की ओर से और उस पक्ष की ओर से भी कि जहां तक सदन में नियमों के पालन का प्रश्न है, हम उसमें आपको पूरा सहयोग देंगे क्योंकि इस सदन ने एकमत से आपको उस कुर्सी पर बिठाया है।

मैं अब सम्बन्धित सदस्य से बातचीत कर लूंगा और आपने जो निर्णय दिया है उस पर पुनर्विचार कर लिया जाय।

*मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)---

मान्यवर, जिस प्रकार से सदन में आज हुआ और जिससे आपके मन को ठेस पहुंची, उससे हम सभी लोगों को खेद है और जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा कि सदन की मर्यादा और सदन का गौरव इस में है कि इस सदन की कार्यवाही के संचालन में इस तरह के व्यवधान न हों जैसे कि आज हुए।

यह भी निश्चित है कि कोई भी प्रश्न की सीमा बांधनी पड़ेगी। अगर सीमा नहीं बांधी जायेगी और कोई व्यवस्था नहीं होगी तो सदन का काम चलना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए इस सन्दर्भ में, मान्यवर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस माननीय सदन का पूरा विश्वास आप में है और जिस तरह से आज आपको ठेस पहुंची, उसके लिए मुझे हार्दिक खेद है। मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सभी की इस माननीय सदन और लोकतन्त्र में आस्था है। हम इस माननीय सदन में इसी प्रकार का आचरण करेंगे जिससे कि जनता महसूस करे कि उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने गौरव और मर्यादा की रक्षा के लिए तत्पर हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि भविष्य में वह ऐसी स्थिति न पैदा करें जिससे इस माननीय सदन की मर्यादा भंग हो और आपको ठेस पहुंचे ।

जहां तक आपके त्याग-पत्र की बात है, उसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि जब सदन का विश्वास आप में है और जो हमेशा रहेगा, तो उसकी कोई बात नहीं है ।

अन्त में मैं पुनः यह आश्वासन देना चाहता हूं, मान्यवर, कि अब भविष्य में इस तरह का व्यवधान नहीं होगा, क्योंकि हम सभी लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं और उसकी मर्यादा की रक्षा में आपकी हमेशा सहायता करेंगे ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आपने अपनी व्यवस्था देते समय उल्लेख किया कि जो यहां पर समय-समय पर कुछ माननीय सदस्यों की ओर से व्यवहार रहा है,उससे आप इतने दुखी हैं कि अपने पद से त्याग करने की सोच सकते हैं । श्रीमन्, मेरी आपसे आग्रह है कि आप कोई भी ऐसा निर्णय न लें कि जिससे हम आपके नेतृत्व से वंचित हो जायं । मेरा अब भी विचार है कि आपके मार्गदर्शन के अन्तर्गत यह सदन देश के सबसे शान्त सदनों में से एक है । श्रीमन्, जैसा कि देश के दूसरे सदनों में देखते होंगे और केन्द्रीय संसद में भी यदाकदा (जैसा कि समाचार पत्रों में आप पढ़ते होंगे) इस तरह की बातें हो जाया करती हैं कि जिसको एक तरह से संसदीय नहीं कह सकते । तो मैं यह कह सकता हूं कि आपके मार्गदर्शन में और इस सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग से यह सदन सौभाग्य से देश के सबसे शान्त सदनों में से एक है और इसको और अधिक शान्त करने में हम आपके मार्गदर्शन से सफल होंगे ।

जहां हम एक ओर इस सदन को जन भावनाओं को व्यक्त करने का एक ज्वलन्त मंच बनाना चाहते हैं, ताकि जनता की आवाज यहां पर उठाते रहें, वहीं हम नियमों के अन्तर्गत चलना भी चाहते हैं । अभी हममें से बहुत से नए और ओजस्वी वक्ता हैं और तरुणाई की लहर में हैं । इसलिए कभी-कभी इस तरह हो सकता है जैसा कि मुझे भी पहले हो जाया करता था । मुझे सन् 1952 की याद आती है जबकि मैं भी कभी उस तरह की चेष्टा कर बैठता था । लेकिन धीरे-धीरे हमको अपने आपको बांधना होगा और बांधना पड़ता है । श्रीमन्, शुरू में माननीय सदस्यों को नियमों का ज्ञान नहीं होता—उसमें थोड़ा समय लगता है । इसलिए, श्रीमन्, आप कोई ऐसा विचार न करें कि जिससे हमें आपके मार्ग-दर्शन से वंचित होना पड़े । हम सभी का पूर्ण विश्वास—प्रत्येक सदस्य का—आपमें है । अतः मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप कोई ऐसा निर्णय न लें ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मुझे खेद है कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों के आचरण से, मान्यवर, आपको इतना कष्ट हुआ कि आपने अपना पद तक त्याग करने के लिए सोच लिया । मान्यवर, इस विधान सभा में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस व्यवस्थित ढंग से आप सदन का संचालन कर रहे हैं, वह अभूतपूर्व है । मान्यवर, खेर साहब भी इस कुर्सी पर जब रहे हैं, तब मैं इस सदन के अन्दर रहा । माननीय वासुदेव सिंह के साथ में भी इस सदन में था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

लेकिन उस समय कितना अव्यवस्थित ढंग से कभी-कभी हो जाता था, उसका कुछ अन्दाज नहीं। बड़े सुन्दर ढंग से आप इस सदन की व्यवस्था चला रहे हैं। उधर के माननीय सदस्य को जो लगातार इधर बैठे रहे आदत पुरानी पड़ी हुई है और उस आदत को दूर करने में कुछ समय लगेगा। मुझे यकीन है कि जब मुख्य मन्त्री जी ने आपको यह आश्वासन दे दिया है कि वह अपने माननीय सदस्यों को सुव्यवस्थित रखेंगे तो कोई कारण नहीं है कि सदन के अन्दर व्यवस्था न बनी रहे। मेरा आप से निवेदन है कि कृपा कर उस दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय को न लें जिसके बारे में आपने सदन को सूचित किया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, संसदीय कार्य मन्त्री जी और श्री नेगी जी का अत्यन्त कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। मेरा कोई व्यक्तिगत अपमान नहीं है और न ही मुझे कोई व्यक्तिगत दुख है। यदि कोई मेरी त्रुटि हो और सदस्यों को कहीं कोई कठिनाई हो तो कक्ष में जा कर बतला सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आप ही का एक प्रवक्ता हूं और यह मेरा पवित्र कर्तव्य है कि इस सदन की गरिमा, इसकी प्रतिष्ठा और जो इसकी परम्पराएं हैं उन्हें पूर्णतया सुरक्षित रखूं और सदन की कार्यवाही इस प्रकार चलाऊं कि जिससे ऐसा भास न हो कि मेरा कुछ सदस्यों के प्रति अच्छा व्यवहार है और कुछ सदस्यों के प्रति मैं उपेक्षा की भावना रखता हूं। मैंने शुरू में ही चुनाव के दिन कहा था कि मेरे प्रति यदि एक भी सदस्य का अविश्वास होगा तो मैं इस कुर्सी पर नहीं रहूंगा। मेरा व्यक्तिगत कोई लगाव नहीं है, लेकिन सदन के उत्तरदायित्व को देखते हुए मैं अपनी पूरी क्षमता और निष्ठा के साथ सदन को चलाने का प्रयास करूंगा। मैं सदन के दोनों पक्षों से फिर निवेदन करूंगा कि जितना समय कार्य-मन्त्रणा समिति निर्धारित करे यदि उससे ज्यादा समय चाहिए तो ऐसा किया जाय। संसद तो दिल्ली में आठ बजे के बाद भी बैठती है। यदि आप ज्यादा बहस करना चाहते हैं तो आठ बजे, दस बजे तक सदन का कार्य कीजिए। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इतने समय में कार्य नहीं चल सकता जैसा आज पर्वतीय विकास का बजट है जिसमें सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिल सकेगा, अपने विचार रखने का मौका नहीं मिल सकेगा। इसलिए मैं आपका आभारी हूं जो भावनाएं आपने प्रकट की सदन की कार्यवाही चलाने के लिए।

(तालियों की आवाज)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री श्याम धर मिश्र जी ने दिया है। यह प्रश्न इस प्रदेश से सम्बन्धित नहीं है. . .

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, एक बात सुन लीजिए। मैंने प्रश्न फर्रुखाबाद में जो अशान्ति हो रही है रेल कर्मचारियों में उसके सम्बन्ध में दिया था। इसलिए मैंने नहीं दिया कि वह रेलवे से सम्बन्धित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था बल्कि शान्ति व्यवस्था से सम्बन्धित था। फर्रुखाबाद हमारे प्रान्त में है और वहां की कानून व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में है। इस सम्बन्ध में मैंने दिया है। वहां पर सिपाही भी यहां से जाते हैं और वहां पर हड़ताल भी हो रही है। इस पर आपकी आज्ञा से वक्तव्य हो सके, इसलिए मैंने यह दिया था।

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है कि सदन का कार्य स्थगित करके अत्यन्त महत्व-पूर्ण प्रश्न पर हम विचार करें। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है जब तक रेलवे से सूचना प्राप्त नहीं हो पाती यह नहीं किया जा सकता। और फिर आप जानते हैं जब सामान्य बजट होता है तो इस तरह के प्रश्नों पर पर्याप्त अवसर मिलता है। इसलिए मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी इसकी सूचना मंगवा लें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, फर्रुखाबाद हमारे प्रदेश के केन्द्र में है। जैसा श्यामधर जी ने अपने मोशन में कहा है वहां की पुलिस आर0पी0 एफ0 हड़ताल पर है। वाराणसी में भी हड़ताल में है। आर0पी0एफ0 का नैतिक बल बनाए रखना जरूरी है ताकि प्रदेश में शान्ति व्यवस्था बनी रहे और पुलिस में अशान्ति न हो। हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में प्रदेश के ही सिपाही जाया करते हैं और डी0 आई0 जी0 स्पेशल रेलवे पुलिस को देखते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह प्रश्न महत्व का है।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित हो गया है, इस सम्बन्ध में वह आवश्यक सूचना प्राप्त कर लेंगे।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मैं इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना प्राप्त कर लूंगा और देखूंगा कि क्या कार्यवाही उसमें की जा सकती है।

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 43—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र तथा अनुदान संख्या 76—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,16,86,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76—विशेष तथा पिछड़े

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शोबन सिंह जीना]

हुए क्षेत्रों पर पंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,29,06,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, यह जो बजट है यह विशेष क्षेत्र का बजट है, अन्य बजटों की तरह से नहीं है । यद्यपि पर्वतीय विकास का यह बजट है लेकिन इसमें अन्य विभाग भी आ जाते हैं और हमारे इस प्रदेश में 28 जिले ऐसे हैं जिनको पिछड़ा हुआ जिला कहा गया है और उन 28 जिलों में 8 जिले पर्वतीय जिले हैं जो पिछड़े हुए हैं । ये 8 पर्वतीय जिले चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा नैनीताल हैं जिनको पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है और जिनका यह बजट है । ये 8 जिले पहाड़ी जिले हैं जो उत्तर में चीन की सीमा से मिले हुए हैं, पूर्व में नैपाल की सीमा से, पश्चिम में हिमांचल प्रदेश से तथा दक्षिण में सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, रामपुर और पीलीभीत जिलों से मिले हुए हैं । इन 8 जिलों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो प्रदेश के अन्य जिलों से भिन्न है । इनमें अपनी भौगोलिक स्थिति तथा विषम स्थलाकृति के कारण बहुत अधिक गरीबी है । यहां पर लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है । यहां का क्षेत्रफल लगभग 52 हजार वर्ग किलोमीटर है लेकिन इसमें से केवल 14 प्रतिशत भूमि ऐसी है जो कृषि योग्य है और इस 14 प्रतिशत भूमि में भी जो जोतें हैं वे बहुत छोटी-छोटी हैं जिनमें किसानों को साल भर का खाना भी पूरा नहीं पड़ता । भूमि अधिकतर पथरीली होने के कारण, सिंचाई के साधन न होने से यहां उपज कम होती है । बड़ी मेहनत के साथ पहाड़ के किसानों ने पहाड़ की चट्टानों को काट-काट कर और सीढ़ीनुमा खेत बना कर खेती की है । कुछ सकरी घाटियां भी हैं जिनमें खेती होती है और उनमें कुछ अनाज उत्पन्न होता है लेकिन उनका जो क्षेत्रफल है सिंचित भूमि का वह बहुत कम है । इन कारणों से वहां गरीबी अधिक है ।

(इस समय 2 बजे अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्र पति यादव पीठासीन हुए ।)

ये क्षेत्र इसलिए पिछड़े हुए हैं कि वहां पर यातायात के साधन बहुत कम हैं । यद्यपि उसके उत्तर में हिमाच्छादित पहाड़ हैं और वहां पर कई झीलें भी हैं लेकिन पेय-जल की कमी वहां पर बहुत अधिक है । यह वह क्षेत्र है जहां से उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का उद्गम होता है—शारदा, रामगंगा, सरयू, अलखनन्दा, जमुना और गंगा इन सब का उद्गम स्रोत इसी क्षेत्र में है । गंगा गंगोत्री से इसी क्षेत्र से निकलती है । इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति देश से भिन्न है परन्तु यह देश से भिन्न नहीं है । इसमें भिन्नता आर्थिक स्थिति की ओर विकास की है । इसलिए शासन ने यह निर्णय लिया कि ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए जो अविकसित हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रयत्न किए जायं ताकि उनका द्रुतगति से विकास हो सके । इसी कारण से इन 8 जिलों में से 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जो हैं उनको सन् 1960 से ही जब चीन ने आक्रमण किया था राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से विकसित करने के लिए शासन ने अपने हाथ में लिया और विशेष ध्यान इन तीन जिलों पर दिया गया । ये जिले इतने पिछड़े हुए थे कि सन् 1960 से विकास कार्य होते हुए भी, केन्द्र द्वारा काफी रुपया खर्च करने पर भी अभी तक पिछड़े हुए हैं । परन्तु बाकी जो 5 जिले हैं

पौड़ी गढ़वाल, टेहरी, चमोली, नैनीताल और देहरादून ये सन 1973 में पर्वतीय विकास विभाग में लिए गए ।

यह पर्वतीय विकास विभाग का जन्म सन् 1973 में हुआ और तब से ही यह फंक्शन करने लगा । 1973 से आज तक इस विभाग को कार्य करते हुए 4 वर्ष हो गए हैं, 1973–74, 1974-75, 1975–76, 1976–77। इस विभाग का जो कार्य है वह वहां का सर्वांगीर्ण विकास है। यह विभाग यहां की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, यहां पर सामाजिक सेवाएं देने तथा यातायात की सुविधाएं देने के लिए और यहां पर पेय-जल सुविधाएं देने के लिए कार्य करता आया है। इसमें गत वर्ष 37 करोड़ 75 रुपए लाख का बजट था, जिसमें से 22 करोड केन्द्रीय सहायता थी। लेकिन इस वर्ष यह बजट 56 करोड़ का हो गया है, जिसमें 27 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता है । यानी लगभग ड्योढ़ा इस वर्ष हो गया है। अब इस वर्ष मुख्य-मुख्य जो कार्यक्रम हैं, उनका थोड़ा सा मैं संक्षिप्त वर्णन करूंगा ।

प्रथम तो है बागबानी, क्योंकि विशेष आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह आवश्यक है, जिससे कि केवल खेती पर ही वहां के किसान निर्भर न रहें। वहां बागबानी हो सकती है और हो रही है, किन्तु आवश्यकता है कि उसमें वृद्धि की जाये। उसमें वृद्धि की जाय तो वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, उसका जीवन स्तर कुछ ऊंचा हो सकता है। इसलिए बागबानी में कुछ और क्षेत्रफल लाने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कि जो ऐसी भूमि उनके पास काश्त में है, जिसमें अच्छी फसल नहीं होती है या ऐसी फसल होती है, जो मोटा अनाज होता है, जैसे लोगों के पास बहुत से ऐसे खेत हैं, जिसमें मडुवा पैदा होता है, यह किया जा रहा है। तो यह प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि ऐसे खेतों में किसान उद्यान लगावें, जिससे उसे मदद मिलेगी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में। इसलिए किसानों को बागबानी के लिए आवश्यक ऋण दिए जाने का प्राविधान किया गया है और उन्हें उसकी आसान सुविधाएं दी गयी हैं। इसके लिए 78 लाख रुपया का इस साल प्राविधान किया गया है। पिछले साल यह केवल 38 लाख रुपया रखा गया था। आशा है इस कार्यक्रम से लगभग 6 हजार हेक्टर भूमि में नए बाग लग जावेंगे। यह सुविधा करीब तकावी की तरह से है। साढ़े पांच रुपया सालाना ब्याज दर होगी और प्रथम 7 वर्ष तक उस ऋण की वसूली की कोई कार्यवाही नहीं होगी। आठवें वर्ष से वसूली की कार्यवाही आरम्भ होगी। इसके अतिरिक्त यदि वे ऋण समय पर चुका पायेंगे तो कुछ छूट भी उन्हें दी जायगी। इस तरह से 1/6 भाग इसमें आ जायगा। इस दृष्टि से कि बागबानी में अधिक जमीन आवे, अधिक किसान अपने खेतों में बागबानी करें, यह आर्थिक कार्यक्रम हमने विशेष रूप से लिया है और विशेष इसमें बल दिया गया है ।

वहां के आर्थिक विकास के लिए अब दूसरी बात है कि सिचाई क्षमता की वृद्धि करना भी हमारा ध्येय है। वहां पर इतनी नदियां होते हुए भी,यद्यपि सारी नदियां वहां से मैदानों में आती हैं, वहां पर पानी गहराई में चला गया है और खेत ऊंचाई में चले गए हैं। इसलिए वहां की बड़ी-बड़ी नदियां किसानों के किसी सिचाई के काम में नहीं आती हैं। अतः

[शोबन सिंह जीना]

यह व्यवस्था की गयी है कि इस साल कुछ हाइड्रेम-एस्प्रैक्लर्स (Hydram Sprinkers) लगाए जायें, ताकि नीचे से नदियों का पानी ऊपर किसान के खेत में चढ़ सके। हाईड्रेम में कोई पावर या बिजली या मेकेनिकल पावर की कोई जरूरत नहीं होती है। यह जल-प्रपात की शक्ति से ही पानी को ऊपर उछाल देता है। यह योजना अपनाई जा रही है और इसमें 50 लाख रुपए का प्राविधान इस वर्ष हमने किया है, जिसमें हम समझते हैं कि लग-भग 100 या 200 स्थानों पर ये हाईड्रेम-स्प्रेंक्लर्स लग सकेंगे। इसमें भारत सरकार भी हमें और अधिक सहायता देने को तैयार है और आशा है कि और अधिक धन शायद हमको भारत सरकार से मिल जायगा। यदि आगे भी हम इन्हें लगाते जावें तो इससे सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी और किसान के खेतों की पैदावार बढ़ेगी। यह हमारा दूसरा आर्थिक कार्यक्रम है।

तीसरा हमारा जो आर्थिक कार्यक्रम है, वह पर्यटन का है। यह क्षेत्र हमारा ऐसा है जिसमें कई हिम-शिखरों की छटा और सौन्दर्य, कई ग्लैशियर व झील, कई सुन्दर घाटियां, कई दर्शनीय स्थान, स्वास्थ्यप्रद जलवायु, यह सब वहां पर मौजूद है। लेकिन अभी तक, इसको खरीदने वाला कोई नहीं है। तो यह योजना बनाई जा रही है कि हम पर्यटकों को आकर्षित कर सकें। यहां पर्यटक आयें। पर्यटक तीर्थ स्थानों में आते हैं, कुछ और लोग आते हैं। लेकिन ज्यादातर पर्यटक नैनीताल, मसूरी में ही रहते हैं। लेकिन नैनीताल और मसूरी पर्वतीय प्रदेश की गरीबी के प्रतिनिधि नहीं हैं। यह वहां की वास्तविक दशा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जो पहाड़ की गरीबी देखना चाहे वह नैनीताल, मसूरी में नहीं देख सकता है, बिना अन्दरूनी हिस्से में जाये और देखे यह नहीं मालूम हो सकता है कि पहाड़ क्या है और पहाड़ की गरीबी क्या है। पहाड़ की आर्थिक स्थिति और समस्याएं क्या हैं, उनकी क्या कठिनाइयां हैं, इसका आभास तभी हो सकता है, जब अन्दरूनी हिस्सों में कोई जाय।

भारत सरकार मध्यम वर्गीय पर्यटकों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है। जो पहाड़ों में नैनीताल और मसूरी के शहर हैं वे ऐसे पर्यटकों के लिए सुविधाजनक नहीं हैं, उनकी जेब के अनुकूल नहीं हैं। वह वहां का व्यय वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मध्यम वर्गीय पर्यटक कुछ अन्दरूनी हिस्सों में जायं जहां पर कुछ सुविधाएं भी हों और जहां उसकी जेब के अनुकूल किराया और खर्चा हो। ऐसे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए हमने एक कार्यक्रम बनाया है,कुछ पर्यटक आवास बनाए जा रहे हैं, नैनीताल और मसूरी में नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के अन्दरूनी हिस्सों में, जहां पर सुन्दर स्थान हों, अच्छा दृश्य हों और जहां पर अच्छी जलवायु हो, जहां पर पर्यटकों के लिए आकर्षण हों और अन्य सुविधाएं भी उनके भोजन आदि की हों। इस वर्ष इस कार्यक्रम के अन्तर्गत करीब 15 लाख रुपया रखा गया है पर्यटक गृह बनाने के लिए। सस्ते पर्यटक गृह बनाए जा रहे हैं। सुविधाजनक स्थानों को छांट-छांट कर जहां पर थोड़े से किराए पर पर्यटक रह सकें, जहां और एक टूरिस्ट काम्पलेक्स सा हो जावे। तो इस प्रकार पर्यटक इन आवास गृहों में आयेंगे तो आस-पास के गांवों की सेवाएं उनको मिलेंगी, उनका सामान बिकेगा। तो पर्वतीय क्षेत्र के गांवों को लाभ मिलेगा। केवल नैनीताल और मसूरी को ही लाभ नहीं

मिलेगा। हमने 15 लाख रुपया इन पर्यटक गृहों के लिए रखा है। ये तीन कार्यक्रम हमारे इस प्रदेश के लिए हैं और सामाजिक तथा अन्य मामलों की जो दूसरी चीजें हैं, जैसे स्कूल आदि हैं उन पर भी हमें ध्यान देना है।

वहां पर पर्वतीय क्षेत्र की एक विशेषता है, लोग गरीब हैं लेकिन शिक्षा के भूखे हैं। खाने के लिए उतनी चिन्ता नहीं है जितनी कि शिक्षा के लिए। हर कोई स्कूल चाहता है, उसका एक कारण है। उसका कारण है कि प्रारम्भ से ही लोग यह चाहते हैं कि लड़का पढ़ जाय तो उसको नौकरी मिल जायगी, अगर पहाड़ पर नहीं मिली तो दिल्ली, बम्बई आदि जगहों पर मिल जायगी। यह उनका विश्वास है और यह विश्वास उनके दिल में है। हर कोई कालेज और स्कूल चाहता है। आजकल इतनी मांग है कि लोगों ने चन्दा जमा कर स्कूल खोले हैं और मान्यता मांगते हैं। जुलाई से मान्यता के लिए दौड़ लगी हुई है। तो जितनी मांग है उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, परन्तु इस वर्ष हमने 162 प्राइमरी स्कूल इन 8 जिलों में और 62 जूनियर हाई स्कूल और 19 हाई स्कूल तथा 19 इण्टरमीडिएट कालेज खोलने का निश्चय किया है और इसके लिए प्राविधान किया है और जो प्राइमरी स्कूल हैं उनके भवन निर्माण के लिए यह प्राविधान किया है कि हर ब्लाक को एक लाख रुपया सालाना अनुदान के रूप में देंगे ताकि वह ब्लाक अपने क्षेत्र में इन प्राइमरी स्कूलों के भवनों का निर्माण करा सके। निर्माण चाहे वह जिस एजेंसी से करावे, चाहे वह स्वयं बनवाए या सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा बनवाए या और किसी अन्य तरीके से बनवाए। इसके अलावा 2 प्राविधिक स्कूलों को इस साल हमने खोलने का निश्चय किया है। कुछ स्कूल पहले से हैं, 8 स्कूल हैं और 2 इस साल हम खोल रहे हैं और उनकी भी मांग बढ़ रही है लेकिन इस वर्ष 2 ही खोलेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता विरोधी दल अपने साथियों के साथ गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं, वह इसको स्थगित करें।

एक सदस्य—

वह आपकी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता विरोधी दल अपने साथियों से गुप्त मन्त्रणा कर रहे हैं उसको बाद के लिए स्थगित कर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मन्त्रणा पर्वतीय विकास के बारे में कर रहे हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आपने जो बताया कि प्राविधिक स्कूल खोल रहे हैं तो यह कब से खोलेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

(माननीय मन्त्री जी से) आप चालू रखें।

श्री शोबन सिंह जीना--

जैसे ही अनुदान स्वीकार हो जायगा तुरन्त ही चालू कर देंगे। 12 अक्तूबर को यह बजट सेशन खत्म हो रहा है और उसके बाद ही चालू हो जायगा। और जो चिकित्सा की सुविधाओं की वहां कमी है और इसलिए भी कमी महसूस होती है क्योंकि यातायात के साधन बहुत कम हैं। एक गांव से दूसरे गांव में यद्यपि सीधी दूरी है कहने को तो एक मील है लेकिन जो रास्ता है वह ऊपर पहाड़ की चोटी से नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे इस तरह से वह एक मील की दूरी पांच मील की दूरी हो जाती है। तो इस तरह की विषम स्थलाकृति है वहां की जिसके कारण हमें अधिक संख्या स्कूलों की देनी पड़ती है, अस्पतालों की संख्या ज्यादा देनी पड़ती है। इसलिए हमने 39 एलोपैथिक अस्पताल इन 8 जिलों को दिए हैं और 20 आयुर्वेदिक अस्पताल दिए हैं जिनके लिए 1 करोड़ 10 लाख का प्राविधान किया गया है।

पेय-जल की समस्या पर्वतीय क्षेत्र में बड़ी विकट है। यद्यपि सारी नदियां इन पहाड़ों से निकलती है लेकिन पेय-जल की बहुत कमी है। बहुत कम गांव हैं जहां प्राकृतिक सुविधाएं है। अभी तक चौथी पंचवर्षीय योजना में और इस पंचम पंचवर्षीय योजना में हम 2,791 गांवों में पेय-जल दे सके हैं। 4,980 गांव ऐसे हैं जिनमें पेय-जल की सुविधा नहीं है। ऐसे-ऐसे गांव हैं जहां महिलाओं को दो-दो, ढाई-ढाई मील से पानी लाना पड़ता है क्योंकि पानी तो नीचे नदी में है और वहां से गर्मी के दिनों में ढाई-ढाई मील ऊपर पानी लाना पड़ता है।

पहाड़ी में एक कहावत कही जाती है "पाणी पेंचुआ" यानी जहां कोई पानी उधार लेता है अपने पड़ोसी से। जब उनके घर में कोई मेहमान आता है और घर में पानी कम है और पानी भी दो-तीन मील दूर से ही लाया जा सकता है तो अगर कोई महिला अपने पड़ोसी से दो लोटा पानी लाएगी तो दूसरे दिन उसे दो लोटा पानी देना पड़ेगा तो इन गांवों को भी हमें पानी देना है।

अभी तक हम 2,791 गांवों को पानी दे सके हैं और 4,980 गांवों को पानी नहीं दे पाए हैं अतः इस वर्ष 1,200 गांवों में पेय-जल की सुविधा पहुंचाने का प्राविधान किया गया है। हमने ऐसा कार्यक्रम बनाया है जिससे अगले 3-4 वर्षों में इन 4,980 गांवों को पानी दिया जा सके।

ग्रैविटेशन के सिद्धान्त से तो पानी ऊपर से नीचे पाइपों द्वारा पहुंचाया जा रहा है लेकिन हमने एक नई हाईड्रम योजना बनाई है। जहां पर नजदीक में 200, 300 फीट की दूरी पर नीचे पानी है तो इसके झरनों के पानी को हाईड्रम की शक्ति से ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से हम साल भर में इस योजना को लागू करना चाहते हैं। लेकिन इस वर्ष इस योजना को अमल में लाकर इस काम को करेंगे और अगले 3—4 वर्षों में बाकी 4,980 गांवों में पानी दे सकेंगे। कई गांवों में हम बिजली से पानी पम्प करके पहुंचाने की योजनाएं चला रहे हैं।

क्या हालत है पानी की ? जैसे श्रीनगर में पानी कितनी दूर मिलता है, नजदीक में पानी नहीं मिलता है। पौड़ी में 51 किलोमीटर से पानी आता है। वह भी पूरा नहीं पड़ा। स्रोत सूख गए और पौड़ी की जन संख्या के लिए पर्याप्त पानी वहां नहीं मिला। अब अलक-

नन्दा से बिजली से पानी पम्प करके 5 1/2 हजार फुट की ऊंचाई में पानी पहुंचाया जायगा तो वहां के लोगों को पानी मिल सकेगा। इसलिए इस वर्ष इस कार्य के लिए हमने 6 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है ताकि 1200 गांवों में हम पानी दे सकें।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, वहां पर स कों की जो मांग है और आवश्यकता है, वह भी अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। अभी वहां पर और सड़कों को आवश्यकता है और वास्तव में सड़कें ही पहाड़ी क्षेत्र के लिए जीवन रेखाएं हैं। वहां पर यातायात का द्रुतगति का कोई साधन नहीं है। वहां पर साइकिल, बैलगाड़ी या साइकिल रिक्शा नहीं चल सकता है। पावर ड्रिविन विहिकिल्स ही वहां पर चल सकते हैं। इसलिए मोटर सड़कें ही एक ऐसा साधन हैं जिनसे कुछ यातायात हो सकता है और वहां के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। थोड़े दिन पूर्व अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ तक मोटर रोड नहीं थी। अब 4 घंटे में आदमी वहां पर पहुंच जाता है। मैं स्वयं जब वहां पर रोड नहीं थी तो घोड़े पर बैठ कर और पैदल एक बार वहां गया था। मैं वहां पर 4 दिन में पहुंचा था। तो कहां 4 दिन और कहां 4 घंटे। वहां की मोबिलिटी का यह एक दृष्टान्त है। इसलिए वहां पर सड़कों की और आवश्यकता है। इसलिए इस वर्ष हमने 358 किलोमीटर सड़कों को बनाने का प्राविधान किया है। ये बन रही हैं और आशा है कि मार्च तक पूरी हो जायेंगी। 60 किलोमीटर सड़क को सुधारने का भी जो बनी हुई हैं, उनको वाइडन करने के लिए और पक्की करने और तार लगाने के लिए 14 करोड़ रुपए का प्राविधान इस वर्ष के बजट में किया गया है।

इसके अलावा गांवों में छोटे-छोटे गधेरों और नालों पर पुलों की जरूरत होती है। अगर वहां पर पुल न हों तो बरसात के दिनों में एक गांव से दूसरे गांव तक जाना और बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी कठिनाई हो जाती है। इसलिए इसके लिए भी हमने अपने इस वर्ष के बजट में प्राविधान किया है। हमने हर ब्लाक को 1 लाख रुपया दिया है ताकि वह ब्लाक के अन्दर जहां-जहां पर आवश्यकता हो छोटी पुलियां बनवा लें और रास्ते व बटियों को सुधार दें। तो इस तरह से वहां के गांवों की जिन्दगी कुछ और बेहतर हो जायगी।

कृषि की उन्नति के लिए हमने लघु सिंचाई की योजनाएं बनाई हैं। छोटी-छोटी गूलों के लिए भी, जिससे थोड़े से क्षेत्रफल में सिंचाई हो जाय, हमने 3 करोड़ 15 लाख रुपया 8 जिलों के लिए रखा है।

विद्युतीकरण का भी हमारा कार्यक्रम है। इस वर्ष वहां पर 620 गांवों को बिजली मिलेगी और 120 प्राइवेट नलकूपों को और पम्पिंग सेट्स को भी बिजली देने का हमारा प्रोग्राम है। वहां पर 100 किलोवाट का एक माइक्रो विद्युत पावर हाउस भी बनेगी। मैंने माननीय सदस्यों के सामने पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए बजट प्रस्तुत किया है और मुझे आशा है।

उद्योगों के लिए यह है कि हम यह कोशिश कर रहे हैं कि कुछ उद्योग तो हमारे निगमों द्वारा चलाए जा रहे हैं। कुमायूं विकास निगम, गढ़वाल विकास निगम—इनको हम पूंजी देते हैं और ये औद्योगीकरण का काम करते हैं, ऐसे उद्योग लगाते हैं जिनमें कुछ

[श्री शोबन सिंह जीना]

लोगों को रोजगार मिल सके। छोटे-छोटे उद्योग यदि गांवों में लगाए जायं तो कुछ सब्सिडी भी देते हैं। जो पिछड़े जिले उद्योग में 38 हैं उनमें से 6 जिले पहाड़ के भी हैं, वहां जितनी पूंजी लगती है उसकी 10 परसेन्ट सबसिडी देते हैं। साथ ही कच्चा माल और अन्य चीजें ढोने में परिवहन में जो खर्चा होता है उसमें भी सबसिडी देते हैं। अभी तो इतना ही प्राविधान है। निगमों के द्वारा कुछ इकाइयां लगाई गई हैं और भविष्य में भी लगाने का कार्यक्रम है, जैसा कि भोपाल में कुमायूं विकास निगम ने टेलीविजन सेट्स को असेम्बिल करने का एक कारखाना लगाया है। अच्छा काम कर रहा है। प्रोडक्शन इसी साल से शुरू हुआ है और उसको अभी हाल में 15 हजार टेस्ट का आर्डर एक फर्म ने दिया है। अभी तो उसमें 120 लोग काम कर रहे हैं और भी लोग काम करेंगे और उसकी आर्थिक हालत सुधर जायगी, निगम की। कुछ और भी इकाइयां हैं, काठगोदाम में उन्होंने अल्युमिनियम कन्डक्टर्स बनाने का कारखाना, पालिथीन बैग्ज, बार्ब्ड वायर्स का कारखाना है, जिसमें कुछ लोग काम में लग जायं। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि पर्वतीय गांवों में कुछ ऐसे छोटे-छोटे लघु उद्योग और इकाइयां लगाई जायं कि वहां के पढ़े-लिखे विद्यार्थी इधर-उधर न भटकें और सेल्फ एम्पलाएड हो जायं। ये उद्देश्य हैं, पूरे होने हैं।

तो मान्यवर, संक्षेप में मैंने इन 8 जिलों, जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं, उनकी आर्थिक हालत पिछड़ेपन की हालत और हमारा जो उसके लिए आर्थिक कार्यक्रम है उसका वर्णन किया। उन जिलों की भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन किया। प्रदेश के ये हमारे जिले उत्तरी सीमा पर स्थित हैं नागधिराज हिमालय है, जो आदि काल से हमारे भारत की रक्षा करता आया है। केवल दुश्मन से नहीं, बल्कि प्राकृतिक प्रकोप से भी, साइबेरियन विंड्ज से जो वहां की ठंडी हवाएं हैं। यह हिमालय प्रहरी के रूप में हमारा काम करता आया है, सेवा करता आया है। उसी के चरणों में फैली हुई पहाड़ीयों व पहाड़ों में ये पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिलों के निवासी रहते हैं। ये भी, मान्यवर, प्रहरी हमारी उत्तरी सीमा के हैं और प्रहरी का काम करते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि केवल वहां की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नहीं, केवल क्षेत्रीय विषमता के कम करने के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है कि इन 8 जिलों का जोकि सीमान्त जिले हैं, द्रुत गति से विकास हो।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह कितना समय और लेना चाहेंगे ?

श्री शोबन सिंह जीना—

मैं समाप्त कर रहा हूं, मान्यवर। मैं आशा करता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह सदन यह जो अनुदान की मांग हमने पेश की है इसको स्वीकार करेगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, यह संसदीय परम्परा की एक विचित्र परिपाटी है कि अगर मैं यह चाहूं कि पहाड़ों का बजट और अधिक होना चाहिए तो मुझे यह प्रस्ताव लाना पड़ेगा कि वह धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। देश को आजाद हुए 30 वर्ष हो गए और इन 30 वर्षों में पांच पंचवर्षीय योजनाएं इस देश के अन्दर चलाई गयीं--पांचवीं योजना चल रही है। लेकिन जिस ढंग से ये चलाई गयी, जो अर्थ-व्यवस्था इस देश के अन्दर चलाई गयी उसमें क्षेत्रीय असन्तुलन कम होने के बजाय और बढ़ा है। मेरे माननीय मित्र बैठे हैं समाजवादी विचारधारा के, शायद आचार्य नरेन्द्र देव की किताब भी पढ़ी होगी, सम्पूर्णानन्द जी की भी किताब पड़ी होगी। हर पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था का यह नियम है कि क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़े, असन्तुलित विकास हो। चाहे राष्ट्रीय पैमाने पर हो, चाहे अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर हो, पूंजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत विकसित और विकासशील देशों का अन्तर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी तरह देश के अन्दर पिछड़े हुए क्षेत्र और पिछड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़े हुए क्षेत्र और आगे जा रहे हैं। माननीय मन्त्री जी ने बताया कि पर्वतीय अंचल का क्षेत्रफल 51,122 किलोमीटर है और जनसंख्या 38 लाख 20 हजार है। लेकिन अब जनसंख्या 43 लाख 24 हजार हो गयी है। हिमालय के अन्दर जितने भी राज्य हैं कश्मीर से लेकर मिजोरम तक सबसे बड़ी जनसंख्या और सबसे बड़ा क्षेत्रफल हमारे पर्वतीय अंचल का है। जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या केवल 40 लाख है। इतना बड़ा क्षेत्रफल, इतनी बड़ी जनसंख्या और इसका जो पिछड़ापन है उसका अन्दाजा आप एक चीज से लगा सकते हैं। 86.1 प्रतिशत जनसंख्या देहात के अन्दर रहती है, कृषि के ऊपर निर्भर है और इनमें हालत यह है कि 5 लाख 96 हजार जोतें हैं जिनमें से 2 लाख 33 हजार जोतें ऐसी हैं जो .5 हेक्टेयर से भी कम हैं, यानी आधे हेक्टेयर से कम। अब ये 2 लाख 22 हजार परिवार किस तरह से अपना भरण-पोषण करते होंगे।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)--

श्रीमन्, कोरम पूरा है नहीं, हाउस में।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

यह तो पहाड़ की बदकिस्मती है।

(गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर)

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

नेता विरोधी दल जो पहाड़ के रहने वाले हैं वह स्वयं भी नहीं मौजूद हैं।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव--'

वह आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं।

श्री ऊदल—

नेता सदन भी तो नहीं बैठे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं यही निवेदन कर रहा था कि यह तो दुर्भाग्य है ही हमारे पर्वतीय क्षेत्र की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। खुशकिस्मती से माननीय मुख्य मन्त्री जी आ गए हैं। वह हमारी बात को सुनेंगे। हमारे पहाड़ी क्षेत्र के पिछड़ेपन की जो मैंने मिसाल दिया कि दो लाख 33 हजार परिवार केवल आधे हेक्टेयर से कम जमीन पर अपना गुजारा करते हैं। बदकिस्मती है। ईमानदारी के साथ कहता हूं कि पहाड़ वालों की बदकिस्मती है। इस प्रदेश के 4 मुख्य मन्त्री जी पहाड़ के रहे हैं। उत्तर प्रदेश का खजाना हेमवती नन्दन बहुगुणा जी ने लुटा दिया। नारायण दत्त तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश का खजाना पहाड़ के अन्दर लुटा दिया। हकीकत क्या है सन् 1974–75 में 21 करोड़ रुपये का बजट पहाड़ों के लिए रखा गया था और उस 21 करोड़ में 12 करोड़ रुपया केन्द्र का था उत्तर प्रदेश के खजाने से केवल 9 करोड़ रुपया मिला। 1975–76 में 23 करोड़ रुपये का बजट था। 23 करोड़ रुपये में से 12 करोड़ रुपया केन्द्र का और केवल 11 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के खजाने से हमको मिला। 1976–77 में 37.75 करोड़ रुपए का बजट था योजना के ऊपर, इसमें से 22 करोड़ रुपया केन्द्र का मिला, उत्तर प्रदेश के खजाने से केवल 15 करोड़ और इस वर्ष 1977–78 में 56 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन इस 56 करोड़ में से 27 करोड़ रुपया केन्द्र का है, उत्तर प्रदेश के खजाने का केवल 29 करोड़ रुपया। मजेदार बात क्या है, पहाड़ इनके ऊपर बोझ है। अकेले 1974–75 में 24 करोड़ रुपए की आय इस प्रदेश को जंगलों से हुई। जंगल आप जानते हैं पहाड़ों के अन्दर हैं। इन पहाड़ों के 24 करोड़ में से कम से कम अगर कुछ भी न लगाइए तो 12 करोड़ रुपया इन पर्वतीय जिलों ने उत्तर प्रदेश के खजाने को दिया। इसमें से 9 करोड़ रुपया इसको दिया। आपने हमारे ऊपर एहसान कर दिया। लुट गया पहाड़। पिछले वर्ष 37 करोड़ रुपए अकेले जंगल से आप को आमदनी हुई। इस साल मेरा ख्याल है कि 38 करोड़ रुपए होगी। 38 करोड़ रुपए में से कम से कम 30 करोड़ रुपए तो होगी ही।

इसके अलावा हमारे यहां से रेवेन्यू आता है, सेल्स टैक्स आता है और अन्य कर भी आते हैं। कौन सी आप हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं? पहाड़ के लोग भीख नहीं मांगते हैं और न आपसे हम चाहते हैं। हम तो अपना अधिकार मांगते हैं। यही नहीं आप तो कहते हैं कि पहाड़ आपके लिए बोझ हैं। और हम कहते हैं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं। अगर हमारे प्रदेश का यह अंचल अन्य भागों की तरह से एक स्वायत्त शासी राज्य होता तो मान्यवर, आज विकास की गति कुछ और होती। विकास की दिशा और होती। और इसलिए मांग की जा रही है कि पर्वतीय क्षेत्र एक अलग राज्य हो, पर्वतीय राज्य की मांग लगातार की जा रही है। मैं भी इस मांग को इस सदन के अन्दर दोहराता हूं। हकीकत क्या है? और भी पहाड़ी राज्य हैं जरा उनकी विकास की गति को देखिए और हमारे यहां की देखिए।

मान्यवर, पर्वतीय अंचल की आबादी 33 लाख की है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जो आपने फण्ड्स रखें हैं वह हैं 279.22 लाख रुपए। अगर इसका हिसाब लगाया जाय तो

प्रति व्यक्ति आता है 664 रुपयों के करीब। इतना बड़ा अंग है और केवल 664 रुपए प्रति व्यक्ति पांचवी पंचवर्षीय योजना में खर्च किया है। अब नागालैण्ड को देखिए, छोटा सा पहाड़ी राज्य है। जनसंख्या है केवल 5 लाख 16 हजार 449। योजना में खर्च किया गया है, 1974-75 की योजना में 14 करोड़ रुपए का बजट है। तो इस तरह से अगर प्रति व्यक्ति लगाया जाय तो 12 सौ रुपए प्रति व्यक्ति नागा लैण्ड में खर्च हो रहा है। जो बहुत छोटा राज्य है। मान्यवर, सिक्किम को देख लीजिए। जनसंख्या है केवल 2 लाख 8609। पांचवीं प्लान है 80 करोड़ रुपए का। 4 हजार रुपए प्रति व्यक्ति पांचवें प्लान में सिक्किम में खर्च किया जा रहा है। मान्यवर, मेघालय की जनसंख्या है 10 लाख 11699 पांचवें प्लान में एलोकेशन है 84 करोड़ 21 लाख रुपए का। प्रति व्यक्ति आता है 842 रुपया। मान्यवर, मेघालय छोटा सा राज्य है और जरा देखें, मीजोरम, जनसंख्या है 3 लाख 32,390। पांचवां प्लान है 45 करोड़ 59 लाख रुपए का। प्रति व्यक्ति 1,517 रुपए का हिसाब आता है।

(व्यवधान)

हम बनाने जा रहे हैं और बना के रहेंगे।

मान्यवर, अरुणांचल को देखिए, अभी जल्दी ही बना है। जन संख्या है 4 लाख 67,511। पांचवें प्लान का एलोकेशन है 63 करोड़ 30 लाख रुपए का। प्रति व्यक्ति बैठता है। 1582 रुपया। हिमांचल प्रदेश की जनसंख्या है 3480334। पांचवें प्लान का एलोकेशन है 231.14 करोड़ रुपए का। यानी 678 रुपए प्रति व्यक्ति। तो कौन सा अहसान आपका है हमारे ऊपर। क्या औचित्य है कि हम आपके साथ मिले रहें? मैंने आंकड़े दिखाए हैं। अलग रहते तो इसी तरह से 1500 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च किया जाता। जबकि आपके साथ रहने पर 484 रु0 प्रति व्यक्ति आपने खर्च किया।

हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय है 1,037 रुपये, जम्मू कश्मीर में 836 रुपये, मणिपुर में प्रति व्यक्ति आय है 684 रुपये। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी अंचलों की प्रति व्यक्ति आय सरकार जानबूझकर नहीं निकालती है। 1965 में काउंसिल आफ एप्लाईड इकोनामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया और उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के पहाड़ी राज्यों में प्रति व्यक्ति आय थी 284 रुपये जिसमें टेहरी गढ़वाल और चमोली में 129 रुपये, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में 176 रुपये थी जोकि हिदुस्तान में सबसे कम है। यह आंकड़े 1965 के हैं और अब 1976 है तो औसत यदि दूना भी हो गया तो 284 के बजाय 484 हो गया होगा। इसलिए पड़ोसी राज्यों में व्यक्तिगत आय बढ़ती जाती है लेकिन उत्तर प्रदेश पीछे हटता जा रहा है और जो हम हिमालय वासी हैं उनकी और भी दुर्गति होती जा रही है इन 30 वर्षों के अन्दर पर्वतीय क्षेत्र की लूट हुई है। ऐसा नहीं कि वहां पत्थर होता है बल्कि हमारे पर्वत सोने से लदे हुए हैं। हमारे वहां चीड़ और देवदार के जंगल हैं। हमारी धरती के अन्दर अमूल्य खनिज पदार्थ भरे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि उनका दोहन और शोषण किया जा रहा है और विकास पर्वतों का कभी नहीं किया गया बल्कि उत्तर प्रदेश के पूंजीपतियों ने पर्वत को लूटा है। वहां आपने कहां कारखाने खोले? मान्यवर, चीड़ के

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

जंगल हैं लेकिन कारखाने नहीं हैं। कारखाने सहारनपुर में खोले हैं और चीड़ को लुटाया जा रहा है बाजोरिया के मुनाफे के लिए। लीसा पर्वत में होता है लेकिन कारखाने बरेली में खोलते हैं। विमको मार्चिस का कारखाना वहां नहीं है बल्कि वह सीतापुर में है। यूक्लीपट्स का सौदा बिरला से हो रहा था। वह ऋषिकेश से टनकपुर में बेकार जा रहा है। वहां कोई आप सार्वजनिक क्षेत्र में कारखाना लगावें लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मैगनेसाइट अल्मोड़ा में भरा पड़ा है लेकिन टाटा जी उसको लूट रहे हैं। पहाड़ी जनता के लिए उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

मान्यवर, यही नहीं रामदत्त जोशी जी बैठे हैं, हमारी तराई की बस्ती की लूट मची है। किसने लूटा है। दिल्ली के अ दर जो आफिसर बैठे हैं। माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त जी ने 4 लाख एकड़ जमीन रखी थी कि हमारे पहाड़ में वे सैनिक जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं जब वह वापस आयेंगे तो उनको जमीन दी जायगी। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली के अन्दर जितने जनरल्स थे उन्होंने हजारों एकड़ भूमि अपने नाम तराई में करा ली। आपके उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने बड़े-बड़े अहलकार थे उन्होंने जमीन लूट ली।

एक मिसाल देना चाहता हूं। पंजाब के मजीठिया साहब भी तराई पहुंच गए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ही नहीं। मल्ला साहब आई0जी0 थे वह भी वहां पहुंच गए। अर्जुन सिंह जो एयर मार्शल रह चुके हैं वह भी तराई पहुंच गए। मान्यवर, एक सनवाल कमेटी बनी थी जिसने इस सारी चीजों का विवरण दिया है कि किस तरह से वहां जमीन की लूट हुई है। मैंने मुख्य मन्त्री जी से सवाल किया तो वह कहते हैं कि अगर हम बेदखल करेंगे तो वहां गृह युद्ध हो जायगा। हमारे यहां का खनिज पदार्थ लुट चुका, वन सम्पदा लुट चुकी। अब जब हम अपने अधिकार की मांग करते हैं तो आप कहते हैं कि वहां गृह युद्ध हो जायगा। आपकी पुलिस किस लिए है, फौज किस लिए है? मजदूर लड़ता है तो गोलियां चलती हैं। लेकिन इस काम के लिए आप कहते हैं कि वहां गृह युद्ध हो जायगा।

इसीलिए मान्यवर, अलग पर्वतीय राज्य की मांग होती आई है। सभी दलों ने इसका समर्थन किया लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ने हमारी आंखों में धूल डाली। गुप्ता जी की सरकार आई। उनकी पार्टी के लोगों ने पर्वतीय राज्य की मांग की। तो उन्होंने हमारे हाथ में जैसा नौटियाल जी कह रहे थे एक झुनझुना पकड़ा दिया पर्वतीय विकास परिषद। एक आध मीटिंग उसकी हुई लेकिन अब पता नहीं उसका क्या हाल है। मन्त्री जी ने निगमों की चर्चा की। पहले दोनों मंडलों का एक निगम था। पता नहीं किसकी बुद्धि में आया कि इनको लड़ाओ और इस तरह दो निगम बना दिए। एक कुमायूं निगम और दूसरा गढ़वाल निगम। यह भी उन्होंने बतलाया कि फलां-फलां उद्योग कर रहे हैं। मैं भी निगम का सदस्य हूं। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इनको देखें और विचार करें कि इनकी क्या नीति होनी चाहिए। केवल इंडस्ट्री लगाना इनके बस की बात नहीं है। आपने फलोद्यान के बारे में कहा। सेब की क्या हालत है। प्याज से भी सस्ता बिक रहा है। यह निगम अगर मार्केटिंग का काम करे तो अच्छा होगा और वहां की जनता को भी कुछ राहत मिल सकेगी।

पेय-जल की योजना के बारे में मन्त्री जी ने कहा। मेरा निवेदन है कि आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि जितनी योजनाएं एल0 एस0 जी0 ई0 डी0 ने बनवाई थीं अगर आप जांच करें तो यह पायेंगे कि 75 फीसदी ऐसी हैं जहां कि अभी तक पानी नहीं पहुंचा। और भी अनेक समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्कूल खुलें मास्टर भेजें लेकिन मास्टर जाता बाद में है तबादला पहले करवाने आता है। जितने भी कर्मचारी वहां जाते हैं वह थ्री पी वाले जाते हैं यानी या तो प्रोमोशन वाले या प्रोबेशन वाले या पनिशमेंट पाने वाले। यह लोग भी वहां रहना नहीं चाहते। पिछली सरकार ने एक प्राविधान किया था कि पहाड़ी क्षेत्र में नियुक्त कर्मचारियों को कुछ पर्वतीय भत्ता दिया जायगा या इंसेटिव दिया जायगा जिससे कि वह वहां रुचि से काम कर सकें। लेकिन आपने उसको खत्म कर दिया। मेरा निवेदन है कि आप कृपापूर्वक उसको फिर से लागू करें।

सिर्फ एक विभाग है, मान्यवर, यहीं के लिए कर्मचारी चाहते हैं कि जन्म भर पहाड़ में रहें और उस विभाग का नाम है सार्वजनिक निर्माण विभाग। मान्यवर, निर्माण कार्य पहाड़ों में चल रहा है। यहां 15 प्रतिशत कमीशन मिलता है। यह तो वहां के लिए बंधा है। यहां तक कि एक ठेकेदार ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी इस 15 प्रतिशत का मामला लिख दिया। उन्होंने इनकम टैक्स वालों से कहा कि यह तो सरकारी है, यह तो देना ही पड़ता है। तो इस महकमें की तरफ भी माननीय मन्त्री जी का ध्यान जाना चाहिए।

अन्त में मान्यवर, टेहरी बांध के बारे में कहना चाहता हूं कि यह इतनी बड़ी परियोजना है कि 1/7 भाग बिजली की सम्पूर्ति उत्तर प्रदेश के लिए टेहरी बांध से होगा। करीब 25,000 व्यक्ति वहां विस्थापति होने जा रहे हैं। 21 गांव डूबने जा रहे हैं। अफसोस है कि पर्वतीय विकास में उस परियोजना का कोई जिक्र नहीं है। न इस बात का ही जिक्र है कि वहां से विस्थापित लोगों के लिए क्या होना है, उनको कब हटाया जायगा, कहां बसाया जायगा, कितना मुआवजा दिया जायगा। कोई भी जिक्र नहीं है इतनी बड़ी परियोजना का।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं, मैं समझता हूं—हालांकि माननीय मन्त्री जी इस वक्त कुर्सी पर बैठे हैं मन्त्री जी के लिए यह कहना होगा—कि तमाम पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों, तमाम पर्वतीय क्षेत्र के राजनैतिक दलों और पर्वतीय क्षेत्र सामाजिक संगठनों की तरफ से एक मत में आवाज उठ रही है कि पृथक पर्वतीय राज्य होना चाहिए ताकि हम अपना नियोजन, विकास की योजना और अपनी विशेषता के आधार पर आगे बढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार से इस बात की सिफारिश करेगी कि पृथक पर्वतीय राज्य बनाना चाहिए।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय पर्वतीय विकास मन्त्री जी द्वारा जो परिव्यय प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में बोल रहा हूं और संक्षेप में एक बात कह देना चाहता हूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

कि माननीय नेगी जी ने जो कटौती का प्रश्न प्रस्तुत किया है, उस कटौती शब्द को छोड़कर बाकी जितनी भी भावनाएं यहां पर उन्होंने व्यक्त की हैं, मैं अक्षरश : उनके विचारों से अपनी सहमति देता हूं और उसका समर्थन करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पर्वतीय विकास के लिए पर्वतीय अंचल में बड़ी भारी आशा थी। परन्तु जैसा कि दिन-प्रति दिन देखा जा रहा है, जैसीकि कार्य की गति देखी जा रही है, जिस प्रकार का रवैया प्रदेश सरकार का इस क्षेत्र के लिए है, उससे सचमुच यह बात सही है कि पर्वतीय अंचल में अब पर्वतीय राज्य की मांग बढ़ती चली जा रही है।

अधिष्ठाता महोदय, जो यहां बजट प्रस्तुत किया गया है, मेरी जानकारी है कि 54 करोड़ 50 लाख का यह बजट है और परिपत्र पूरा होते-होते 7 महीने गुजर जायेंगे। रह जायेंगे केवल 5 महीने। इन 5 महीनों में, मान्यवर, इतना रुपया होना उपयुक्त हो सकेगा या नहीं, हमारे जितने विभाग हैं, उसको पूर्ण कर सकेंगे या नहीं, उसमें सन्देह ही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह रुपया तभी उनको मिल सकेगा। जहां तक केन्द्रीय सरकार का रुपए का प्रश्न है जब कि सारा का सारा रुपया खर्च कर दिया गया हो यदि किसी कारण मे यह रुपया खर्च न हुआ हो तो केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली सहायता की राशि में भी कटौती हो जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा दो लाख रुपए प्रति ब्लाक के हिसाब से यहां बताया गया है उसको बढ़ा कर पांच लाख रुपए कर दें। इस में अगर हम देखें तो 76 ब्लाक के हिसाब से अगर ज्यादा से ज्यादा भी खर्च हो तो तीन-चार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च नहीं है और ब्लाक के आधार पर यह कार्य बहुत अच्छी तरह किया जा सकता है।

मान्यवर, पी0 डब्लू0 डी0—पेय-जल, सिंचाई, बिजली, टूरिस्ट और उसके साथ, साथ शिक्षा के ऊपर धन प्रर्याप्त रूप से एलाट किया गया है परन्तु वहां विद्यालयों के भवन बनाने, सड़क बनाने में कुछ नहीं कहा गया है। वहां पर इस तरह का एक आदेश यहां से चला गया है कि पिछले वर्ष जितनी सड़कें स्वीकृत हुई थीं उन पर काम करना बिल्कुल बन्द कर दिया गया है और अब आगे क्या होगा भगवान जाने। मुझे लगता है कि यदि यही गति रही तो जो सड़कें वहां पर मंजूर हुई हैं वे पूरी नहीं हो सकेंगी। यहां पर कहा गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को पूरी आजादी नहीं है वहां पर काम करने की, इसलिए वे पूरा काम नहीं कर पाते लेकिन इन से काम लिया जाय तो वे अधिक से अधिक काम कर सकते हैं। लेकिन इस गति में जो शिथिलता आई है उससे न भवन बनेंगे और न सड़कें बनेंगी।

मान्यवर, नेगी जी ने जिन विषयों पर कहा है उन विषयों को दोहराकर मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं पर्वतीय विकास की जो कार्य क्षमता है, कार्य प्रणाली है उसके बारे में कुछ झलकियां देना उपयुक्त समझता हूं।

मान्यवर, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस समय हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जो सचिव, श्री भट्ट जी हैं वे निहायत ईमानदार हैं। परन्तु एक वर्ष पहले पर्वतीय अंचल के इस पर्वतीय विकास में क्या हुआ? मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि कुछ झलकियां देना चाहता हूं। एक लेखा सेल बनाया गया बिना एस0 ए0 डी0, प्रशासनिक सुधार विभाग के औपचारिक आदेश प्राप्त हुए। कैसा सेल बना? इस सेल में जो सब से कनिष्ठतम

अधिकारी थे उनको इसका लेखाधिकारी बना दिया गया। उसको इन्चार्ज बना दिया गया और इस इन्चार्ज को, मान्यवर, पचास रुपया प्रति महीना दे दिया गया और मैं आश्चर्य की बात और बताना चाहता हूं कि पचास रुपया प्रति माह दिया गया और 1,500 रुपए का मानदेय भी खुशी में दिया गया। इतनी खुशी हुई कि इनको 1,500 रुपए का मानदेय दिया गया।

मान्यवर, एक पत्रिका है मेरे पास। इसका नाम है पर्वता अंचल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश, इस पर्वतीय अंचल के कितने विधायकों ने इस पत्रिका को पढ़ा है। यह अंग्रेजी में भी निकलती है। तो मान्यवर, इसे छपवाने के लिए पर्वतीय विकास को लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में कोई प्रेस नहीं मिला और इसके लिए ढूंढी गयी नई दिल्ली में एक कानसिलेशन नामक एक संस्था को। मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है साढ़े सोलह हजार रुपए प्रति माह इसके लिए हमारे बजट से जाते हैं। वहां पर एक कैलरिज होटल है। क्या होता है वहां पर क्या नहीं होता है इसे कहना बड़ा दर्दनाक है। तो मान्यवर, पर्वत अंचलों का सुधार होगा यह मैं आप से अपेक्षा करता हूं।

मान्वयर, 'इगाडा' से भी रुपया लिया जाता है। इसके प्रबन्ध सम्पादक जो हैं वह सचिव हैं। एक आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूं कि 30 मार्च, 1977 को हमारे कोषागार से 6 हजार रुपया कंसीलियम में काम करने वालों को मानदेय के रूप में दिया गया। पुस्तकें खरीदी गयीं हजारों रुपए की लेकिन उनके रख-रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी। हमारा आलू सड़ रहा है लेकिन हिमांचल प्रदेश से आलू खरीदा गया। एक विनसर प्रोजेक्ट दिल्ली में बनाया गाया जिसमें हजारों रुपए खर्च किए गए। एक उपाय नाम की संस्था बनाई जा रही है जिस पर हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक गाड़ी यू0 टी0 सी0 4263 खरीदी गयी। इसके दफ्तर पर 2,400 रुपए प्रति माह खर्च किया जा रहा है। भवन का किराया ही 1,800 रुपए प्रति माह है और 12 हजार रुपए का फर्नीचर खरीदा गया जून, जुलाई, 1977 में और इसको चलाने के लिए एक कर्मचारी है जो लेखा इन्चार्ज है। यह बहुत अच्छी संस्था हो सकती है लेकिन आश्चर्य होगा यह जानकर कि यहां पर काम करने वाले कर्मचारी जो हैं उनको भी 1,200 रुपए का मानदेय दे दिया गया।

एक मोदी नामक व्यक्ति दिल्ली से गए जिनके इन्टरटेनमेन्ट पर 1 हजार रुपए खर्च किए गए। इसी तरह से 12 समाचार-पत्र खरीदे जाते हैं जो पहले नहीं खरीदे जाते थे। पहाड़ का एक भी अखबार नहीं खरीदा जाता। दो आदमी इसकी कटिंग के लिए रखे गए हैं। इस पर 120 रुपए से ज्यादा खर्च होता है। इस तरह से पर्वतीय अंचल में गत वर्ष खर्च किया गया। मेरा निवेदन है कि 3 अक्तूबर, 1976 से लेकर अब तक जितना भी लेखा-जोखा और व्यय है उसको एग्जामिन किया जाय तभी पर्वतीय विकास सम्बन्धी हित हो सकता है अयथा नहीं हो सकता।

श्री भगवती चरण 'निर्मोही' (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, पर्वतीय विकास के माननीय मन्त्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और जैसा उन्होंने अभी अपने वक्तव्य में कहा उससे हमें कुछ

[श्री भगवती चरण निर्मोही]

आशा बंधती है कि पर्वतों में आगे जा कर कुछ विकास होगा। वैसे विकास के नाम पर कहा जाय तो पहा ों का कुछ भी विकास नहीं हुआ भले ही यह कहा जाय कि तमाम रुपया पहाड़ों में चला गया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहां एक भी रुपया न दिया जाय और इन 8 जिलों में दो-दो किलोमीटर रेल की लाइन बना दी जाय प्रति वर्ष। अब इसका विश्लेषण आप करें कि प्रदेश में जितनी रेलवे लाइन बनती है, जितनी बिजली की खपत है उसका 100वां हिस्सा पहा ड़ों पर खर्च नहीं होता। मैं कुछ बातों की ओर माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी यह घोषणा की गयी कि 3.1/8 एकड़ भूमि पर छूट दे दी गयी है। यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन पहा ों में इसके साथ-साथ एक विकास कर भी लगा हुआ है। किसान उस कर से परेशान है। अगर विकास हो और औसत आय किसान की बढ़ जाय तो कर देना बुरी बात नहीं है लेकिन विकास हुआ नहीं और कर लगा दिया जिससे किसान परेशान हैं। वहां पर भूमि मैं आपको बताऊं कि पहले चार प्रकार की हुआ करती थी--अब्बल, दोयम, तलाऊ और कुटीर लेकिन अब क्या कर दिया गया है ? अब दो ही कर दी गई हैं--सिंचित और असिंचित। असिंचित भूमि जहां कुछ भी पैदा नहीं होता हमारे यहां म ड़वा और गहत पैदा होता है लेकिन जहां कुछ भी पैदा नहीं होता है वहां भी भू-राजस्व उतना ही है जितना कि जहां पर कुछ पैदा होता है। यह विभाजन बिल्कुल गलत हुआ है।

सड़कें बनीं और लोगों ने सोचा कि विकास होगा लेकिन मैं मन्त्री जी का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन स ड़कों के बनने से नीचे की जो भूमि थी वह इतनी बरबाद हो गई है कि किसान भूख से मरने लगे हैं। क्या हुआ कि ऊंचे में जहां-जहां मोटर स ड़क गई वहां पर तो मुआवजा कुछ मिल गया लेकिन जो उसके नीचे की जमीनें थीं वह दब गईं और वहां के लोग खानाबदोश हो गए, उनको एक कौड़ी भी मुआवजा नहीं मिला। मैं पर्वतीय विकास मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं यह महत्वपूर्ण मसला है। अगर वहां के किसानों को कुछ राहत देनी है तो इस ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

मान्यवर, निगमों की बात कही जाती है--जल निगम है या अन्य दूसरे निगम हैं लेकिन मैं कह दूं कि वह निगम साधारण जनता के लिए अगम हो गए हैं। हम लोग जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं--मैं कहना चाहता हूं कि--

मैं वह बुलबुल हूं कि सय्याद ने दिल मेरा बहलाया,
लगा कर ढेर फूलों का कफस के रू-ब-रू बरसों'

इसीलिए हमको पृथक पर्वतीय राज्य का नारा लगाना पड़ा। हम चाहते हैं कि हम पृथक ही हों जायं तो अच्छा है, हालांकि पृथक होना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब कुचले जाते हैं और उसका विकास रुक जाता है तो यह स्वाभाविक है कि हम पृथक होना ही अच्छा समझते हैं :—

"मरी बज्म में राज की बात कह दी,
बड़ा बे अदब हूं सज़ा चाहता हूं"

श्रीमन्, मैं देहात का निवासी हूं इसलिए मेरा ध्यान देहात की ओर जाता है। हमारे यहां पुरातत्व विभाग भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों के हैं और ये पुरानी चीजों का संग्रह करते हैं। आज कल हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है लेकिन हिन्दी के जो अंग हैं या जो दूसरे प्रत्यंग हैं उनके विकास की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। मैंने पिछले दिनों भी कहा था। हमारे यहां ग्रामीण अंचलों में पंवाड़े और भटगाईं होते थे जो हमारे इतिहास की कड़ी हैं जो कि अब लुप्तप्राय हो रहे हैं क्योंकि जो परम्परागत गायक थे वह मर गए हैं या कुछ मरने वाले हैं। मैंने कहा था कि जहां अन्य बातों पर खर्च किया जा रहा है वहां इस निधि पर भी कुछ खर्च किया जाय और उसकी रक्षा की जाय ताकि वह प्रदेश की संपित्त बन जाय और हमारा इतिहास भी सुरक्षित हो सके।

श्रीमन्, सड़कों की और बागबानी की बात अभी पर्वतीय विकास मन्त्री जी ने कही। उन्होंने अच्छी बात कही। वहां पर इतना रुपया बागवानी पर खर्च होगा, बगीचे लगेंगे, वहां फल भी होंगे। लेकिन उन फलों को मारकेट तक कैसे पहुंचाया जाएगा? वहां पर सड़कें हैं नहीं। रेल और मोटरों तक लाने के लिए कुलियों पर लाद कर लाने के लिए 20 रुपया मन के हिसाब से मारकेट तक ले जायेंगे। वह फल वहां कैसे बिकेंगे, कैसे टिक सकेंगे ? वहां यह अजीब समस्या है। तो मेरा अनुरोध यह है कि बागवानी की व्यवस्था और उद्यानों की व्यवस्था करने से पूर्व इस बात का प्रबन्ध किया जाए कि वहां पर यातायात के साधन हों, सड़कें बने, ताकि वहां जो उद्योग खुलें, वे पनपें और उनकी बिक्री का प्रबन्ध हो सके। मेरा कहना है कि आज तक पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी उद्योग नहीं लगा है, शायद दो-चार उद्योग शहरों में भले ही लग गए हों। इससे ग्रामीण अंचलों की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है और न उनकी औसत आय बढ़ी है। हमारे यहां चाय पीने की लोगों में आदत है, क्योंकि ठण्डा प्रदेश है। लेकिन आज वहां के आदमी 5 रुपया किलो चीनी ले रहे हैं। उसकी आमदनी कुछ नहीं है, लेकिन उसे चाय के लिए महंगी चीनी मजबूरन लेनी पड़ती है। वह चाय अपनी छोड़ नहीं सकते हैं। चाय नहीं पीते हैं तो वह बीमार हो जाते हैं। वहां ईख नहीं पैदा होती है, वहां का आदमी यह तक नहीं जानता है कि गन्ने का पेड़ कैसा होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां चीनी की मात्रा बढ़ाई जाए। वहां चीनी बहुत कम मिल रही है, मार्केट से लोग मंहगी चीनी खरीद नहीं पाते हैं।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

इसमें पर्वतीय क्षेत्र विकास के सम्बन्ध में जो प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव है, उसका मैं समर्थन करता हूं और इसके पहले कि मैं आगे कुछ कहूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना काम इन क्षेत्रों में हुआ है 4-5 वर्षों में, सही मायनों में उसका मूल्यांकन हो जाना चाहिए। यह पुस्तिका जो बंटी है, उसमें अगर रुपयों के आंकड़े देखे जाएं तो इस से पता चलता है कि केवल 4 वर्ष पूर्व जो 20 करोड़ रुपया खर्च होता था और जो पिछले साल केवल 37 करोड़ रुपये का प्राविधान था, जिसमें 42 करोड़ रुपया खर्च हो गया, उस पर अब 56 करोड़ रुपया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधर मिश्र]

रखा गया है। जहां तक बजट का सवाल है, रुपए में हर साल बढ़ोत्तरी होती है। 37 से इस साल 56 हुआ, करीब-करीब 19 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है।

यह खुशी की बात है कि 3/4 वर्ष में पर्वतीय विकास पर ब ा ध्यान दिया गया है। अभी एक सदस्य ने कहा है कि जो हुआ है वह नाकाफी है और ठीक से नहीं हुआ है। हम लोग जो पहाड़ के रहने वाले नहीं हैं, केवल सरकार से यही मांग कर सकते हैं कि सही मायनों में राज्य सरकार द्वारा यह मूल्यांकन होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि पैसा बर्बाद हो रहा है और 56 करोड़ रुपया फिर इस साल बर्बाद हो जाए। लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं हूं। पहा ी जिले जो आज हैं, उनमें केवल 12-14 फीसदी में क्षेत्रफल ऐसा है, जिसमें खेती होती है। हमारे प्रदेश में करीब-करीब 70 प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है और जबकि देश में 45 प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है। पहाड़ों पर केवल 14 फीसदी जमीन ऐसी है जो कृषि योग्य है और वह भी इस तरह की है कि उस पर सिंचाई के साधन नहीं हैं। स्प्रिंक्लर्स वगैरह की जो बात है, उस पर आदमी कोई कार्य कर नहीं सकता है उसके लिए तो सरकारी प्रयास ही हो सकता है। पहाड़ों की समस्यायें दूसरी हैं और मैदानों की दूसरी हैं। मैदान में व्यक्ति भी कुयें खुदवा सकता है या नलकूप लगवा सकता है, लेकिन पहाड में यदि कोई ऐसा करना चाहे तो वह असम्भव के बराबर है। इसलिए भूतपूर्व राज्य सरकार ने और वर्तमान राज्य सरकार ने प्राविधान जो किया है, इलाकों की तरक्की हो, यह बहुत आवश्यक है, वरना उसका पड़ोसी इलाका हिमांचल प्रदेश है। यह मांग बराबर उठती जायगी, क्योंकि प्रदेश भी तुलनात्मक हैं और क्षेत्र भी तुलनात्मक हैं। वहां के लोग बगल में हिमांचल प्रदेश में जाते हैं। मैंने जाकर देखा है, वहां अच्छे मेंब, अच्छे उद्योग, अच्छे के मानी यहां की तुलना में मैंने अच्छे कहा वहां कुछ अच्छी सड़कें हों, यहां से ज्यादा सुविधाएं हों, तो क्या कारण है कि यहां वे न प्राप्त हो सकें। हमें एक साल में नहीं तो कम से कम वर्तमान सरकार की वर्तमान अविध में, छः वर्ष मे या पांच वर्ष अगर हो जाय तो पांच वर्ष में सचमुच एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जो सचमुच नया काश्मीर हमारे लिए बन सकता है, उत्तर प्रदेश के लिए।

मैं आपको सुझाव देता हूं। रेल की व्यवस्था के लिए भारत सरकार से, कहिए, लड़िए, आपके मुख्य मन्त्री लड़ें, पूरी सरकार लड़े। आपके पास 7 का फ्लीट है, हवाई जहाजों का, दो हैलीकाप्टर हैं। 14 फीसदी जमीन पर खेती होती है वहां 86 फीसदी जमीन पर जंगल हैं। आबादी बहुत सीमित है। यहां प्रति मील पर 380, 885, 280 आबादी है जब कि वहां आबादी 70, 40 और 20 है। यह केवल जरूरी नहीं है कि केवल वह हमारे पास पहुंचे। जरूरी है कि हम भी वहां पहुंचे, देश पहुंचें, उत्तर प्रदेश पहुंचे। उसके लिए जरूरी है कि रेल पहुंचे, बसे पहुचें। उत्तर प्रदेश को हेलिकाप्टर सर्विस सब्सिडाइज करके शुरू करनी चाहिए। दस हेलीकाप्टर की सर्विस कर दें। एक करो ; रुपया या जितना लगे, लगा कर सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कुछ पैसा लेकर करे और रेलवे भाड़े के मुताबिक किराया लें। आप कैपिटल एक्सपेन्डीचर के अलावा, 15 लाख, 10 लाख रुपया सालाना खर्च करें। पांच दस वर्ष में आवागमन से जो प्रगति होगी, जो लोगों का विकास होगा, दिमागों का विकास होगा, वह पर्वतीय क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ा होगा।

अंग्रेजों के जमाने में सजा के लिए अडंमन भेज दिया करते थे। आज उत्तर प्रदेश के जिस अफसर को सजा देनी है पहाड़ के इलाके में भेज दिया जाय। मैं जानता हूं कि पुरानी सरकार ने भेजा और यह सरकार भी करेगी। ऐसी स्थिति लायी जाय कि सब इलाके बराबर हो जायं, चाहे पूर्व का हो, चाहे पश्चिम का हो। इस समय पर्वतीय की बात हो रही है। आपके जरिए मैं कहूंगा कि यहां छोटे-मोटे कामों से प्रगति नहीं होगी। बहुत बड़े-बड़े काम आपको करने होंगे। माननीय मान सिंह जी सुन लें, क्या करना होगा। वह यह है इस देश और प्रदेश में उनकी बहुत कमी है। उनका कार्य बहुत होता है, जैसे गलीचा बनता है, उसमें काफी ऊन लगती है। ऊन के निर्यात की जगह आयात की स्थिति आ गयी है। क्यों नहीं भेड़ों को पाल कर 10-5 करोड़ का ऊन इन इलाकों में पैदा करे ?

दूसरे यह हो सकता है कि इन्हीं लोगों में जैसे कश्मीर में पशमीना है, वाराणसी और मिर्जापुर में गलीचे का है। तो यहां पर यह गलीचे के छोटे-मोटे कारखाने क्यों न खोल दिए जाये जैसे कि महाराष्ट्र ने किया है और दुग्धशालायें खोली हैं यहां पर छोटे जानवर जैसे गाय वगैरह बहुत है। मुझे पहाड़ी इलाकों में जाने का अवसर मिला था उनकी अच्छी नस्ल करके दुग्धशालायें खोल दी जायें, चिलिंग सेन्टर्स खोल दिए जायें और किसी स्कीम के जरिए योजना बना दी जाए तो कोई कारण नहीं है कि 5-10 वर्ष में इस इलाके का उत्थान न हो जाए। आपकी लाल बत्ती के कारण मैं एक बात कहकर समाप्त करूंगा। जैसा जोर इस पुस्तक में दिखाई देता है, इस इलाके को गेहूं और चावल से विकसित नहीं किया जा सकता है।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—
कैसे होने वाला है ?

श्री श्यामधर मिश्र—
होने वाला है जब कैश क्राप पैदा होगी। वहां सेव और फल तथा फूल की पैदावार होगी। थोड़ी हुई भी है। मैं नहीं कहता कि नहीं हुई और पर्यटन का काम हो आप टूरिस्ट सेन्टर्स को डेवलप कर सकते हैं। जो रुपया दिया जाता है वह अगर सही माने में खर्च हो जाए तो विकास हो सकता है। बिजली, सड़कों और दुग्धालय पर रुपया खर्च हो तो मैं कह सकता हूं कि इस पर्वतीय क्षेत्र के विकास से पूरे प्रदेश का विकास हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता—
मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि चूंकि यह अनुदान पर्वतीय विकास से सम्बन्धित है इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों के माननीय सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इसके माने यह नहीं है कि मैदानी क्षेत्र के माननीय सदस्यों को कोई समय दिया ही न जाए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य स्लिप भेज देते हैं उसकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट होती है लेकिन जो उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं वह स्पष्ट नहीं होते हैं जिससे माननीय सदस्य का नाम बुलाने में कठिनाई होती है, तो कृपा कर स्लिप पर जो हस्ताक्षर किया करें वह स्पष्ट हो।

*श्री शतरूद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और उसका स्वागत करता हूं और नेगी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरी राय है कि अगर अंग्रेज इस देश में न आए होते तो पहाड़ों का विकास न हुआ होता। मेरी राय में पर्वतीय क्षेत्र इस सूबे में वह इलाके हैं जहां पर बर्फ गिरा करती है और बर्फ से पहाड़ ढके रहते हैं। कुछ ऐसे ....

श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

कोरम पूरा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं जांच करता हूं कि कोरम है या हीं ? कोरम पूरा नहीं है। घंटी बजायी जाय।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुन : आरम्भ हुई)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

तो मान्यवर, मैं अपनी बात कह रहा था कि इस उत्तर प्रदेश में ऐसे भी पहाड़ी इलाके हैं जहां पर पहाड़ बर्फ से ढके नहीं रहते हैं बल्कि सर्दी भी नहीं पड़ा करती है। नैनीताल, पिथौरागढ़ और उत्तर काशी आदि ऐसे पहाड़ी स्थान है, जहां अंग्रेज गर्मी के दिनों में अपने दफ्तरों को ले जाया करते थे तो वहां पर तो कुछ विकास हो गया है लेकिन उस विकास की तुलना में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के दक्षिणांचल को यदि देखा जाए तो वहां विकास नाम का भी नहीं हुआ है। रेनूकोट, ओबरा, राबर्ट्सगंज, चुनार या ऐसे ही और पहाड़ी इलाके हैं। ओबरा में बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक और थर्मल पावर स्टेशन जरूर खोल दिए गए हैं तथा कुछ बड़े-बड़े कारखाने भी लगा दिए गए हैं। यहां मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा मान्यवर, कि जिस तरह से बिहार में बड़े-बड़े कारखाने हैं लेकिन बिहार की जनता भूखी है, वहां के निवासी गरीब के गरीब हैं। मिर्जापुर के दक्षिणांचल में बड़े-बड़े बिजलीघर और कारखाने जरूर हैं लेकिन वहां के मूल निवासी आज भी गरीब हैं।

एक जगह है मान्यवर, चुनार। जहां पर पहाड़ों से निकले पत्थर से बड़े पैमाने पर खिलौने बनाए जाते है लेकिन अगर सरकार इस सम्बन्ध में ध्यान दे तो उन खिलौनों के निर्माण के लिए कुटीर उद्योग एवं हथ-करघे जैसे उद्योगों की स्थापना करके वहां की गरीब जनता को रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

इसी तरह से एक जगह है राबर्ट्सगंज। इस इलाके का नाम एक अंग्रेज के नाम पर रख दिया गया। मैं चाहूंगा कि इस स्थान का नाम बदल कर "विजय काशी" रख दिया जाय। वहां पर अभी भी अंग्रेजियत की बू आ रही है। वहां के लोगों की यह बराबर मांग रही है कि इस स्थान का नाम बदल कर "विजय काशी" रख दिय जाए। यहां एक भी महिला अस्पताल की व्यवस्था नहीं है यदि कोई महिला बीमार हो जाए तो उसे मिर्जापुर ले जाना पड़ता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। इस तरह से राबर्ट्सगंज में चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में अब लोगों ने कपड़ा पहनना शुरू किया है। वहां के लोग पिछड़े हुए हैं। तो आज मौजूदा सरकार और केन्द्र सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों का सुधार करने पर लगी हुई है तो मिर्जापुर के दक्षिणांचल क्षेत्र का भी सर्वेक्षण करायें तो पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश के इस इलाके में, यहां की धरा के गर्भ में जो खनिज सम्पदा है, मिनरल्स हैं, की खोज कराई जाए। इनसे कितनी उन्नति हो सकती है।

मैं माननीय पर्वतीय विकास मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि पहाड़ों के नाम पर पर्वतीय विकास के नाम पर केवल उन इलाकों को बढ़ाने का काम न करें जहां के पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं बल्कि उन पहाड़ी इलाकों का भी विकास किया जाए, जहां पहाड़ों पर गर्मी पड़ती है। श्रीमन्, मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार पंडित नेहरू ने कहा था कि राबर्ट्सगंज को उत्तर प्रदेश का स्विटजर लैन्ड बनाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ पुन: बता दूं कि यदि यहां की असीम खनिज सम्पदा का उपयोग किया जाए, उसका सर्वेक्षण कराया जाए तो मिर्जापुर का दक्षिणांचल ही नहीं पूरे पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिल सकती है। तो मान्यवर, मैं चाहूंगा कि चुनार, रेणुकूट और ओबरा का भू-भौतिकीय और भू-भौगौलिक सर्वेक्षण कराया जाय ताकि बहुत सी नयी बातें प्रकाश, में आ सकें। मैं अन्त में पुन: माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस इलाके का भू-भौतकीय और भू-भौगोलिक सर्वेक्षण करायें ताकि विकास के नए मार्ग प्रशस्त हों।

श्री कमल किशन पाण्डेय (जिला पिथौरागढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस ग्रान्ट के सिलसिले में बोलने का मौका दिया ताकि मैं इस पर्वतीय विकास के सम्बन्ध में हमारे माननीय मन्त्री जी ने जो अनुरोध किया है उसका भी समर्थन कर सकूं।

यह सही है और इसकी आवश्यकता भी है कि पर्वतीय विकास के लिए एक अलग से विभाग हो क्योंकि इसमें बहुत सी भौगोलिक कठिनाइयां हैं। एक तो यह है कि पर्वतीय विकास के लिए यह भी सोचना पड़ता है कि कहीं उसका उल्टा असर मैदानी इलाकों में न पड़े। पर्वतीय क्षेत्र में केवल 14 प्रतिशत भूमि ऐसी है जो कृषि योग्य है। इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। पहला भौगोलिक कारण है जिस पर किसी का बस नहीं है और दूसरा कारण यह है कि अगर इस क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो हमें वहां पर वनों को काटना पड़ता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका उल्टा असर मैदानी क्षेत्रों में पड़ेगा। हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां हमारी बड़ी-बड़ी नदियां हैं, उनके कैचमैंट एरिया हैं। और वनों में पेड़ों का एक कार्य होता है कि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वे पानी को रोकती हैं जिससे प्लेन्सा में फ्लैश फ्लड नहीं आता है? अगर वनों में पेड़ों को काट कर कृषि योग्य उस इलाके को बनाया जाय तो फ्लैश फ्लड्स मैदानों में अवश्य आ जायंगे।

इसके अलावा पहाड़ों में ऐसी भी योजनायें हैं जिनका ज्यादातर लाभ मैदानी इलाकों को ही मिलता है। जैसे टिहरी डैम बन रहा है। इसके निर्माण के दौरान तो भले

[श्री कमल किशन पा डेय]

ही वहां के लोगों को कुछ रोजगार मिल जाए और इसी प्रकार से एक और बांध, जमरानी, बनाया जा रहा है। जब तक वह पूरा नहीं होता है तब तक भले ही वहां पर कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए लेकिन बाद में उसका फायदा मैदानी इलाके के लोगों को ही मिलेगा। क्योंकि हमारे विकास का जो सरल ढंग है, उसको नहीं अपनाया जा सकता है, उसके लिए टेढ़ा रास्ता ही अपनाया है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि इसके लिए कुछ विशेष प्राविधान किया जाय। जैसा कि अभी माननीय नेगी जी ने बताया था कि इस बजट में 27 करोड़ रुपया तो केन्द्रीय सरकार से मिला है और कम से कम 25 करोड़ रुपया हमने स्वयं ही अपने वन विभाग आदि के उत्पादन से एकत्रित किया है। तो इस हिसाब से 4 करोड रुपए का ही अनुदान राज्य सरकार से हमको मिल रहा है और यह भी घट घटाकर एक करोड़ रह जायगा, क्योंकि और भी बहुत से आय के साधन हैं जैसे लैन्ड रेवेन्यू आदि।

साथ में पहाड़ी क्षेत्रों में जो सरकारी अधिकारी पोस्ट होते हैं, उनको प्लान फंड से ही रुपया दिया जाता है क्योंकि यह कहा जाता है कि जो प्लान वहां पर चल रही है, उनको ये कैरी आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से 10 प्रतिशत के करीब उसमें से पैसा सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में ही चला जाता है। एक तरह से देखा जाय तो राज्य सरकार का कोई ठोस अनुदान पर्वतीय विकास की तरफ नहीं है। पहले तो मैं आशा करूंगा और माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगले सत्र मे एक मैचिंग ग्रान्ट राज्य सरकार से भी दिलवाने का कष्ट करें, ताकि हमारा विकास जल्दी से हो सके।

दूसरी तरफ श्रीमन्, कई बार कई माननीय सदस्यों ने उस तरफ ध्यान आकर्षित किया है, पिछले 30 साल में जो पर्वतीय एरिया में विकास हुआ है, वह एक विकल्प से कहा जा सकता है कि "लालीपाप डेवलपमेंट" है। उसमें कोई ठोस किसी किस्म का प्लान नहीं बना है। अगर हमने हल्ला कर दिया तो स्कूल दे दिया, फिर शोर मचाया तो दूसरी तरफ सड़क दे दी, लेकिन कोई प्लान बनाकर किसी निश्चित उद्देश्य से आगे कार्य नहीं हुआ है ताकि इलाकों का डेवलपमेंट हो सके। उसका नतीजा यह है कि पैसा खर्च होता है पर कोई रिजल्ट नहीं आता। जैसा कि श्यामवर मिश्र जी ने कहा था कि मूल सिद्धान्त यह होना चाहिए कि जो अभी तक सीजनल क्राप्स है जैसे व्हीट और पैदी इत्यादि, इनके उत्पादन से पहाड़ का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि भौगोलिक कारणों से इनकी पहाड़ में पैदावार अच्छी नहीं हो सकती तो इसके लिए जरूरी है कि क्रोप पेटर्न बदला जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त। श्री इन्द्रमणी।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे केवल 5 मिनट का टाइम ही दे दीजिए, औरों को आपने 10 मिनट का समय दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं विचार करूंगा।

*श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया है। श्रीमन्, आज जो बजट पेश हुआ है वह पिछड़े हुए क्षेत्रों का और विशेष क्षेत्रों का तो मेरा तो कहना है कि उत्तर प्रदेश सारा ही पिछड़ा हुआ है। इसकी आमदनी जैसा कि वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, इससे पहले हिन्दुस्तान में सब से आगे थी, वह उत्तर प्रदेश आज सब से पीछे रह गया है। तो इस प्रदेश का वह भू-भाग जहां से गंगोत्री, यमुनोत्री, रामगंगा, गोमती निकलती हैं और जहां के नैनीताल, मसूरी, रानीखेत आदि ऐसे स्थान हों, चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ जो भारत की संस्कृति के केन्द्र रहा हो वह आज पिछड़ा हुआ हो और उसके लिए हम बहस कर रहे हैं वह समस्त उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए शर्म की बात है। लेकिन फिर भी आप सब के प्रयास से यहां पर पहले विकास परिषद् बना था। परिषद् के लिए जब लोगों ने कहा कि यह एक खिलौना है तो वह पर्वतीय विकास मन्त्रालय बना। लेकिन मेरे ख्याल से यह भी खिलौना मात्र ही है, क्योंकि इसके अधिकारी जब मन्त्री जी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम आपकी अप्लीकेशन, प्रार्थना-पत्र को किसी विभाग तक पहुंचा सकते हैं, निर्णय उस पर विभाग लेगा। तो यह भी बास्तव में एक खिलौना के रूप में है और कब तक इससे खेलते हैं यह हमको देखना है।

जहां तक 8 जिलों की समस्या की बात है, स्वयं उन्होंने इस किताब में लिखा है और यहां हमारे नेगी जी ने कहा है लेकिन इस किताब में उन्होंने लिखा है कि क्या समस्या है क्षेत्र की कि अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। कृषि योग्य भूमि सीमित तथा अलाभकर कुल पर्वतीय क्षेत्र की 14 परसेन्ट ही है। यह सही है कि पर्वतीय जिलों में उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब प्रश्न यह है कि इन 8 जिलों के लिए जो 56 करोड़ रुपया दिया गया है उसका आधार भी हमको समझना है। एक मैदानी साथी बोल रहे थे कि 56 करोड़ रुपया दिया गया है तो नेगी जी ने आंकड़े दे दिए कि कश्मीर से लेकर, आसाम से लेकर जितने पहाड़ के लोग हैं उनके अलग प्रान्त हैं और उन सब को मैं समझता हूं कि 3 लाख का जो अरुणांचल है उसकी भी 97 करोड़ वार्षिक की योजना है। इसी तरह से हिमांचल लीजिए, या कश्मीर लीजिए। लेकिन हम आपके साथ हैं। हमको 56 करोड़ रुपया मिल गया तो आप कहते हैं कि यह बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात सोच लीजिए। आपका मैदान सिंचित नहीं हो सकता अगर पहाड़ का विकास सही नहीं हुआ। जंगल कट गए, इसके साथ ही नदियों में पानी कम हो गया, आपके कारखाने बन्द, आपकी सिंचाई बन्द। जंगल कटेंगे, बाढ़ आएगी, मिर्जापुर डूबेगा, घाघरा में बाढ़ आएगी, आप तबाह हो जायेंगे। इसलिए आप लोग इसको खाली पर्वतीय मामला न समझिए। यह तो हम सब का कर्त्तव्य है कि इस ओर ध्यान दें और यह समस्त उत्तरी भारत का प्रोग्राम है ताकि इन जिलों का सही ढंग के विकास हो जिससे आपके यहां सूखे में पानी की कमी न रहे, बाढ़ न आए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्र मणी बड़ौनी]

अब प्रश्न इस बात का है कि जो यह 56 करोड़ की योजना आपने बनायी है, जो बजट आप हमारे सामने लाए हैं क्या यह बजट जो बात आपने अपनी किताब में कही है उसको पूरा कर सकता है। एक बात मैं पर्वतीय विकास मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि इसको पास कौन करता है ? इसमें लिखा है पर्वतीय सड़कों के लिए इतना रुपया, पर्वतीय स्कूलों के लिए इतना रुपया, लेकिन उसके साथ हुआ क्या ? पर्वतीय लोगों ने जो सड़क 1 नम्बर पर रखी थी उसको छोड़ कर मन्त्री जी ने 16 नम्बर की मन्जूर कर दी।

(इस समय 3 बजकर 52 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन : पीठासीन हुए।)

आप एक तन्त्र की तरफ इस बजट को लिए जा रहे हैं। आपके पास एक किताब होनी चाहिए जिसमें हर सड़क, हर स्कूल का नाम होना चाहिए ताकि जो धन हम खर्च करते हैं इस विधान सभा में उसका पूरा लेखा-जोखा आना चाहिए। और यही कारण था कि जो रुपया इसके लिए मिला वह सारे का सारा माननीय नारायण दत्त जी ने काशीपुर और हल्द्वानी में लगा दिया। इसी तरह बलदेव सिह जी आर्य ने सारी सड़कों का रुपया कुछ खास इलाकों में खर्च कर दिया। शायद वह समझते थे कि उन्हें वोट मिलेंगे लेकिन उन्हें वोट नहीं मिले। (लाल बत्ती जलने पर) इस लाल बत्ती से अध्यक्ष जी, हमको भय होता है, इसे बुझा दीजिए। मुझे दो मिनट और बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप बोलिए 2 मिनट।

श्री इन्द्र मणी बड़ौनी—

अध्यक्ष जी, यह सारा पर्वतीय विकास मेरी दृष्टि से गलत है। उसका विकास बिजली से होना चाहिए क्योंकि वहां हर जगह बिजली पैदा हो सकती है। लेकिन इसमें विद्युत् के लिए केवल 6 करोड़ रुपया है। इससे कुछ बनता नहीं है। दूसरी बात होनी चाहिए थी कि जंगलों को कैसे बचायें। अगर कृषि और पशुपालन पर जोर दिया तो जंगलों का विनाश जरूर होगा और फिर सारा मामला बर्बाद हो जायगा। एक बात और कह देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश जो सारे भारत का सिरमौर्य था आज वह सब से पिछड़ा हुआ हो गया है। यह प्रदेश बहुत बड़ा हो गया है। इसका पुनर्गठन होना चाहिए और पर्वतीय जिलों का अलग से एक प्रदेश बनना चाहिए।

(श्री नारायण सिह मैं सोरा का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

मैंने अध्याक्ष महोदय से एक प्रार्थना की थी कि औरों को 10 मिनट दे रहे हैं, मुझे केवल 5 मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष—

इसमें जो लोग पहाड़ से सम्बद्ध हैं उन्हीं को बोलने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

संख्या 43––विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र तथा अनुदान संख्या 76––
विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय

श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरा गढ़)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो आपके द्वारा पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आभारी हूं और समर्थन में खड़ा हूं। मेरे मित्र ने पर्वतीय समस्याओं के बारे में बहुत कुछ कह दिया है। वहां की समस्याओं का हल चाहे जितनी वहां पर नदियों के किनारे बालू है या पर्वतों में जितने पेड़ के पत्ते हैं, उतना रुपया बजट में रखने से भी वहां की समस्या का निदान नहीं होने वाला है जब तक कि विशेषज्ञों का सेल बनाकर, वहां पर जो कच्चा माल उपलब्ध है उस कच्चे माल के आधार पर उद्योगों की स्थापना नहीं की जाएगी।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश शासन से आग्रह करना चाहता हूं सुरक्षा की दृष्टि से 1960 से पर्वतीय उत्तर प्रदेश की तरफ केन्द्रीय सरकार का ध्यान गया। पिछली तीन लड़ाइयों में जो मृत्यु वहां पर हुई. सैनिक मारे गए उनकी संख्या इस प्रकार है–– अल्मोड़ा––213, चमोली––190, देहरादून––92, पौड़ी––260, पिथौरागढ़ –30, टेहरी––60, नैनीताल–28 और उत्तर काशी–2। इसके साथ-साथ जितने भी वहां पर भूतपूर्व सैनिक हैं वह 1 लाख 60 हजार, 215 हैं। वहां की जन संख्या 38 लाख है। मान्यवर, जो वहां पर भूतपूर्व सैनिक हैं, 15-16 वर्ष सेवा करने के बाद वहां पर उनके लिये रोजी-रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है। वह चपरासी के लिये सारे मैदानी भागों को झांकते हैं और दर-दर की ठोकरें खाते हैं। वहां पर जो भी कच्चा माल-लीसा, जड़ी-बूटी, लकड़ी आदि हैं, उसके लिए संघर्ष किए हैं। वहां की जनता थक चुकी है। वहां पर मजदूरी के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है।

मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि जिस अनुपात में वहां पर शिक्षा बढ़ रही है, जागृति हो रही है, उस अनुपात में वहां की समस्याओं के लिए शासन विचार नहीं कर रहा है। वहां पर कितना भी रुपया देने से वहां की समस्या हल नहीं हो सकती है। वहां पर एक पर्वतीय अंचल प्लानिंग सेल बनाया जाय। वहां पर उद्योग लगाए जायं। उन उद्योगों से जो उत्पादन हो, उसके निर्यात के लिए यातायात की सुविधा अवश्य दी जाय। उस इलाके में कितना रुपया व्यय हो चुका है, उस पर यह पर्वतीय विकास बजट आधारित नहीं है, बल्कि उस बजट का कैसे उपयोग हुआ है, वहां की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, रहन-सहन के तौर-तरीके हैं वहां पर जो उत्पादन हो सकता है, यदि उस आधार पर बजट का उपयोग नहीं किया जायगा, तो निश्चित रूप से ऐसा ही होता रहेगा, जैसा कि पिछले 30 वर्षों में होता रहा है।

माननीय गवर्नर महोदय के भाषण के समय और बजट के समय में भी चर्चा हुई थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश अविकसित, बुन्देलखंड भी अविकसित, पर्वतीय क्षेत्र भी अविकसित जो भी 30 वर्षों में रुपया रखा गया, जो बजट बना, वह रुपया कहां गया? जब सम्पूर्ण प्रदेश का अधिकांश भाग अविकसित रहा? तो इस प्रदेश के लोग कब विकसित होने वाले हैं। कौनसी इसमें ऐसी खामियां हैं? इस ओर मुख्य मन्त्री जी ध्यान रखें। 30 वर्षों में जो रुपया खर्च किया गया है, उसके बाद प्रत्येक जिला कहता है कि हम अविकसित हैं।

[श्री नारायण सिंह भैंसोरा]

प्रत्येक इकाई कह रही है कि हम गरीब हैं। हमारा विकास नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ऐसा लगता है कि कठिनाइयां ज्यादा पैदा हो गयी हैं। लोग अपनी शक्ति का उपयोग, अपने श्रम का उपयोग, राष्ट्रीय निर्माण में न करके आन्दोलन और अशान्ति के लिए ही करेंगे। एक स्वतन्त्र देश के नागरिक की हैसियत से अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह देश और समाज के प्रति नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, मैं अन्त में एक निवेदन करना चाहता हूं। 1960 में चीन की लड़ाई के बाद वहां पर शिक्षा बढ़ाने के लिए राजकीय विद्यालय खोले गए। वहां के राजकीय विद्यालयों से काफी लोग शिक्षित हुए हैं। बहुत से लोगों ने ट्रेनिंग पायी है। लेकिन उनकी नियुक्ति एडहाक में की गयी है। सम्पूर्ण प्रदेश में 15 हजार अध्यापक ऐसे हैं...

श्री अध्यक्ष—

आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा—

मान्यवर, 2 मिनट और दे दीजिए।

तो 15 हजार अध्यापक आज विधान सभा के सामने आमरण अनशन और अन्दोलन किए हुए। मैं चाहूंगा कि अविलम्ब ही राजकीय अध्यापकों, प्रसार अध्यापकों या अन्य अध्यापकों की समस्याओं को शासन प्राथमिकता के आधार पर, शीघ्र से शीघ्र, इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें। शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके जरिए किसी देश और प्रदेश की तरक्की हो सकती है। अगर शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं को हल नहीं किया गया तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि समाज में शान्ति और व्यवस्था सम्भव नहीं हो सकती। मैं इतना ही निवेदन करके अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। मैं पुनः अध्यक्ष महोदय को धन्यावाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पर्याप्त समय दिया।

श्री अध्यक्ष—

इस अनुदान पर मतदान भी लेना होगा। माननीय मन्त्री जी को भी बोलना है और श्री नेगी को भी उत्तर देना है।

*श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप पर्वतीय क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं हैं। आप बैठिए।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

गंगा गंगेति योब्रुआत,
योजनामं शतेप्यि,
मुच्यते सर्व पापेश्यी,
विश्वलोक सगच्छत।

गंगोंत्री से गोमुख तक मार्ग और भोजवासा और चीड़वासा में टूरिस्ट काटेज बनाए जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। चूंकि समय कम है इसलिए मैं सिर्फ सुझाव दे कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। पहली बात मैं पेयजल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कल स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने और आज पर्वतीय विकास मन्त्री जी ने भी इस बात को कहा कि पेयजल के लिए 6 करोड़ रुपए का प्राविधान इस वित्तीय वर्ष में पहाड़ों के लिए किया गया है। 6 करोड़ रुपए का प्राविधान जो किया गया है उसका सदुपयोग उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि पिछली जल निगम की योजनाओं को न देखें। अगर देखेंगें तो मालूम होगा, विशेष तौर से नैथाना देवी पेयजल योजना की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक करोड़ रुपए की योजना बनी थी। 120 गांवों में पानी की व्यवस्था करने की योजना थी। मन्त्री जी कृपया अगर ध्यान से नोट करें तो यह एक करोड़ रुपया समाप्त हो गया, बरबाद हो गया लेकिन वह योजना फेल हो गयी। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिस तरीके से पहले क्षेत्रीय संस्थाओं को छोटी-छोटी योजनायें 5 हजार रुपए तक की योजनायें बनाने का अधिकार था, 10 हजार रुपए तक की योजनायें बनाने का अधिकार जिला परिषद् को था, चूंकि कीमतें बढ़ गयीं हैं इसलिये इनको और अधिक न देकर इन योजनाओं को इन संस्थाओं के माध्यम से चलाना चाहिए। 12 सौ गांवों को पानी देने का लक्ष्य इस साल रखा गया है। इस पंचवर्षीय योजना में 4 हजार से अधिक गांवों को पानी दिया जाएगा। तो जब तक आप छोटी-छोटी योजनाओं के लिए विकास खंड को 25 हजार तक का अधिकार और जिला परिषद् को 50 हजार रुपए की योजना बनाने का अधिकार नही देते हैं तब तक इन गांवों में पानी जल निगम और जल संस्थान नहीं पहुंच पाएगा। महोदय, दूसरा यह निवेदन करना है कि प्रान्त का जो सिंचाई विभाग का आवंटन है उसका 2 फीसदी पहाड़ के लिए किया गया है। बाढ़ जो आती है पहाड़ों में, जो भू-स्खलन होता है जैसे तवाघाट में 50 व्यक्ति मर गए। सेना के सैनिक मर गए, सिविलीयन मार गए और तमाम पशुधन का नुकसान हो गया जिसके लिए सुना है कि मुख्य मन्त्री कोष से 80 हजार रुपया दिया गया है। तो इससे पहले यदि सिंचाई विभाग वहां जिस प्रकार की बाढ़ और भू-स्खलन नदियों के कटाव से होते हैं उसके रोक-थाम के लिए प्राविधान कर दे तो अच्छा होगा।

मान्यवर, अभी मिश्र जी ने अपने भाषण में कहा कि क्रैश क्राप से हमारा भला हो सकता है। तो हम फल और फूलों की ओर ध्यान दें तो अच्छा होगा। सेब की जहां तक बात है तो वह तो पैदा होता है और आज बाजार में सस्ता है अपेक्षा आलू और अन्य सब्जियों से। लेकिन वहां की बिक्री के साधन न होने से लोगों ने सब्जी की जगह भी सेब खाना शुरू कर दिया है।

मान्यवर, मैं मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि जिस दिन से पर्वतीय विकास विभाग खुला उस दिन से पेड़ों का जो इलाज (ट्रीटमेंट) किया जाता है उस पर कीमत लगा दी

[श्री गोविन्द सिंह मेहरा]

गयी है। इसके अतिरिक्त मुझे निवेदन करना है कि वहां 66 फीसदी से अधिक भूमि पर जंगल हैं जबकि मैदानी हिस्से में 16 फीसदी पर हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि उन जंगलों की सुरक्षा की जाय। मान्यवर, आज त्रिमुखी खेती के नाम पर वहां जंगल उगाए जा रहे हैं जिससे चारागाहों पर कब्जा हो रहा है। इससे वहां की जनता में असन्तोष बढ़ रहा है। इस पर ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, नया आबाद एन्ड वेस्ट लैन्ड ऐक्ट समाप्त कर दिया गया है इसकी जो गवर्नमेंट ग्रान्ट ऐक्ट है, मेरठ, लखनऊ में वही गवर्नमेंट ग्रान्ट ऐक्ट पहाड़ों पर लगा दिया गया है। उसके लिए कोई विकल्प नहीं सोचा गया। गवर्नमेन्ट ग्रान्ट ऐक्ट के तहत एस0 डी0 एम0 और डी0 एम0 जिसको चाहे जमीन दे और जिसको चाहे न दे। इस तरह जो हमारे अधिकार हैं उनको छीन लिया गया है। इसी तरह से मान्यवर, माइन्स ऐक्ट लगा दिया गया है। इससे जो काश्तकार स्लेट बनाने के लिए या और काम के लिए पत्थर निकालते थे वह अब नहीं निकाल सकते हैं। इस तरह माइन्स ऐक्ट लगाकर उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। इसलिए मान्यवर, निवेदन है कि सारे ऐक्ट्स को लगाने के पहले कुछ विकल्प सोंचें जायं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

अब बहस का जारी रखना सम्भव नहीं है और आज वैसे भी सदन 6 बजे तक चलेगा। अब श्री नेगी जी उत्तर देंगे।

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

मुझे बोलने का मौका दें। भ्रष्टाचार का मामला उठाना है।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर समय नहीं है।

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

जिस प्रकार इस सदन में अव्यवस्था है उसके लिए मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री श्याम दत्त पालीवाल सदन त्याग कर चले गए।)

***श्री गोविन्द सिंह नेगी**—

अध्यक्ष महोदय, मैं तमाम सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विवाद में हिस्सा लिया। सही है मान्यवर, चाहे इधर के माननीय सदस्य बोलें या उधर के माननीय सदस्य बोले हैं लेकिन जो बात मैंने कही मुझे खुशी है कि सभी माननीय सदस्यों ने मेरी भावनाओं का समर्थन किया और उससे अपने को सम्बद्ध किया। मैंने बताया था कि हम पर्वत वासियों को किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है। पर्वतीय विकास परिषद् की क्या हालत हुई उसके बारे में माननीय सदस्यों ने कहा। उसके बाद पर्वतीय विकास विभाग बनाया गया। उसके पीछे यह मंशा थी कि जो अड़चनें वहां के विकास कार्यों में आती हैं वह न आयें। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, सेक्रेटेरिएट के अन्दर जो सफेद हाथी हैं उनका मत है कि अगर पर्वतों से उनका दखल चला गया तो मसूरी कैसे जायेंगे, नैनीताल कैसे जायेंगे, बद्रीनाथ के दर्शन कैसे होंगे, गंगोत्री जमुनोत्री की यात्रा कैसे होगी ? माननीय मन्त्री जी जानते होंगे लेकिन वह स्वीकार नहीं करेंगे कि पर्वतीय विकास विभाग केवल एक पोस्ट आफिस बन कर रह गया है। मन्त्री जी को यह भी अधिकार नहीं कि कोई सड़क वहां के लिए स्वीकार करा सकें या स्कूल ही स्वीकार करा सकें। केवल यह है कि जो सिचाई की मांग होगी उसे सिचाई विभाग सैंक्शन करे। किसी मद के लिए वह खर्चा करना चाहें तो वह तय नहीं करेंगे बल्कि दूसरा विभाग तय करेगा।

हो क्या रहा है ? बदनाम किया जा रहा है पहाड़ को कि उसके लिए एक अलग बजट रख दिया। मान्यवर, यहीं लखनऊ के अन्दर एडिशनल चीफ का एक विशाल भवन बनाया गया। क्योंकि वह पर्वतीय क्षेत्र को भी देख रहे हैं लिहाजा उस भवन के ऊपर जितना भी व्यय हुआ वह पर्वतीय विकास के बजट से खर्च हो रहा है। इन्होंने अलग-अलग हैड्स आफ द डिपार्टमेंट बना दिए और उनको पर्वतीय क्षेत्र का काम दे दिया। वह हैड्स आफ दि डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का काम देख रहे हैं लेकिन उनका सारा खर्चा पर्वतीय विकास के बजट से किया जा रहा है। इसीलिए मेरा कहना है कि जो हमारी समस्यायें थी उनमें पर्वतीय विकास विभाग खोल कर एक और बोटलनेक पैदा कर दी। पहले तो यह था कि हम सम्बन्धित मन्त्री के पास चले जाते थे। अगर सड़क की बात हुई तो सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के पास चले गए और उनकी खुशामद कर ली। स्कूल की बात हुई तो शिक्षा मन्त्री के पास जाकर स्कूल खुलवाने के लिए खुशामद कर ली। अब यह हुआ कि वहां खुशामद करो और फिर वह पर्वतीय विकास विभाग में आएगा। इस विभाग को खोलने का जो मुख्य उद्देश्य था कि बोटलनेक दूर हों, वह तो दूर हो नहीं सकी बल्कि यह स्वयं में एक बोटलनेक और बन गया। मान्यवर, मन्त्री जी ने पेयजल योजना का जिक्र किया था।

श्री अध्यक्ष––

माननीय नेगी जी, मन्त्री जी ने अनुदान रखते समय अपना भाषण दिया और उसके बाद आपने अपना कट मोशन रखा और अपना भाषण दिया। अब आप कट मोशन के विरुद्ध जो सदस्यों ने कहा है उसका उत्तर दें, दूसरा भाषण न दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी––

मैं वही कर रहा हूं। मैं कह रहा था पेयजल योजना के बारे में। पेयजल योजना के विषय में माननीय सदस्यों ने काफी कहा और उसकी तारीफ की। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिन पर्वतों ने गंगा, यमुना को दिया, तमाम देश के अन्दर पानी दिया, हरियाली दी है, सिचाई दी है आज उस पर्वतीय क्षेत्र के निवासी पीने के लिए तरस रहे हैं। जो योजनायें अब तक कार्यान्वित हुई उनमें से 75 फीसदी योजनायें बिलकुल ठप्प पड़ी हुई हैं। कृपा कर के आप आगे जो संचालन करें तो इस बात की व्यवस्था कर लें कि कम से कम जो योजनायें बन रही हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करने जा रहे हैं उन रुपयों का

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

सदुपयोग हो । इसी दृष्टि से स्वास्थ्य के बारे में लोगों ने कहा, शिक्षा के बारे में कहा। मान्यवर, स्कूल खुले हैं अध्यापक नहीं हैं । अस्पताल खुले हैं, डाक्टर नहीं है । आपके ब्लाक के अन्दर नई योजनायें बनी हैं लेकिन वहां ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) नहीं है। जिन-जिन कल्याणकारी योजनाओं पर आप पैसा खर्च करने जा रहे हैं जब वहां कोई अधिकारी ही नहीं जाएगा तो उस पैसा का क्या होगा ? मैं फिर निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी से कि जो पिछली सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते की व्यवस्था की थी उसे लागू करने की कोशिश करें।

मान्यवर, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं फिर कहना चाहता हू और मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर रह कर के यहां की नौकरशाही इस 56 करोड़ रुपए का सदुपयोग नहीं करेगी। पहा ी क्षेत्र के लोग पहाड़ की विशेषता को देखते हुए वहां की योजना बनायें। 425 सदस्यों के सदन के अन्दर हम केवल 19 सदस्य हैं यदि पांच साल तक अपने क्षेत्र में चलते रहें तो भी प्रत्येक गांव को देखना असम्भव है। इस मन्त्रि-मन्डल के आधे मन्त्री ऐसे .....

श्री अध्यक्ष—

नेगी जी आप एक दूसरा भाषण दे रहे हैं .....

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

दूसरा भाषण नहीं दे रहा हूं, मायवर .....

..... भी हैं जो उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम नहीं गिना सकेंगे। इतना बड़ा प्रदेश। पिछले तीस वर्षों का इतिहास हमारे सामने है। पहाड़ों को आप अपना बोझ समझते हैं। मैं समझता हूं मान्यवर, इस 56 करोड़ रुपए का दुरपयोग होगा। लिहाजा मेरा कटौती का प्रस्ताव कायम रहता है और मैं फिर मांग करता हूं कि अब तो कम से कम जनता पार्टी का राज्य है सद्बुद्धि लाइए उत्तर प्रदेश के जो आठ पहाड़ी जिले हैं उनका एक पृथक राज्य बनाने की सिफारिश कीजिए ताकि वहां के लोग खुद मिल कर अपने विकास की समस्या को हल कर सकें।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

माननीय पर्वतीय मन्त्री जी को बुलाने से पहले मैं कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिश पेश करता हूं।

आज दिनांक 14 सितम्बर, 1977 को कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक में यह निश्चय किया गया कि दिनांक 19 सितम्बर, 1977 को विधान सभा की बैठक न हो। दिनांक 19 सितम्बर, 1977 के लिए निर्धारित न्याय प्रशासन एवं कारागार सम्बन्धी अनुदान 12 अक्तूबर, 1977 को परिवहन विभाग के अनुदानों के अतिरिक्त लिए जायं। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार एवं पारण के प्रस्ताव दिनांक 5 अक्तूबर, 1977 को सहकारिता से सम्बन्धित अनुदानों पर मतदान के पश्चात् दो घन्टे के लिए सदन का समय बढ़ा कर रख लिए जायं।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने आज सदन में दी है, यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विभिन्न समितियों तथा निकायों में सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा पूर्व निर्धारित तिथियों में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज कार्य-मन्त्रणा समिति में सभी दलों ने यह सुझाव दिया—चूंकि 15 से 19 सितम्बर, 1977 तक सदन की बैठक नहीं होगी—इसलिए विभिन्न समितियों एवं निकायों के लिए पूर्व निर्धारित कार्य-क्रम में नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि तथा नामांकन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन कर दिया जाय। तद्नुसार, विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के सुझाव पर समिति एवं निगमों के लिए निर्वाचन हेतु निर्धारित पहले से कार्य-क्रम में इतना संशोधन कर दिया गया है कि अब:—...

नाम-निर्देशन प्राप्त करने की तिथि और समय—दिनांक 21 सितम्बर, 1977 के स्थान पर दिनांक 26 सितम्बर, 1977 को 4 बजे अपराह्न तक होगा।

नाम-निर्देशन-पत्रों की समीक्षा की तिथि दिनांक 22 सितम्बर, 1977 के स्थान पर दिनांक 27 सितम्बर, 1977 को अपराह्न 3 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में होगी।

शेष कार्य-क्रम पूर्ववत् होगा।

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 43-विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र तथा अनुदान संख्या 76—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमागत)

*पर्वतीय विकास उप मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

मान्यवर, इस आय-व्ययक के सम्बन्ध में कुछ सवाल माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए हैं। नेगी साहब ने अपने कटौती प्रस्ताव के समर्थन में उपेक्षा की एक कहानी सुनाई। मैं उनको कालिदास के मेघदूत में वर्णित एक श्लोक की याद दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

"अस्त्युत्तरस्यां दि शिदेवतात्मा
हिमालयो नाम नगाधिराज :

कहने का तात्पर्य यह है कि नेगी जैसे लोग जो हमेशा से बहुराष्ट्रीयता की वकालत करते रहते हैं अंग्रेजी राज के जमाने में भी...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

त्रिपाठी जी बैठिए। इसका उत्तर नियमानुसार ही होगा।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

प्रथक राज की बात कई बार यहां दोहराई गयी इसलिए इसको जवाब में लाया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

जो ना जो ने इस अनुदान को पेश किया था, इसलिए वही इसका उत्तर भी देंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय त्रिपाठी जी, माननीय पर्वतीय विकास मन्त्री ने इस अनुदान को पेश किया था। आप इसमें पहले बोल सकते थे। नियमानुसार इसका उत्तर देने का उत्तरदायित्व माननीय पर्वतीय विकास मन्त्री पर है। इसलिए मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगा कि बहस का उत्तर वही दें।

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

अध्यक्ष महोदय, इस बजट का वैसे तो माननीय नेगी जी ने भी समर्थन किया है और अन्य सदस्यों ने तो समर्थन किया ही है और कुछ सुझाव भी दिए हैं जिनके लिए मैं उन सबका आभारी हूं और उन सुझावों को यथाशक्ति कार्यान्वित करने का प्रयास करूंगा।

एक बात यह कही गयी कि 56 करोड़ का यह बजट है और केवल 5, 6 महीने बाकी रह गए हैं, यह कैसे खर्च हो सकेगा? ऐसी बात नहीं है। इसमें से कई योजनायें ऐसी हैं जो कन्टिन्यूइंग हैं, पहले से चली आ रही है और उनका थोड़ा ही भाग बाकी है। 7 महीने से उन पर काम चल रहा है और लेखानुदान के हिसाब से 5 महीने का काम बाकी है। फिर यह 56 करो जो दिखाई दे रहा है उसमें निर्माण का काम बहुत कम है। निर्माण का काम जो बाकी रह गया है वह केवल 75 लाख का ही है। इसमें कोई शंका नहीं है कि ये काम नहीं हो सकेंगे और रुपया बाकी रह जाएगा। मैंने इस बात को पहले ही कह दिया है आदेश दे दिए हैं कि ये काम ज्यों ही बजट पास हो जाय, उसकी स्वीकृति मिल जाय और जो काम बजट में करने हैं उनको प्रारम्भ कर दिया जाय ताकि 5 महीनों में काम पूरे हो जायं और विभागाध्यक्ष जो हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम काम को पूरा कर देंगे। इसलिए कोई आशंका नहीं है कि यह रुपया बाकी रह जाएगा।

पर्वतीय भत्ते की बात कही गई है। यह प्रश्न विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायगा ऐसी मुझे आशा है। इसलिए अभी इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहा जा सकता है।

भवनों के बारे में कुछ बात कही। भवनों पर पिछले वर्ष एक करोड़ 25 लाख रुपया खर्च हुआ और इस वर्ष 3 करोड़ 20 लाख रुपया खर्च करने का आश्वासन दिया गया है। यह सारे रुपए खर्च हो जायेंगे इसमें भी कोई अशंका नहीं है। बद्रीनाथ, नन्दप्रयाग और गौला फ्लड के प्रोटेक्शन के लिए भी 40 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

घड़ी के कारखाने का क्या हुआ ?

श्री शोबन सिंह जीना---

हां, घड़ी, सोप स्टोन की जो बात है उसको निगम चलाएगा उस पर निगम विचार कर रहा है। निगम उसको चलाएगा सोप स्टोन के कारखाने को ऐसी आशा की जाती है।

एक बात नेगी जी ने कही कि इस बजट में टेहरी डैम की बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। टेहरीडैम का जिक्र इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि वह पर्वतीय विकास विभाग के अन्दर नहीं है। वह इस विभाग का काम नहीं है, वह सिंचाई विभाग का काम है इसलिए हमारे बजट में उसका उल्लेख नहीं हो सकता था।

माननीय श्यामधर मिश्र जी ने यह भी कहा कि चावल और गेहूं से वहां का विकास नहीं हो सकेगा। वहां फल लगने चाहिए। ऐसा है कि जिन स्थानों में धान पैदा होता है उन स्थानों में सेव पैदा नहीं हो सकता और जहां धान होगा वह घाटी होगी। दो हजार से 4 और 5 हजार फुट तक की ऊंचाई जिन स्थानों की होगी उनमें धान पैदा होगा, सेव साढ़े 5 हजार फुट से ऊपर पैदा होते हैं और ऐसी जगहों में धान नहीं होगा। तो हर एक फल के लिए ऊंचाई की बात भी आती है। हर जमीन पर फल पैदा नहीं हो सकते हैं। जहां तक सेव का सवाल है इसकी सबसे बड़ी खपत है। वह केवल साढ़े पांच हजार और 6 हजार फुट में पैदा हो सकता है।

माननीय सदस्य ने मिर्जापुर इलाके का भी उल्लेख किया कि वह भी पर्वतीय क्षेत्र है और कहा कि इसका भी इसी तरह से विकास होना चाहिए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती और अगर 8 जिलों के स्थान पर 9 जिले हो जायं और उसका भी विकास इसी तरह से हो। हमें मिर्जापुर के लिए कोई आपत्ति नहीं है। मिर्जापुर जिले का भी विकास पहाड़ी इलाकों की तरह हो। एक सुझाव यह आया है कि गोमती से गोमुख तक रास्ता बना दिया जावे, तो यह बन जाएगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री देवबहादुर सिंह---

लमगांव से उत्तरकाशी तक सड़क बड़ी खराब है ?

श्री शोबन सिंह जीना---

धीरे-धीरे सब बन रही हैं। कुछ इस साल बनेंगी, कुछ अगले साल बनेंगी। ओलों से फसल को कुछ नुकसान हुआ था, तो इसके लिए राजस्व परिषद् को 2 लाख रुपया तकावी बांटने के लिए दे दिया गया है। पर्वतीय अंचल में किसी एक मैगजीन का उल्लेख नौटियाल जी ने किया है, इसके सम्बन्ध में हमें अभी कोई ज्ञान नहीं है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, या कहां छपी ? फिर भी कोई ऐसी बात है तो उसकी जांच की जावेगी और सुधार आवश्यक होगा तो कर दिया जायगा। यही मुख्य मुद्दे उठाए गए थे.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय मन्त्री जी आप पीठ को ही सम्बोधित करें, आपस में बात न करें।

श्री देवबहादुर सिंह—

जिला नैनीताल के लालकुआं में एक कागज का कारखाना निजी क्षेत्र में लगने वाला था, उसका क्या हुआ ?

श्री शोबन सिंह जीना—

इस बजट में उसकी कोई योजना नहीं है, निजी क्षेत्र के किसी कारखाने को मदद देने का हमारे यहां इस साल प्राविधान नहीं है। अब मैं इस परिस्थिति में नेगी जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं तो निवेदन कर चुका, यह सरकार 56 करोड़ रुपए का दुरुपयोग करेगी। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर कायम हूं।

श्री इन्द्रमणी बडोनी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

इस पुस्तिका के पृष्ठ 64 पर लिखा है —

"7—टेहरी गढ़वाल, 1—कुमायूं मन्डल के अन्तर्गत 4 पुलों का निर्माण" तो इसका मतलब मैं उनसे जानना चाहता हूं। ऐसे लिटरेचर के छपने का मतलब क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री शोबन सिंह जीना—

यह टेहरी गढ़वाल के सामने कुमायूं मन्डल के अन्तर्गत 4 पुलों का निर्माण दिया हुआ है। गढ़वाल के सामने यह लिखा गया है यह प्रिन्टिग मिस्टेक मालूम पड़ती है। इसको देखना पड़ेगा, तभी ठीक जवाब दिया जा सकता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

बडोनी जी ने एक सुझाव दिया था कि सड़कों और पुलों के निर्माण के बारे में कृपा करके जो आप क्रम रखते हैं, जो प्राथमिकता निर्धारित करते हैं, उसमें स्थानीय विधायकों की राय भी लेने का कष्ट करें। उसके बारे में क्या कहना है ?

श्री शोबन सिंह जीना—

सड़कों और पुलों का जो सर्वेक्षण और एलाइनमेन्ट होता है उस वक्त उसके मैंने आदेश दिए हैं कि सभी बन्धियों को वह माननीय विधायकों, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों और ब्लाक प्रमुखों और जो प्रभावित गांव हैं, उनके निवासियों से राय ले कर तब अलाइनमेन्ट बनाएं।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या रावर्ट्सगंज का नाम विजय काशी रखने पर आप विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका सुझाव है।

श्री रामदत जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या प्रश्नोत्तर काल फिर शुरू हो गया ?

श्री अध्यक्ष—

अब मैं मत ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,16,86,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,29,06,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत मुझे आठ सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैंने किसी को स्वीकृत नहीं किया है।

सीतापुर के गौरा अर्जुनपुर ग्राम में श्री राम कुमार की बिजली के तार से मृत्यु तथा उनकी पत्नी और पुत्र के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

सीतापुर नगर के पास गौरा अर्जुनपुर ग्राम में एक 25 वर्षीय नवयुवक श्री रामकुमार की बिजली के लटकते हुए तार के छू जाने से मृत्यु तथा उसकी पत्नी तथा पुत्र के गम्भीर रूप से घायल होने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत विद्युत् मन्त्री का वक्तव्य होगा।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

माननीय सदस्यगण कह रहे हैं कि इसकी प्रतिलिपि उनको दे दी जाय।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

नियम के अनुसार हम लोगों को वक्तव्य की कापी मिल जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

यह कापी अभी बंटवा देते हैं, तब तक वक्तव्य पढ़ा जाय।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, दिनांक 21 अगस्त, 1977 को श्री राम कुमार छाता लगाए हुए अपनी पत्नी तथा बच्चे के साथ गौरा अर्जुनपुर ग्राम के निकट 11 के0 वी0 लाइन (कटीली फीडर) के नीचे से गुजर रहे थे, तो उन्होंने बच्चे को अपनी पत्नी की गोद से लेने के लिए छाते को ऊंचा किया जो कि जीवित तार के सम्पर्क में आ गया जिसके फलस्वरूप श्री राम कुमार को जोर का झटका लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़े। इस दुर्घटना के कुछ समय पश्चात् जिला अस्पताल, सीतापुर ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गयी।

इस घटना के सन्दर्भ में अग्रिम छान-बीन के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि श्री राम कुमार की 21 अगस्त, 1977 को सीतापुर में घटित घातक दुर्घटना इस कारण हुई क्योंकि 11 के0 वी0 लाइन कन्डक्टर जिसके सम्पर्क में श्री राम कुमार आए केवल अनुमानत: भूमि सतह से 10 1/2 फीट ऊपर था जब कि सामान्य रूप से उसे 18 से 20 फीट तक ऊपर होना चाहिए था। 11 के0 वी0 लाइन की छान-बीन करने पर यह ज्ञात हुआ कि 90 मीटर स्पैन (दो खम्भों के बीच की दूरी) के स्थान पर यह दूरी 130 मीटर थी। अत: कन्डक्टर्स इस स्पैन के बीच में भूमि तल से लगभग 10 1/2 फीट की ऊंचाई पर झूल रहे थे। 90 मीटर के स्पैन में कन्डक्टर्स की ऊंचाई भूमि सतह से कम के कम 18 फीट ऊपर होनी चाहिए।

इस लाइन का निर्माण 1972 में किसी समय किया गया था, जब निम्नलिखित व्यक्ति सीतापुर डिवीजन में नियुक्त थे :—

(1) श्री सी0 एल0 अरानिया—अधिशासी अभियन्ता,

(2) श्री एस0 एन0 सिंह—उपखंड अधिकारी,

(3) श्री बी0 के0 रस्तोगी—अवर अभियन्ता।

अत: श्री बी0 के0 रस्तोगी, अवर अभियन्ता इस लाइन के दोष पूर्ण निर्माण में पूर्णत: उत्तरदायी हैं। श्री रस्तोगी को निलम्बित करने के आदेश दिए जा चुके हैं।

निम्नलिखित चार अवर अभियन्ता श्री रस्तोगी के उपरान्त उक्त लाइन पर नियुक्त थे :—

(1) श्री आर0 एस0 कन्नौजिया—अवर अभियन्ता, सितम्बर, 1972 से जुलाई, 1974 तक,

(2) श्री महेन्द्र पाल—अवर अभियन्ता-अगस्त, 1974 से अप्रैल, 1975 तक,

(3) श्री आर0 ओ0 गुलाटी--अवर अभियन्ता, अगस्त, 1975 से अप्रैल, 76 तक,

(4) श्री आर0 एस0 कन्नौजिया--अवर अभियन्ता मई, 1976 से अब तक

जब कि इन चारों अवर अभियन्ताओं पर सीधा उत्तरदायित्व नहीं थोपा जा सकता है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है उन्होंने उस खन्ड में अपनी सेवा काल में उस लाइन का किसी भी स्तर पर निरीक्षण नहीं किया अत : उन्हें क्या दन्ड देना होगा, इस पर विचार किया जा रहा है। श्री अब्दुल वहाब, लाइनमैन व श्री आर0 एस0 कन्नौजिया, अवर अभियन्ता के निलम्बन के आदेश भी निर्गत किये जा चुके हैं तथा इस लाइन के निर्माण के सभी लेखों की छान-बीन की जा रही है।

अत : संक्षेप में यह घातक दुर्घटना लाइन के दोषपूर्ण निर्माण व क्षेत्रीय कर्मचारियों की उदासीनता के फलस्वरूप घटित हुई।

इस विषय में और अधिक छानबीन की जा रही है। सम्बन्धित उप खन्ड अधिकारी व अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही तब ही की जा सकेगी जबकि इस लाइन के निर्माण से सम्बन्धित लेखों का परीक्षण हो जाएगा तथा उनकी भूमिका इसमें निश्चय की जाएगी।

रु0 500 की धनराशि मुआवजे के रूप में-- मृतक की पत्नी को पहले ही 21 अगस्त, 1977 को दी जा चुकी है जिस दिन यह दुर्घटना घटित हुई थी। शेष मुआवजे की राशि जो देय होगी इस घटना की जांच हेतु नियुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर दी जाएगी।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम कुमार की पत्नी तथा पुत्र को कोई चोट नहीं पहुंची हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस राम कुमार की मृत्यु सरकार के दोषपूर्ण प्रबन्ध के कारण हुई और दूसरे मुआवजे की राशि अभी तक घोषित नहीं की गयी है तो क्या उसको यथोचित धनराशि देने की कृपा करेंगे ? वह ही अपने परिवार का एक मात्र व्यक्ति था जो अपने परिवार का भरण-पोषण करता था, मुअविजा देकर जो उसकी क्षति हुई है वह पूरी हो सके ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

यह दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्य-पूर्ण है। यह शासन के दोषपूर्ण प्रबन्ध से नहीं हुई बल्कि वहां पर जो व्यक्ति कार्यरत थे उनके कारण हुई। इस सम्बन्ध में की कार्यवाही की गयी है और बाकी अधिकारी जो दोषी पाए जायेंगे उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। दूसरे यह कि मुआविजे की बात इसी वक्तव्य में है। इसमें लिखा है कि शेष मुआविजे की राशि जो देय होगी इस घटना की जांच हेतु नियुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जाएगी। जो मुआवजा वह संस्तुति करेगी तो वह दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र कुमार—

जांच रिपोर्ट आने में समय लग सकता है तो कोई सहायता अन्तरिम सहायता देकर करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

अन्तरिम जांच रिपोर्ट मंगा ली जाएगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया कि जांच समिति बैठाई है या बैठायेंगे तो इसके बारे में बैठायेंगे कि किसकी तरफ से नेग्लीजेंस रही है। यदि गवर्नमेंट के किसी कर्मचारी की नेग्लीजेन्स रही है तो उसके विरुद्ध जांच समिति की रिपोर्ट आने में समय लगेगा। तो मान्यवर, इस समय शासन को पूरा मुआविजा देने में कौन-सी कठिनाई महसूस हो रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मृतक के परिवार को पांच सौ रुपए की धनराशि के रूप में मुआविजा दिया जा चुका है और मुआविजा की शेष धनराशि के बारे में जांच समिति की रिपोर्ट आ जाने पर और माननीय सदस्यों के सुझावों के अनुसार, निर्णय लिया जाएगा।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जूनियर इन्जीनियर, आर0 एस0 कन्नौजिया का जो सस्पेंशन हुआ है, वह गलत हुआ है क्योंकि जिस दिन दुर्घटना हुई उस दिन श्री आर0 एस0 श्रीवास्तव उस लाइन को देख रहे थे और आर0 एस0 कन्नौजिया उस मन्डल के आफिस में अटैच थे और ड्यूटी दे रहे थे। अतः आर0 एस0 श्रीवास्तव का निलम्बन होना चाहिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय सदस्य वक्तव्य को पुनः पढ़ें। आर0 एस0 कन्नौजिया का निलम्बन हुआ है वह सही है क्योंकि जब लाइन का निर्माण हुआ था, वह उन्हीं की देख रेख में हुई थी। बाकी प्रश्नों पर जांच हो रही है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया जिस 11 के0 वी0 लाइन कन्डक्टर के सम्पर्क में श्री राम कुमार आए वह भूमि से केवल साढ़े 10 फुट ऊपर थी जबकि उसे सामान्यतः 18 से 20 फुट ऊपर होना चाहिए था। क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय इस 11 के0 वी0 लाइन कन्डक्टर की क्या स्थिति है और वह कितनी ऊंचाई पर है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में टेक्नीकल रूप से वहां जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह वहां कराई जा रही है। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है इसका उत्तर देने के लिए मेरे पास पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वारणसी)--

मान्यवर, अभी कल ही एक बन्दी की थाने में मार से मौत हो गई थी और उसे तुरन्त ही पांच हजार रुपए का मुआविजा दे दिया गया था तो क्या इस तरह से इस आकस्मिक दुर्घटना के मृतक श्री राम कुमार के परिवार को भी पांच हजार रुपया बतौर मुआविजा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न का उत्तर तो पहले ही मन्त्री जी दे चुके हैं कि उसे 500 रुपए मुआविजे के तौर पर दिए जा चुके हैं। अब माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार करने के उपरान्त ही निर्णय लिया जाएगा। अत : यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री ऊदल--

मेरी प्रार्थना है कि मृतक के परिवार को मुआवजे के रूप में पांच हजार दे दिए जायें, हो सकता है कि जांच समिति की रिपोर्ट के आने पर वह दस या पन्द्रह हजार की सिफारिश कर दे ....

श्री अध्यक्ष--

उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दे दिया और कह दिया है कि वह माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार करेंगे .... (व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच समिति कब बनेगी और वह अपनी रिपोर्ट निश्चित रूप से कब तक दे देगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, विद्युत् परिषद् से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह घटना 21 अगस्त को घटित हुई और उसके तत्काल बाद ही एक जांच समिति बना दी गई थी। उसकी रिपोर्ट के सम्बन्ध में आज आदेश दे दिए जायेंगे कि वह शीघ्र ही शासन के समक्ष प्रस्तुत की जाए। मैं समझता हूं कि आज से लेकर दस दिन तक का समय उपयुक्त होगा।

श्री देव बहादुर सिंह--

इसमें सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

मान्यवर, जो समिति बनी है उसमें उस जिले के कितने अधिकारी हैं और यहां लखनऊ के कितने अधिकारी हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जिन अधिकारियों की समिति बनी है उनके नाम बताना मैं जनहित में आवश्यक नहीं समझता हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

वक्तव्य से स्पष्ट है कि यह दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि दो खंभों के बीच की दूरी 90 मीटर के स्थान पर 130 मीटर थी और 11 के0वी0 लाइन कण्डक्टर की ऊंचाई भूमि सतह से 10-1/2 फुट थी जबकि सामान्य रूप से यह 18 से 20 फुट होनी चाहिए थी। तो न केवल ऊंचाई के सम्बन्ध में बल्कि खंभों की दूरी के सम्बन्ध में भी इस इलाके में खासकर और दूसरे इलाकों में भी तत्काल यह देख लिया गया है कि कहीं और भी ऐसी जगहें तो नहीं जहां पर इस प्रकार की दुर्घटना हो जाय ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के द्वारा जो सुझाव दिया है यदि उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कराई गई होगी तो अवश्य करा दी जायगी ।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

वक्तव्य में दिया है कि जिस समय लाइन का निर्माण किया गया था उस समय श्री सी0 एल0 अरानिया, अधिशासी अभियन्ता, श्री एस0 एन0 सिंह, उप खण्ड अधिकारी और श्री वी0 के0 रस्तोगी अवर अभियन्ता थे, तो आपने श्री वी0 के0 रस्तोगी को तो निलम्बित कर दिया है बिना जांच किए लेकिन और जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी, ऐसा क्यों ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि क्या सजा दी जाय, इस पर वे विचार कर रहे हैं और जिसको दोषी पाया गया उसको तुरन्त निलम्बित कर दिया गया ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

माननीय अध्यक्ष जी, स्टेटमेंट में दिया है कि श्री सी0 एल0 अरानिया, अधिशासी अभियन्ता, श्री एस0 एन0 सिंह, उप खण्ड अधिकारी और श्री वी0 के0 रस्तोगी, अवर अभियन्ता. . . .

श्री अध्यक्ष—

नीचे के भाग को भी तो आप देखें जिसमें लिखा हुआ है कि श्री वी0 के0 रस्तोगी, अवर अभियन्ता इस लाइन के दोषपूर्ण निर्माण में पूर्णतः उत्तरदायी हैं,उनको निलम्बित करने के आदेश दिए जा चुके हैं। तो जो प्रश्न आपने उठाया कि बाकियों को निलम्बित क्यों नहीं किया गया, वह नहीं उठता है ।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

मान्यवर, इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो यह मानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की गलती से यह दुर्घटना हुई। जहां तक मृत्यु का प्रश्न है सरकार का एडमिशन है कि यह दुर्घटना कर्मचारियों की गल्ती से हुई है तो मुआविजे का प्रश्न जांच के प्रश्न से क्यों जोड़ा जा रहा है कि कौन कर्मचारी दोषी है ? जांच में तो बहुत लम्बा समय लग जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

ये दोनों प्रश्न जो नहीं गए हैं। माननीय मन्त्री जी ने सदन को बतला दिया है कि मुआविजे के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच समिति बन गई है जो जांच कर रही है। वह रिपोर्ट तो बाद में आएगी लेकिन मुआविजे के सम्बन्ध में एक अन्तरिम रिपोर्ट मांग ली जायगी।

श्री देव बहादुर सिंह—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री वी0 के0 रस्तोगी को जो दोषी पाया गया है, वह किस आधार पर दोषी पाया गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जैसा कि वक्तव्य में बतलाया गया है कि सन् 1972 में किसी समय इसका निर्माण हुआ था और निर्माण में डायरेक्ट जिम्मेदारी श्री वी0 के0 रस्तोगी की थी और पत्रावली में भी यह तथ्य उपलब्ध है कि सन् 1972 में जब यह निर्माण कार्य कराया गया था तो कौन से अवर अभियन्ता उपस्थित थे जिनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी थी।

श्री अध्यक्ष—

मालवीय जी, यह प्रश्न नहीं है। उनका प्रश्न यह है कि तीन अधिकारी थे। एक अधिशासी अभियन्ता, एक उपखण्ड अधिकारी और अवर अभियन्ता वी0 के0 रस्तोगी। तो लाइन तो सन् 1972 में बनी और दोषारोपण 1977 में पाया गया। तो उनका प्रश्न यह है कि किसने जांच की जिसने यह दोषी पाया ? रस्तोगी को ही अकेले कैसे पाया, इन दोनों को क्यों नहीं पाया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

उन दोनों के सम्बन्ध में भी जांच हो रही है। लेकिन जो निर्माण कार्य होता है उसके सम्बन्ध में सीधी-सीधी जिम्मेदारी अवर-अभियन्ता की होती है। अवर-अभियन्ता चूंकि डायरेक्ट होता है, इसलिए उनका तो निलम्बन कर दिया गया है। बाकी जो दो हैं उनका कार्य सुपरवीजन का होता है। उनकी जांच होनी बाकी है, जांच कराई जा रही है और वह अगर दोषी पाए जायेंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। लेकिन कौन जांच कर रहे हैं, इसको मैं जनहित में बताना अभी जरूरी नहीं समझता।

एक सदस्य—

बड़े अफसर की ज्यादा जिम्मेदारी होती है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने फरमाया कि फौरी इमदाद के तौर पर 500 रुपया दे दिया गया है और मैं समझता हूं वह कफन-दफन और जरूरियात में खर्च हो गया होगा। तो क्या मन्त्री जी, कुल जितना मुआवजा दिया जायगा, उसका कुछ हिस्सा फिलहाल और देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह पुनरावृत्ति है, इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

जितना रुपया वह खर्च हो चुका है तो. . .

श्री अध्यक्ष—

आप तो दोहरा रहे हैं। उत्तर हो चुका है, अगर आपने सुना हो।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट है कि जांच इस बात की की जा रही है कि किस अधिकारी की गलती से वह तार खुले हुए पड़े थे। इस बात की नहीं की जा रही है कि मृतक की मृत्यु कैसे हुई। यह तो स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु हुई है करेन्ट लगने से। जब यह बात स्पष्ट है तो मुआवजे को जांच के साथ जोड़ना कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष—

यह माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि मुआवजा और दिया जायगा। कितना दिया जायगा, इस पर विचार कर रहे हैं। इसका उत्तर हो चुका है।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रश्न से सम्बन्धित क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तारों की निचाई के सम्बन्ध में घटना से पूर्व उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने सूचना दी थी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, इस समय जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है, उसके अनुसार तो ऐसा लगता है कि इसके सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गयी थी।

श्री अध्यक्ष—

अब नियम 52 के अनुसार. . .

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इस पर तो विवाद बहुत हो चुका। अब 5 बज रहे हैं। 1 घंटा दूसरे विषय पर चर्चा होगी।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये स्थानों के आरक्षण के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

अब उत्तर प्रदेश के 7 मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्थानों के आरक्षण के सम्बन्ध में सर्वश्री सोनपाल, मोती राम, शम्भू नाथ, गनेशी लाल चौधरी, जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, हरी सिंह, अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', सूरज प्रसाद, प्रेम-नारायण अहेरवार, गौरी शंकर, बाबू लाल, भगवान दीन कुशवाहा तथा दुक्खी प्रसाद की नियम 52 की सूचना पर एक घंटे की चर्चा होगी।

इस पर नियम के अनुसार जिस सदस्य ने दिया है वे संक्षिप्त वक्तव्य देंगे। उसके बाद में माननीय मन्त्री जी अपना वक्तव्य देंगे और फिर इस पर कोई प्रश्न उपस्थित नहीं किया जायगा।

*श्री सोनपाल (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 7 मेडिकल कालेजों में 789 स्थान हैं। इनमें से 140 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं। 1975 में तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा जी ने 140 स्थान आरक्षित किए थे और ये सभी स्थान अनुसूचित जाति के छात्रों से भरे गए थे। 1976 में तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने 97 स्थान अनुसूचित जाति के छात्रों से भरे थे। वर्तमान सरकार के समय में केवल 18 अनुसूचित जाति के छात्र लिए गए हैं। इस प्रकार माननीय बहुगुणा जी के समय में 18 प्रतिशत, माननीय तिवारी जी के समय में 12 प्रतिशत रहा जो अब वर्तमान समय में घट कर 2.3 प्रतिशत रह गया है। यह बहुत ही विडम्बना का विषय है।

इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों को एक परेशानी और आई और वह यह कि प्रवेश के समय तहसीलदार का ही सर्टिफिकेट सक्षम माना जाता है ऐसा सरकार का आदेश है। पर इस वर्ष प्रवेश के समय जिलाधीश के सर्टिफिकेट को ही मान्यता दी गयी, तहसीलदार के सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी गयी और शेड्यूल्ड कास्ट के छात्रों को जनरल कैटेगरी में डाल दिया। इस तरह से वह प्रवेश पाने से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त विगत वर्षों में इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में परसेंटेज 25 परसेंट था, ऐग्रीगेट मार्क्स 30 परसेंट लाना जरूरी था शेड्यूल्ड कास्ट कैंडीडेट्स के लिए। पर इस वर्ष उनके लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 30 परसेंट और टोटल मार्क्स 45 परसेंट कर दिए गए। इस तरह से 5 परसेंट और 15 परसेंट बढ़ा दिया जिसकी वजह से वे अधिक क्वालीफाई नहीं कर पाए।

दूसरे, शेड्यूल्ड कास्ट केंडीडेट्स के लिए 11 अलग केन्द्र खोले गए और उनको क्रमानुसार नम्बर आवंटित किए गए ताकि इनकी जो कापियां भेजी गयीं उससे भली प्रकार विदित हो जाय कि ये शेड्यूल्ड कास्ट की कापियां हैं और मनमाने ढंग से जांच की गयी और उन्हें कम नम्बर दिए गए। इस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट के छात्र प्रवेश पाने से वंचित रह गए। अतः अनुरोध है कि उक्त स्थिति का अध्ययन करके हम लोगों के साथ न्याय किया जाय और हमारे लिए आरक्षित सभी स्थानों को भरा जाय। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

स्वास्थ्य मन्त्री जी।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर।)

देखिए नियम 52 में जो प्रश्न करता है, संक्षप में उन्होंने रख दिया। अब माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी की बात सुनिए, उसके बाद जो अन्य सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं वे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

इससे पहले कि स्वास्थ्य मन्त्री जी बोलते मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं जिससे कि हमारे प्रश्नों का भी उत्तर आ जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। नियम 52 में हस्ताक्षरकर्ता कई हैं। नियम के अनुसार संक्षेप में प्रश्नकर्ता अपना प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। माननीय मन्त्री जी का भी वक्तव्य सुन लें, उसके बाद प्रश्न कर सकते हैं।

(स्वास्थ्य मन्त्री को पुकारे जाने पर)

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह विषय जो था अनुसूचित जाति के बारे में था। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं थी जो पसन्द न आवे।

श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने आपको लिखित दिया है और इस प्वाइन्ट को उठाने के लिए अनुमति मांगी है, उन्हीं का नाम है। उनकी बातों को सुनने के लिए अवसर देना चाहिए। साथ ही यह भी बेहतर होगा कि माननीय मन्त्री जी सबकी बातों को सुनने के बाद अगर जवाब देते हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर स्पष्ट नहीं हो सकेगा, तो क्लीयरीफिकेशन का राइट जैसा आप कह रहे हैं वह तो है ही।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शम्भू नाथ जी, आप तो अधिष्ठाता मण्डल में भी हैं। अगर इस पर 425 आदमी दस्तखत कर देते तो 425 आदमी की बात सुनते। प्रश्न तो सबने उपस्थित किया है। सर्वप्रथम श्री सोनपाल हैं। प्रश्न उपस्थित हो चुका है। स्वास्थ्य मन्त्री जी पहले उत्तर देंगे और बाद में जिन सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं मैं सबको प्रश्न करने का अवसर दूंगा।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, हमको भी बाद में सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपका कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिए।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित---

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइए। आप अपना स्थान ग्रहण करिए।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित---

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिए। श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी ने जो कुछ कहा है यह कार्यवाही से निकाल दिया जाय। यह असंगत है।

श्री श्याम धर मिश्र---

माननीय अध्यक्ष जी, दफा 54 आप देख लें जरा। "जिस सदस्य ने सूचना दी हो, वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मन्त्री संक्षेप में उत्तर देंगे। इसके आगे देखें। "किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी।" मैं क्यों यह बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं? आपने एक आज्ञा दी कि केवल जितने लोगों ने नोटिस दिया है, उन्हीं को मैं आज्ञा दूंगा। मेरा आप से निवेदन है कि आपकी सीमा एक घंटा है, एक घंटा की सीमा का उल्लंघन न हो। तो इस नियम के अन्तर्गत उनको भी समय दिया जा सकता है जिन्होंने सूचना दी है और आपकी आज्ञा से उनको भी समय दिया जा सकता है जो खड़े हों। लेकिन सीमा का उल्लंघन न करें जो एक घंटे की है।

श्री अध्यक्ष---

इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। मैंने इतना कहा कि जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किए हैं उनको भी अवसर मिलना चाहिए और इसमें कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है कि अन्य सदस्यों को अवसर नहीं मिलेगा।

*स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)---

मान्यवर, जिस विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नोटिस में जो कुछ बातें कही गई हैं, मैंने उस नोटिस को पढ़ा और उसमें मुझे 2-3 चीजें ऐसी दिखाई दी जो सत्य से परे हैं। जैसे कहा गया है कि 1976 के अन्दर 12 प्रतिशत लिए गए थे तो सचाई यह है कि उस समय 9.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी सी0 पी0एम0टी0 में सेलेक्ट हुए थे। इसी तरह से आज 1977 में जो बताया गया है कि केवल 18 लिए गए हैं तो 18 नहीं, बल्कि 20 लिए गए हैं। सूचना को सही किये दे रहा हूं। इसी प्रकार से 1977 में लिखा गया है कि 789 अभ्यर्थी कुल चुने जाने थे। कुल संख्या चुने जाने वालों की 779 है। दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की कापियों को अलग से जांचा गया तो ऐसी बात नहीं है। यह सूचना सही नहीं है।

नोट---[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्याण सिंह---]

कापियां सभी एक प्रकार से जांची गयी हैं। कम्प्यूटर के माध्यम से उनका एसेसमेंट किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का कोई बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। पिछले वर्ष 1976 में कुल 779 अभ्यर्थी चुने गए थे। उनमें से 140 सीट्स अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित थीं। परन्तु उनमें से 54 लोग चुने गए थे। प्रतिबन्ध यह था चुनाव के लिए कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एग्रीगेट 50 प्रतिशत होना चाहिए और प्रत्येक इंडीविजुअल सब्जेक्ट्स में कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी। अनुसूचित जाति के लिए यह छूट दी गयी थी कि एग्रीगेट में उनको 45 प्रतिशत अंक लाने होंगे और इंडीविजुअल सब्जेक्ट्स में 30 प्रतिशत अंक यदि होंगे तो उनको मेरिट की सूची मे ले लिया जायगा। बाद में शासन ने विचार किया था और 1976 में जो 30 प्रतिशत इंडीविजुअल सब्जेक्ट्स में न्यूनतम अंक प्राप्त करने का प्रतिबन्ध था उसमें ढील दी गयी थी। उसके आधार पर फिर 22 अभ्यर्थी और चुने गए थे। इस प्रकार से कुल संख्या 76 हो गई थी। 1977 में नियम 1976 वाले ही लागू थे। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए एग्रीगेट में 50 प्रतिशत और इंडीविजुअल सब्जेक्ट्स में कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक थे। परन्तु शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए एग्रीगेट में 45 प्रतिशत और प्रत्येक इंडीविजुअल सब्जेक्ट्स में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक था। इस नियम के तहत जो मेरिट बनी थी उसके अनुसार कुल 20 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के सी0 पी0 एम0 टी0 में सेलेक्ट हो पाए थे। शासन ने इस पर विचार किया।

(इस समय 5 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए।)

हम भी अनुभव करते थे कि यह संख्या कम है। शासन ने इस पर फैसला किया कि प्रत्येक इंडीविजुअल सब्जेक्ट्स में जो 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने का प्रतिबन्ध था उसको, समाप्त कर दिया जाय और सदन में आप सबको, सभी सम्मानित सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि फैसला ले लिया है और निर्णय भी हो गया है। 30 प्रतिशत अंकों का प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से 37 अभ्यर्थी इसमें और शामिल कर लिए गए हैं। यह मेरे पास आज का फैसला है। इस प्रकार से अब संख्या 20 नहीं है, 30 प्रतिशत का प्रतिबन्ध समाप्त करने के पश्चात् यह संख्या 57 हो गयी है।

इसी प्रकार से शिड्यूल ट्राइब का भी एक छात्र और सम्मिलित हो गया है। संक्षेप में आज की स्थिति यह है कि आज फैसला हो चुका है कि जो भी छात्र इस श्रेणी में आते होंगे हम समाचार पत्रों में प्रकाशित करा रहे हैं कि इतने अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं, यदि किसी को लगता है कि मेरा नाम छूट रहा है। तो वह निर्धारित समय के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे तो उस पर विचार कर लिया जायेगा। हो सकता है कि एक-दो छात्र और निकल आवें। संक्षेप में यह है कि अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या अब 20 नहीं बल्कि 57 हो गयी है। इतना सा ही वक्तव्य है, संक्षेप में।

श्री मोती राम---

अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री महोदय जी से जानकारी चाहूंगा कि जैसा कि अपने वक्तव्य में माना कि 140 स्थान सुरक्षित थे। फिर परीक्षा के पहले जैसा कि सामान्य नियम है कि शिड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट तहसीलदार का मान्य है। लेकिन इस वर्ष परीक्षा में बैठने वाले ल कों के जिन्होंने तहसीलदार या एस0डी0एम0 के सर्टिफिकेट दिए थे जिनकी संख्या मेरी जानकारी के अनुसार 46 है उनके प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिए गए। मान्यवर, दूसरी इस देश के इतिहास में पी0एम0टी0 में बैठने वाले छात्रों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अलग रोल नम्बर और अलग सेन्टर क्यों कायम किए गए? मान्यवर, तीसरी चीज एक महीने से शिड्यूल कास्ट के छात्र और यहां के अनेक विधायक इस प्रश्न को लेकर सरकार के दरवाजे खटखटा रहे थे तो यह निर्णय पहले से क्यों नहीं लिया गया?

मान्यवर, एक चीज मैं और निवेदन करूंगा कि इस बार जो एग्रीगेट का प्रश्न ढीला करने की बात बताई जाती है इसको इस वर्ष बढ़ाने की क्या आवश्यकता प गयी? पी0एम0टी0 की परीक्षा एक टेस्ट है। इसमें बैठने से पहले प्रेस्क्राइब्ड क्वालीफिकेशन इन्टरमीडिएट साइन्स से परीक्षा पास करना पड़ता है। सिर्फ 140 जगहें हमारे शिड्यूल कास्ट की हैं और 140 छात्र एप्लाई करते हैं तो उनके लिए वीडिंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। वीडिंग टेस्ट की आवश्यकता तब प ती है जब निर्धारित जगह से अधिक प्रार्थना-पत्र हों। तो इसमें वीडिंग टेस्ट क्यों किया जा रहा है? मैं इस चीज को चाहूंगा कि सदन के सामने रखी जाय।

***श्री शम्भू नाथ---**

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी के जवाब से ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार ही नहीं बल्कि पिछली सरकार भी करती रही है कि जब चाहे तब कोई भी रवैइया अपना ले। जैसा कि अभी कहा गया 1971 से लेकर 1974 तक 90 लिए गए। 1975 में जब श्री बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर हुए तो उनकी हरिजन माइनारिटी के लिए अपनी लाइकिंग थी और उन्होंने विशेष ध्यान दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि 140 हो गए। इसके बाद जो चीफ मिनिस्टर आए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कहने के लिए समाजवादी हैं लेकिन उनका रवैया हमेशा हरिजनों के विपरीत रहा। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है। उन्होंने आकर 40 परसेंट और 30 परसेंट वाली बात कर दी। कहने का मतलब यह है कि हर साल सरकार के अधिकारी, मन्त्री या मुख्य मन्त्री अपने मन से जिस तरह चाहा उस तरह से मोड़ दे दिया। इसके पहले 40 परसेंट थे, फिर 45 परसेन्ट हो गए। अब की बार मन्त्री महोदय ने बयान दिया कि 45 परसेन्ट की कैद कर दी थी इसलिए लड़के नहीं आए। कम्प्यूटर से कापी जंची, ठीक है। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि 11 सेन्टर्स इन कैन्डीडेट्स के लिए अलग से नहीं खोले गए? अगर यह सेन्टर्स बनाए गए थे तो ऐसा क्यों किया?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ]

दूसरी बात यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट कैण्डीडेट्स के रोल नम्बर 1001 से शुरू हुए और जहां तक पहुंचे वहां तक शिड्यूल्ड कास्ट के रोल नम्बर कंटीन्युअस चले। ऐसा क्यों हुआ जबकि आज तक किसी भी परीक्षा में ऐसी पद्धति नहीं है।

तीसरी बात यह जानना चाहता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि यह बंगलिंग की गयी तो अगर यह साबित हो जाता है कि जानबूझ कर किसी अफसर ने इस तरह से गुमराह किया और शिड्यूल्ड कास्ट का हक मारने की कोशिश की तो उसके खिलाफ क्या प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स ऐक्ट में मन्त्री महोदय कोई ऐक्शन लेने के लिए तैयार हैं या नहीं? माननीय मन्त्री महोदय को शायद सिविल राइट्स प्रोटेक्शन ऐक्ट का ज्ञान है या नहीं, मैं नहीं जानता लेकिन दफा 5 में लिखा हुआ है कि अगर विलफुल नेगलीजेंस आन द पार्ट आफ गवर्नमेंट सर्वेन्ट है तो उसके खिलाफ प्रोसीड किया जा सकता है। अगर थारो इंक्वायरी करने के बाद यह बात साबित हो जाती है कि कहीं बिलफुल नेगलीजेंस गवर्नमेंट अफसर के पार्ट पर है तो आप क्या ऐक्शन लेंगे?

चौथा सवाल यह है कि गत वर्ष हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट का लड़के का नम्बर 903 था और लोवेस्ट 542 था। इस वर्ष का हाइएस्ट और लोवेस्ट नम्बर मन्त्री महोदय मेल और फिमेल का बता दें।

अभी माननीय मन्त्री जी ने कुछ एग्रीगेट कम किया है। इनडिविजुअल सब्जेक्ट का। शायद कुछ नम्बर कम किए हैं। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं लेकिन साथ ही साथ सब्मिशन भी करूंगा कि 45 प्रतिशत का 40 प्रतिशत किया गया है। उसे 40 प्रतिशत ही रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। जब लास्ट ईयर 40 प्रतिशत था तो उसमें काफी अच्छे लड़के आए थे।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री शम्भू नाथ—

एक सवाल और है। इनके यहां एक इंडियन मेडिकल काउन्सिल है। उसमें शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है और न अभी होने की सम्भावना है। लास्ट ईयर मेडिकल काउन्सिल ने कहा कि स्टैन्डर्ड लो हो जाता है इसको ऐसा किया जाय। नारायण दत्त तिवारी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने इसे 45 प्रतिशत कर दिया। तो क्या मन्त्री महोदय इस बात को मद्दे-नजर रखेंगे कि शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा करने के लिए 45 प्रतिशत से घटाने का विचार करेंगे या नहीं?

तीसरी बात मुझे यह कहनी है. . .

श्री अधिष्ठाता—

तीसरी बात नहीं यह छठ. बात है।

श्री शम्भू नाथ—

एम0एड0 और एम0एस0 के लिए और मेडिकल इंस्टीट्यूट में 5 प्रतिशत का रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट को दिया जाता है। क्या यहां भी यह रिलैक्सेशन देने का विचार कर रहे हैं? इस पर आपकी क्या नीति होगी?

(श्री गनेशी लाल चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शम्भू नाथ—

जवाब तो आने दें. . .

श्री अधिष्ठाता—

जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि सब लोग अपनी बात कह लें तब मन्त्री जी अन्त में बोलेंगे। मन्त्री जी नोट कर लें। अन्त में जवाब उनको देना है। इसके पहले जो प्रश्नकर्ता हैं—सूचना के प्रथम व्यक्ति–उनको भी अवसर दिया जायगा।

***श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—**

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है उससे ऐसा लगता है कि हरिजनों के प्रति सरकार की कोई भी नीति नहीं है जिससे उनका काम किया जा सके। शुरू से कुछ ऐसा लगता है कि वोट पाने की एक तरकीब है। जब जो चीफ मिनिस्टर आए तो उसने खट से ऐलान कर दिया और वोट ले लिया और उसके बाद उसको बदल दिया। मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि इस बारे में अपनी वह निश्चित राय व्यक्त करें। मैं माननीय मन्त्री जी के सामने उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में हरिजनों के आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। चिकित्सा विभाग में, मैं सूची पढ़ रहा हूं, प्रथम श्रेणी के 26 कर्मचारी हैं जिन में एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं है। द्वितीय श्रेणी में 1,048 हैं और हरिजनों में केवल 10 यानी एक परसेंट। तृतीय श्रेणी में 1,368 हैं और हरिजनों में 42 यानी 3 परसेंट हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य इस प्रश्न को केवल मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों तक ही सीमित रखें। अगर इसे व्यापक कर देंगे तो 1 घंटे के अन्दर न तो इस पर माननीय सदस्य अपने प्रश्न रख सकेंगे और न इसका उत्तर ही मिल सकेगा। मेरी और आप की सीमाएं इस प्रश्न से बंधी हुई हैं और 1 घंटे के अन्दर, इसको खत्म करना है। जिन्होंने इस प्रश्न को रखा है वे पहले बोल लें, दो एक सज्जन और बोल लें और फिर माननीय मन्त्री जी, 5, 10 मिनट में उनका उत्तर दे दें। अगर इस पर व्यापक रूप से बोला जायगा हरिजनों की समस्याओं पर तो एक घंटे में यह खत्म नहीं हो पाएगा और बिना उत्तर पाए ही यह खत्म हो जायगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो सज्जन बोलें वे दो, दो मिनट में अपने प्रश्न कर लें।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अगर नीचे की श्रेणी से हमारे लोग नहीं लिए जायेंगे तो ऊपर की श्रेणी में कैसे लिए जा सकते हैं? आज जो हालत प्रदेश में है उससे कहीं यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

भावना न पैदा हो जाय कि यह जो जनता सरकार है यह एंटी हरिजन सरकार है। इसलिए मन्त्री जी इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट रूप से घोषित करें कि मेडिकल कालेजेज में कितने परसेंट हरिजन लड़के भरे जायेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)---

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि छात्रों की समुचित भरती के लिए न्यूनतम प्रतिशत को घटाने का आदेश वह प्रसारित करेंगे ?

*श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)---

अधिष्ठाता महोदय, हरिजनों के सम्बन्ध में जो दिक्कतें पेश आ रही हैं वे आज से नहीं पिछले 30 वर्ष से आ रही हैं। आज तक वे दूर नहीं हो सकी हैं। वेद, पुराण जैसे शास्त्र व्यास जी लिख सकते थे, वाल्मीकी जी रामायण लिख सकते थे, अम्बेडकर जी संविधान बना सकते थे लेकिन कालेज में जो ढोंग इम्तिहान के नाम पर रचे जाते हैं उनमें वे पास नहीं हो सकते। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। हरिजन वर्ग में कमजोरी है, बलिदान करना नहीं चाहता, अगर बलिदान करने की भावना उसमें हो जाय तो आप देखेंगे कि कैसे वह फेल होते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न पर आ जाइए।

श्री हरी सिंह---

आप देखेंगे कि जब भी मेडिकल कालेज में ईमानदारी से सेलेक्शन हुआ सारे हरिजन लड़के आ गए जब कि पहले उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे जितने आज हैं लेकिन आज नहीं आ पा रहे हैं, इसका क्या कारण है ? चाहे कांग्रेस पार्टी हो या जनता पार्टी हो सबका रवैया एक सा है। जनता पार्टी से हमको उम्मीदें थीं कि यह कुछ करके दिखाएगी लेकिन यह तो कांग्रेस से भी बदतर निकली। 150 में से 18 ही लिए गए।

श्री अधिष्ठाता---

मन्त्री जी आपका प्रश्न समझ गए।

श्री हरी सिंह---

पहले आप समझिए, मन्त्री जी तो समझ ही जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता---

मुझे नहीं मन्त्री जी को समझना है।

श्री हरी सिंह---

आप भी मन्त्रियों की श्रेणी में हैं। मन्त्री तो किताब पढ़ रहे हैं। सन् 1952 से मैं आपको जानता हूं। जनता सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह जो ज्यादती हरिजनों पर हो रही है, उसे देखे। मन्त्री जी या तो इस्तीफा दें या फिर हरिजनों का कोटा मेडिकल कालेजेज में पूरा करें। हम उनके धोखे में आने वाले नहीं हैं। हम चैलेन्ज करते हैं, नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो हमारा त्याग-पत्र स्वीकार किया जाय। अभी तक नई कांग्रेस ने गरीबों का खून चूसा है। जनता पार्टी यह करने वाली नहीं है। नहीं तो कल्याण सिंह जी इस्तीफा देंगे।

श्री सूरज प्रसाद (जिला शाहजहांपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल दो बातें पूछना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी से। एक बात को उन्होंने मंजूर किया है कि बहुगुणा जी की सरकार के बाद तिवारी जी की सरकार में कमी आई और तिवारी सरकार के बाद हमारी जनता पार्टी की सरकार में कमी आई है। लेकिन जो गम्भीर प्रश्न है वह यह है कि अभी 15, 20 दिन पहले एक प्रतिनिधि मण्डल मन्त्री जी से मिलने के लिए आया था। मुझे छात्रों से पता चला कि उनकी बात को पूरी तरह न सुन कर उनको कमरे से निकाल कर बाहर कर दिया गया यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

एक सदस्य--

मैं माननीय विधायक से प्रार्थना करूंगा कि जिस पर चर्चा हो रही है उसी पर सीमित रहें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत देर से यह विवाद माननीय सदन में उपस्थित है। मान्यवर, यह समस्या बहुत ही गम्भीरता से सोचने की है। आज तो सिर्फ सी0पी0एम0 टी0 का मामला है इसलिए मैं आपका ध्यान किन्हीं और समस्याओं की ओर नहीं ले जाऊंगा और इस माननीय सदन का समय नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन मान्यवर, मैं बतलाना चाहता हूं कि आए दिन जो कुछ हो रहा है चाहे सी0पी0एम0टी0 हो, चाहे आई0 ए0 एस0 और पी0सी0एस0 हो। कुछ ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक भ्रम जैसा लोगों के मन में बन गया है चाहे जितना हंगामा किया जाय लेकिन इन हरिजनों के अधिकार पूरे नहीं होंगे। आज लोग बात कर रहे हैं कि हरिजनों के लिए एक कांसिपिरेसी चल रही है। मैं दो-एक बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि मैंने अपेक्षा की थी कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर नेता सदन उपस्थित रहेंगे लेकिन जानबूझ कर या हो सकता है कोई और कारण रहा हो वे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर उपस्थित नहीं हैं। हमारे हरिजन विधायक और बहुत सारे विधायक जो हरिजनों से सहानुभूति रखते हैं...

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न पर आयें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

एक प्रतिनिधि मण्डल माननीय मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में मिला था। मन्त्री जी ने कहा था गौरी शंकर जी आप कतई परवाह न करें जो 140 ल के लिए जाने हैं वह लिए जायेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा आप कतई चिन्ता न करें।

(व्यवधान)

आप 20 कह रहे हैं उस समय 18 था। 18 और 20 में बहुत भारी अन्तर है। मैंने कहा था कि क्या पूरी सीटें भर देंगे। माननीय मन्त्री जी को याद होगा यह पवित्र सदन है दो, चार, दस दिन पहले की बात है उन्होंने कहा गौरी शंकर जी 76 सीटें खाली हैं

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट]

उन 76 सीटों पर हम हरिजन लड़कों को लेने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी जवाब देते समय इस बात को कहें कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही। श्रीमन्, जब इस तरह का आश्वासन दिया तो वह पूरा क्यों नहीं हुआ ?

दूसरा एक और गम्भीर प्रश्न है कि आखिर अलग से सेन्टर क्यों, आखिर अलग से रोल नम्बर क्यों, अलग से व्यवस्था क्यों ? इससे साफ जाहिर है मैं चार्ज लगाना चाहता हूं मन्त्री जी को मैं जानता हूं वह सहानुभूति रखते हैं, क्या यह द्वेष नहीं है मैं इस बात का चार्ज लगाना चाहता हूं आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है उसके एक सेक्रेटरी ने यह धृष्टता की है कि यदि 30, 25 और 20 प्रतिशत कर दिया जायेगा तो पूरा कोटा 18 प्रतिशत का पूरा हो जायेगा और हरिजन ले लिए जायेंगे और इससे जनमानस में संकट बढ़ जायेगा।

यह मान्यवर, एक सेक्रेटरी की बात है। आप फाइल मंगवाकर देख लें, यह फाइल में है। तो क्या आप उस सेक्रेटरी को सदन में पेश करेंगे और उनका जवाब तलब करने का सदन को मौका देंगे या उसे शन्ट आउट करेंगे। आप 35 व 45 परसेंट की बात करते है, लेकिन यह प्रश्न नहीं है. . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें, समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

क्या कारण है कि आप एक मेरिट लिस्ट नहीं बना देते ? सबका मिक्सड एक्जामिनेशन करें, उनका सबका इकट्ठा इम्तहान करें और एक मिक्सड सीरीज तैयार करायें ? शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट अलग हो और दूसरे लोगों की अलग हो और शेड्यूल्ड कास्ट जितने लेने हैं, उनको आप ऊपर से मेरिट से ले लें। उसमें डफर आते हैं तो उनको लीजिए जीनियस आते हैं तो उनको लीजिए। यह तो केवल टेस्ट परीक्षा है, इसके बाद आप उनको कोई डाक्टर तो बना नहीं देते हैं। इसके बाद तो उनकी पांच साल का कोर्स पढ़ना पड़ता है। उस फायनल एक्जामिनेशन में चाहे कम्प्यूटर से जांच हो या एक्जामिनर के कलम या पेन से, वह एक ही उनका परसन्टेज है पास होने का। फिर यह प्रवेश के लिए क्यों इतनी हड़बोंग। जो फेल हो जायेंगे, वे घर चले जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप फौरन खत्म करें, अभी जवाब भी होना है।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

इसमें 30–35 परसेंट क्या होता है ? मैं अपने बड़े भाई की बात का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि आपने जो चीज घोषित की है, इसको पहले क्यों नहीं किया, यह करने का आज आपका मन क्यों आया। इस तरह से विलम्ब करते रहे तो उत्तर प्रदेश का हरिजन विधायक ही नहीं, हरिजन समाज से सहानुभूति रखने वाले अन्य विधायक भी—सारे के सारे सदन के अन्दर और बाहर इस बात के लिए, इस मांग के लिए भूख हड़ताल करेंगे।

(व्यवधान)

आपको सीटें बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। यदि आपने यह 140 के 140 नहीं लिए तो यह माननीय सदन चल नहीं पायेगा, हम सब लोग वाक-आउट करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो कुछ होगा, उसे हम देखेंगे,वर्ग संघर्ष होगा और उस वर्ग संघर्ष की हम अगुवाई करेंगे, जयप्रकाश जी ने जो वर्ग संघर्ष का नारा दिया है, उसे हम यहां कर के दिखायेंगे।

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

गुप्ता जी ने जो यहां पर व्यवस्था की थी कि उनकी अलग से एजूकेशन की व्यवस्था की जाय, क्या इस तरह की व्यवस्था आप नहीं कर सकते ? मैं कहना चाहता हूं कि आपकी बात उपयुक्त नहीं है। आप पूरी की पूरी सीटों पर उन्हें लीजिए,यह नहीं कि 57 ले लिया, आप पूरे के पूरे 140 लड़कों को लें।

श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

अनुसूचित जाति के लोगों को आशा थी कि जब जनता पार्टी की सरकार होगी तब हरिजनों की अधिक से अधिक सुरक्षित सीटें होंगी, परन्तु इस समय ऐसा मालूम पड़ता है कि हरिजनों के लिए इस सरकार ने सीटें कम कर दी हैं। हम लोग यह चाहते हैं कि जनता पार्टी की सरकार रिजर्व सीटों को आगे बढ़ाए। अगर जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार की अपेक्षा में कुछ रिजर्व सीट्स कम करना चाहती है तो इसका कारण स्पष्ट किया जाय।

(व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि हरिजनों के लिए. . .

श्री अधिष्ठाता—

देखिए, आप यह न भूलें कि 6 बजे समाप्त होना है और मन्त्री जी को भी आपको अभी सुनना है। आपने इतने प्रश्न किए हैं कि. . .

श्री हरी सिंह—

आप समय और बढ़ा दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

इसके लिए एक घंटा नियत किया गया है,आगे यह नियमों के खिलाफ कैसे हो सकता है ? अध्यक्ष जी ने एक घंटा स्वीकृत किया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटें कितनी थीं और अभी कितनी खाली हैं और क्या मन्त्री जी खाली जगहों को योग्यता के क्रम में हरिजनों से ही भरेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों,जबकि जनता ने पार्टी विशेष अवसर का सिद्धान्त बनाया है ?

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से तीन बातें पूछूंगा। पहली बात, पी0एम0टी0 का रेजल्ट जुलाई मेंआउट हो गया और अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि मण्डल आया और उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और सितम्बर में हो सकता है कि हरिजन विधायकों के दबाव में आकर, स्वेच्छा से नहीं, क्योंकि मर्जी से अगर होता तो जुलाई में आरक्षण पूरा कर लिया गया होता। सितम्बर में लिया जा रहा है। क्या कारण है? क्या वाहवाही लूटने की बात है, या राजनीतिक दबाव में आकर घोषणा की जा रही है? दूसरी बात, पिछले शासन में 20 प्रतिशत आरक्षण था। वह घटा कर 18 प्रतिशत हो गया है। इस में 140 सीटें थीं। उसमें से डेढ़ हजार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी बैठे। उसमें से केवल 20 व्यक्ति योग्य निकले। यह भी एक आश्चर्य की बात है। तीसरी बात, जो मन्त्री ने शुरू में कहा, इनकी परीक्षा का ढंग अलग नहीं रखा गया जबकि हमारी सूचना है कि इनकी अलग-अलग कापियां बनाई गयीं, अलग-अलग जांची गयीं, अलग रिजल्ट बनाया गया। तीन चीजों का जवाब दें?

***श्रीमती रामरति देवी** (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय,मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानकारी चाहूंगी कि 1975-76 में पिछली सरकार ने एक हरिजन.अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति तथा विमुक्त जाति समिति बनायी थी, उस समिति का उद्देश्य यही था कि हरिजन सम्बन्धी जो भी विवाद हों, कठिनाइयां हों, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाय। उस समिति में भी यह बातें आयीं। पी0एम0टी0 में 1975-76 में भी मेडिकल छात्रों की संख्या बहुत ही कम थी। उस पर समिति के सारे सदस्यों में असन्तोष पैदा हुआ। उस असन्तोष को ले कर उन्होंने समिति में यह बातें रखीं, समिति के सामने जब यह बात रखी गयी तो नतीजा यह निकला कि हरिजन छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। लोगों की भावना अच्छी नहीं थी। चाहे उसमें अधिकारीगण शामिल हों अथवा अन्य लोग शामिल हों। तो समिति के सामने विभाग के सेक्रेटरी भी बुलाए गए।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया प्रश्न करें जिससे मन्त्री जी जवाब दें।

श्रीमती रामरति देवी—

हरिजनों के साथ क्या भावना रखी जाती है उसको लेकर प्रश्न पर मैं आ रही हूं अधिष्ठाता महोदय, इस तरह से सेक्रेटरी बुलाए जाने पर यह बात स्पष्ट हुई कि हरिजन छात्रों को जैसा कि मन्त्री जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 45प्रतिशत के आधार पर उनको नामजद करना था। छात्र निर्धारित संख्या में नहीं लिए गए। उसके बाद समिति ने यह सोचा कि इस अंक को घटा कर 40 प्रतिशत पर किया। इस तरह से हरिजन छात्रों को लिया गया। तो मैं यह जानना चाहती हूं कि यह परम्परा कब तक चलती रहेगी? हरिजनों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसके लिए हमारे माननीय सदस्य कब तक जागरूक रहेंगे, हरिजनों के साथ उचित न्याय नहीं किया जा रहा है। हरिजनों के प्रति भावना अच्छी नहीं है तो मैं यह जानना चाहती हूं कि यह कब तक कृपा के पात्र बने रहेंगे?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस ब्यूरोक्रेसी के कारण जनता पार्टी के घोषणा-पत्र . .

श्री गनेशी लाल चौधरी---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठ जाइए ।

श्री गनेशी लाल चौधरी---

आप मन्त्री जी को बुलायें ताकि हम कुछ सुन सकें ।

श्री श्याम देव---

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि आप एक समिति गठित कीजिए जो हरिजनों के साथ हुई अनियमितताओं की जांच करे। जिस तरह से आई0ए0एस0 के लिए हरिजनों को कोचिंग की व्यवस्था है उसी तरह से पी0एम0टी0 में भी हरिजनों को कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। आज सदन में हरिजन भाई का जो आक्रोश है उसका कारण नौकरशाही है और जनता पार्टी की सरकार को भी यह नौकरशाही बदनाम कर रही है। मैं चाहता हूं कि हरिजनों की समस्याओं पर जरूर विचार किया जाय नहीं तो हम संघर्ष करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता---

अधिष्ठाता होने के नाते मुझे जो अधिकार प्राप्त हैं मैं 15 मिनट सदन का समय बढ़ाए देता हूं। एक-दो सदस्य और बोल लें। उसके बाद सोनपाल बोलेंगे और अन्त में माननीय मन्त्री जी बोलेंगे ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन. . .

एक सदस्य---

माननीय मन्त्री जी को बोलने के लिए कम से कम 15 मिनट का समय दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता---

6 बजे समाप्त होने की बात थी। अध्यक्ष जी ने एक घंटा का समय दिया है। हम लोग मैनेज करेंगे 15 मिनट में ।

श्री ऊदल---

जो शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ने यह रिकमेंड किया था कि हरिजन लड़कों की अलग से लिस्ट बनाई जाय और उनको प्राथमिकता देकर 18 प्रतिशत का कोटा पूरा किया जाय। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस रिपोर्ट के अनुसार जो ल के बैठे थे टेस्ट के लिए, उनको प्राथमिकता दी गयी है कोटा पूरा करने के लिए ? मन्त्री जी ने कहा कि 57 कर दिया गया है, यह आज बता रहे हैं। पहले किस आधार पर 20 कह गए थे। जिन अधिकारियों ने इस तरह की गलती की है क्या उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी ?

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

बड़ी देर से यह विवाद चल रहा है, माननीय मन्त्री जी अपने राजनैतिक जिन्दगी में ऐसे दल से सम्बन्धित रहे हैं जिनका गरीबों और हरिजनों से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। इसलिए उन्होंने जानबूझ कर हरिजनों को गुमराह किया और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी बदलती हुई राजनीति में वह मन्त्री बने. . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सुन्दर लाल जी, आप प्रश्न कीजिए।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

आप अपने वायदे से टल रहे हैं। आप हरिजन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आप कोटा फिक्स करें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सुन्दर लाल जी, आप सुन तो लीजिए ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मन्त्री जी को अपने पद से इस्तीफा देकर जनप्रियता का परिचय देना चाहिए।

श्री सोन पाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि जो 140 सुरक्षित स्थान हैं क्या उन्हें पूरा करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों ने सी0पी0एम0टी0 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के सेलेक्शन के प्रश्न के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाए हैं, उनका मैं एक-एक करके उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि जब तक कलेक्टर का सार्टीफिकेट नहीं था, तब तक उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया या जब मैरिट बनाने जा रहे थे तो उसका विचार नहीं किया गया। किया यह गया है कि अगर किसी ने एस0डी0एम0, ए0डी0एम0 या तहसीलदार का सार्टीफिकेट नत्थी कर दिया था तो उसको रोका नहीं गया। केवल उन सार्टीफिकेट्स को डी0 एम0 से काउन्टरसाइन कराने के लिए कहा गया था। यदि ऐसे किसी अभ्यर्थी का नाम मैरिट में रह गया हो मान्यवर, तो मेरी सदस्यों से प्रार्थना है कि वे ऐसे अभ्यर्थी का नाम लिख कर दें, मैं जांच करा दूंगा।

एक सदस्य—

पूरा का पूरा फार्म रेजेक्ट कर दिया गया।

श्री कल्याण सिंह—

यह सूचना मेरी जानकारी में नहीं है। आप कृपया मुझे लिख कर दें ।

एक सदस्य—

यह शासन का दोष है। इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

जिनके पास तहसीलदार का सार्टीफिकेट है उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया मैं लिस्ट एक नहीं 100-50 की दे सकता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप मन्त्री जी को सुनिए। उन्हें अपना वक्तव्य देने दें।

एक सदस्य—

बिना पढ़े चले आते हैं. . .

श्री कल्याण सिंह—

मेरी सूचना यह है कि. . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

सुनिए, सुनिए।

श्री कल्याण सिंह—

मेरी सूचना यह है कि यदि किसी परीक्षार्थी ने तहसीलदार का सार्टीफिकेट लगाया है और परीक्षा में उसे बैठने नहीं दिया गया आप लिख कर दें, मैं जांच करा लूंगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

बीच में प्रश्न न करें। प्रश्न बहुत हो चुके हैं। बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह—

एक प्रश्न यहां पर आया कि परसेंटेज को घटा दिया गया।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मैं नाम लिख कर दे दूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि अब इन लड़कों के निदान के लिए आपके पास क्या उपाय है ?

श्री अधिष्ठाता—

मैंने कोई प्रश्न करने की आज्ञा नहीं दी है। समय सीमित है और उस सीमित समय में माननीय मन्त्री जी को उत्तर भी देना है। जो अब नए प्रश्न हो रहे हैं तो उससे माननीय मन्त्री जी के उत्तर देने के समय में कम हो रहा है। इस समय सदन के पास बहुत ही सीमित समय है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि सदन का समय आधा घंटे और बढ़ा दिया जाय ताकि जो प्रश्न किए गए हैं, उनके उत्तर आ सकें।

श्री अधिष्ठाता--

नियमों में हम नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारे पास रूलिंग है जिसमें दिया हुआ है कि अध्यक्ष या अधिष्ठाता केवल 15 मिनट के लिए समय बढ़ा सकते हैं। वह समय हमने बढ़ा दिया है।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

मैं खड़ा हुआ हूं, आप कृपया बैठ जायं।

इस सम्बन्ध में मैंने देख लिया है। सचिव से भी पूछ लिया है। नियमों में दिया हुआ है कि इसमें समय पूर्व निश्चित होगा, जोकि एक घंटा है। इसके आगे हम एक मिनट भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन अधिष्ठाता के नाते अधिक से अधिक जितना सम्भव था हमने बढ़ा दिया है। इस बारे में रूलिंग है। पिछली बार ऐसा ही यहां पर प्रस्ताव आया था इसी विषय पर, परन्तु समय नहीं बढ़ाया गया। तो जितना समय आप लेंगे उतना समय आप मन्त्री जी के जवाब के समय से काट रहे हैं। सदन को ठीक सवा छः बजे उठना है।

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)--

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि 15 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय। जब आप 15 मिनट का समय बढ़ा सकते हैं तो आधे घंटे का भी बढ़ा सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

रूल्स में नहीं हो सकता है। सदन को समय बढ़ाने का अधिकार ऐसी दशा में नहीं है।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, कहा गया कि एग्रीगेट में प्रतिशत घटा दिया गया। मेरा कहना है कि यह 45 प्रतिशत मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया का लगाया हुआ है। उनका यह डायरेक्टिव मैनडेटरी है, यह गवर्नमेंट आफ इंडिया ने किया है। प्रदेश सरकार की ओर से हम यह प्रयास करेंगे कि मेडिकल कौंसिल को यह अनुरोध करें कि अनुसूचित जाति के लिए एग्रीगेट में जो 45 प्रतिशत है उसमे भी ढील दी जाय ताकि अधिक से अधिक संख्या में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी आसकें लेकिन जब तक यह डायरेक्टिव मैनडेटरी है, हम 45 प्रतिशत से कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ बंधे हैं।

एक प्रश्न माननीय सदस्य ने यह उठाया कि छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। यह सत्य से परे है। किसी भी शिष्ट मण्डल के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। जो लोग भी आए उनकी बात को शान्तिपूर्वक सुना गया। इसलिए यह आरोप लगाना अनुचित और अशोभनीय है।

माननीय गौरी शंकर जी ने यहां पर यह कहा कि हमने उनको कोई आश्वासन दिया था कि जो 76 सीट्स हैं, खाली पड़ी हैं उन पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को ही भरा जायगा। मैं बड़ी विनम्रता से यह कहूंगा कि यह बात उन्होंने अपने मन से कही है। मैंने इस प्रकार का कोई भी आश्वासन उनको नहीं दिया। मैंने कहा कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है ताकि उनकी संख्या बढ़ सके। इतनी सी केवल बात थी....

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मैं इतना ही कहना चाहता हूं....

श्री अधिष्ठाता—

अनुपूरक नहीं होंगे। .....माननीय सदस्य बिना अनुमति के न बोलें। अनुपूरक प्रश्नों का कोई विधान नहीं है। जो प्रश्न आपने कर दिया उसका उत्तर दिया गया, जितना सन्तोष हो सके उस उत्तर से प्राप्त करें।

श्री कल्याण सिंह—

इसी प्रकार से मान्यवर, एक ब ा महत्व का प्रश्न उठाया था कि जिस प्रकार से इन सेवाओं में भर्ती होने के पहले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को कोचिंग की कोई व्यवस्था की जाती है सी0 पी0 एम0 टी0 में भर्ती होने के लिए उस टेस्ट में बैठने के पहले उनके कोचिंग की कोई व्यवस्था की जाय। शासन इस सुझाव पर अवश्य विचार करेगा, यह सुझाव उपयोगी भी है, व्यावहारिक भी है, ताकि उनको सी0 पी0 एम0 टी0 में बैठने से पहले एक अच्छा सा ज्ञान हो जाय ताकि उनका प्रतिशत 18 का जो निर्धारित किया जा रहा है वह पूरा किया जा सके। (तालियां)

जहां तक मेरिट बनाने का प्रश्न है, मेरिट बनाने में भी कहीं किसी प्रकार कोई अनियमितता नहीं हुई है। मेरी जानकारी जो है उसमें अलग से उनको रोल नम्बर नहीं दिए गए हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनको अलग से रोल नम्बर दिए गए थे, अलग से सेन्टर्स कायम किए गए थे....

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

प्रशासन आपको गुमराह कर रहा है।

श्री कल्याण सिंह—

तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि कैसे अलग रखे गए थे या नहीं और रखे गए थे टेस्ट के लिए सेन्टर्स अलग तो क्यों रखे गए थे, इसकी भी जांच करा लूंगा। साथ ही साथ जहां किसी प्रकार का कोई आक्षेप आता हो कि मेरिट के बनाने में कहीं-कोई गलती हुई है तो कोई केस दीजिए, उस केस की स्क्रूटिनी करा लेंगे और मैं आश्वासन देना चाहता हूं और भी मामले में अगर बेईमानी पक में आ गयी तो चाहे कोई ब ा अधिकारी क्यों न रहा हो, शासन किसी को छोड़ेगा नहीं, लेकिन टेस्ट केस लाइए। एक प्रश्न मुझसे पूछा गया था कि सन् 1976-77 में मैं यह बताऊं कि सामान्य पुरुष और सामान्य स्त्रियों के प्राप्तांक का अधिकतम और न्यूनतम अंक क्या था तथा 1975-76 और 1976-77 के अंक, अनुसूचित जाति के अधिकतम तथा न्यूनतम कितने थे . .

जनरल मेल 1976 में 1200 नम्बर का टेस्ट था। 4 विषय 3-3 सौ नम्बर के थे। जो जनरल मेल का मैक्जिमम प्राप्तांक था वह था 1,021 और मिनिमम 875 था। 1977 में जनरल मेल का 1,046 और मिनिमम 837 था। उसी प्रकार जनरल फीमेल का 1976 में अधिकतम प्राप्तांक 974 और न्यूनतम 770 था, 1977 में जनरल महिलाओं का अधिकतम 1,024 था और न्यूनतम 747 था। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों

[श्री कल्याण सिंह]

का 1976 में अधिकतम प्राप्तांक 903 था और न्यूनतम 541 था। 1977 में अधिकतम 768 है और न्यूनतम 540 है।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ जो प्रश्न उठाए गए हैं, मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। जहां कहीं अनियमितता की बात होगी निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और 20 तारीख को 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 12 मिनट पर मंगलवार, 20 सितम्बर, 1977 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
14 सितम्बर, 1977।

विधान परिषद

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 29(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12 पर।]

पालीटेक्निकों के छात्रों की मांगें

1—बैंक पेपर प्रणाली पुन : लागू की जाय ।

2—बैंक पेपर की सुविधा तीन विषयों में की जाय तथा इसमें किसी प्रकार का बन्धन न हो।

3—कृपांक तीन विषयों में 10 नम्बर का हो तथा किसी भी अनुपात में दिए जाने की सुविधा हो।

4—बैंक पेपर के प्राप्त अंकों को परिणाम में प्राप्त अंकों के साथ जोड़ा जाय।

5—परीक्षा का समय 2 1/2 घंटों से बढ़ा कर तीन घंटे किया जाय या प्रश्नों की संख्या कम की जाय।

6—पालीटेक्निक में प्रवेश परीक्षा आधार पर हो तथा न्यूनतम योग्यता प्रवेश के लिए इन्टरमीडिएट की जाय।

7—अन्तिम वर्ष के बैंक पेपर का परिणाम एक माह के अन्दर घोषित किया जाय।

8—लखनऊ में एक इन्जीनियरिंग डिग्री कालेज खोला जाय (उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकटवर्ती क्षेत्रों के छात्रों के सुविधा हेतु) ।

9—प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए अलग-अलग निरीक्षक हों।

10—पुनः मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाय।

11—बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर किया जाय जिससे सभी कार्य सुचारुरूप से हो सके।

12—डिप्लोमा की पुस्तकों की दर में कमी की जाय।

13—प्रथम वर्ष के अनुत्तीर्ण छात्रों को तीन अवसर प्रदान किया जाय।

14—निर्धन छात्रों को पढ़ने एवं रहने की सुविधा दी जाय।

15—60 प्रतिशत पर प्रथम श्रेणी प्रदान की जाय।

16—पार्ट टाइम के सिविल के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष अनुत्तीर्ण छात्र को या तो दूसरे ट्रेड में प्रवेश दिया जाय अन्यथा रेगुलर के साथ पढ़ने की अनुमति दी जाय जिससे उनका भविष्य अन्धकारमय न हो।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम 29(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12 पर।]

1—(क) अस्थायी अनानुमोदित शिक्षकों की सेवाओं का नियमितीकरण हो ।
(ख) सेवा समाप्त सभी अध्यापक सेवा में वापस लिए जायें।
(ग) भविष्य में तदर्थ नियुक्तियां बिल्कुल बन्द की जायें ।

2—संवर्गेतर पदों को संवर्गान्तिर्गत लाया जाय।

3—प्रवक्ता के पदों को अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) के समकक्ष घोषित कर सीधे श्रेणी 2 में पदोन्नत किया जाय।

4—प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या पदों पर प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति बन्द हो तथा सम्बन्धित राजाज्ञा निरस्त हो।

5—राष्ट्रीय वेतन-मान के अनुसार शिक्षकों को नए वेतन-मान स्वीकृत किए जायं ।

6—वेतन असंगति समिति की संस्तुतियों के अनुसार शिक्षकों को चयन वेतन-मान देने की राजाज्ञा निर्गत की जाय ।

नत्थी 'ग'

परिशिष्ट 'क'

[देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 17 पर।]

1975 तक का मानक

पर्वतीय क्षेत्र के लिए विद्यालयों को मान्यता देने के सम्बन्ध में जिन बिन्दुओं पर मानक के अनुसार शिथिलता प्रदान किए जाने की प्राविधान है, उन बिन्दुओं के सम्बन्ध में मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र का तुलनात्मक विवरण।

मैदानी क्षेत्र का मानक	पर्वतीय क्षेत्र का मानक
1—छात्र संख्या—	1—छात्र संख्या—
(अ) नवीन हाई स्कूल की मान्यता हेतु बालक विद्यालयों में कम से कम 100 छात्र तथा बालिका विद्यालयों में 60 छात्रायें हों।	(अ) नवीन हाई स्कूल की मान्यता हेतु जूनियर कक्षाओं में कम से कम 80 छात्र तथा बालिका विद्यालय में 60 छात्रायें हों।
(ब) नवीन इन्टरमीडिएट के आवेदन-पत्रों पर तब विचार किया जायगा जब हाई स्कूल में आवेदित वर्ग में कम से कम दो-दो उप-विभाग हों अथवा विद्यालय में कम से कम 500 छात्र हों अथवा पिछले परीक्षाफल से यह निष्कर्ष निकलता हो कि कक्षा 11 में उसी विद्यालय में कम से कम 25 छात्र उपलब्ध हो जायेंगे।	(ब) इन्टरमीडिएट के आवेदन-पत्रों पर तब विचार किया जायगा जब हाई स्कूल में आवेदित वर्ग में कम से कम दो उप विभाग हों, 400 छात्र/छात्रायें हों अथवा पिछले परीक्षाफल से यह निष्कर्ष निकलता हो कि कक्षा 11 में उसी विद्यालय से कक से कम 25 छात्र उपलब्ध हो जायेंगे।
2—भवन—	2—भवन
25×20 या 500 वर्ग फिट के (जिनकी चौड़ाई कम से कम 17 फिट हो) प्रत्येक उप विभाग के लिए एक कक्षा कक्ष हो।	पहाड़ी क्षेत्र की नई मान्यता के प्रश्न पर विचार करते समय कुछ छूट दी जा सकती है, पर किसी भी परिस्थिति में शिक्षण कक्ष तथा पुस्तकालय के लिए ऐसे कक्ष स्वीकार नहीं किए जायेंगे जिनका क्षेत्रफल 400 वर्ग फिट (चौड़ाई कम

	से कम 16 फिट) से कम हो। जिन क्षेत्रों में 10 वर्षों तक किसी भी कक्षा में 30 विद्यार्थियों से अधिक बढ़ने की सम्भावना न हो, वहां पर 20× 18 या 300 वर्ग फिट (चौड़ाई 16 फिट) तक के भवन शिक्षण कक्ष मान लिए जायेंगे।
3—संदान—	संदान—
(अ) बालक विद्यालय—हाई स्कूल 15,000 रु0 वार्षिक आय 450 रु0।	बालक एवं बालिका विद्यालय :—
इन्टर 20,000 रु0 वार्षिक आय 600 रु0	हाई स्कूल 10,000 रु0 वार्षिक आय 300 रु0।
(ब) बालिका विद्यालय—हाई स्कूल 10,000 रु0 वार्षिक आय 300 रु0।	इन्टरमीडिएट 15,000 रु0 वार्षिक आय 450 रु0।
इंटरमीडियेट 15;000 रु0 वार्षिक आय 450 रु0।	
4—क्रीड़ा स्थल :—	क्रीड़ा स्थल :—
1—ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित साइज का क्रीड़ा स्थल।	पहाड़ी क्षेत्र एवं बालिका विद्यालयों में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार छूट दी जा सकती है।
2—शहरी क्षेत्र के लिए कम से कम ऐसा मैदान होना चाहिए जिसमें दो बालीबाल के खेल का मैदान निकल सके, साथ ही साथ सप्ताह में एक बार निर्धारित साइज के क्रीड़ा स्थल के किराए पर लेने की व्यवस्था हो।	

परिशिष्ट 'ख'

उन विद्यालयों की सूची जिनके मान्यता के प्रकरण वर्ष 1975–76 में स्वीकृत हुए:—

जनपद—नैनीताल

1—गोविन्द बल्लभ पन्त इ0का0, भवाली, नैनीताल	इन्टर साहि0 वर्ग में संस्कृत अति0 विषय।
2—एम0 पी0 इ0 का0 रामनगर, नैनीताल . .	इन्टर वैज्ञा0 वर्ग में जीव वि0 अति0।
3—श्री सनातन धर्म कन्या इन्टर कालेज, रुद्रपुर, नैनीताल।	इन्टर साहि0 में गृह विज्ञान अतिरिक्त।

जनपद—अल्मोड़ा

4—माध्यमिक विद्यालय, मछोड़, अल्मोड़ा . .	हाई स्कूल नवीन।
5—उ0 मा0 विद्यालय, उत्तम साड़ी, अल्मोड़ा . .	इन्टर नवीन।
6—श्री गांधी उ0 मा0 विद्यालय, जयरासी, अल्मोड़ा।	इन्टर नवीन।
7—जनता उ0 मा0 विद्यालय, गुमटी मटेला, अल्मोड़ा।	हाई स्कूल में वैज्ञा0वर्ग अतिरिक्ति
8—गांधी उ0 मा0 विद्यालय, अशो, अल्मोड़ा . .	हाई स्कूल वैज्ञानिक अतिरिक्त।

जनपद—पिथौरागढ़

9—उ0 मा0 विद्यालय, सिगाली, पिथौरागढ़ . .	हाई स्कूल वैज्ञानिक अतिरिक्त।

जनपद—पौड़ी गढ़वाल

10—उ0 मा0 वि0, रिखनीखाल, पौड़ी गढ़वाल . .	इन्टर नवीन।
11—उ0 मा0 वि0, बेजरो, पौड़ी गढ़वाल . .	इन्टर नवीन।
12—उ0 मा0 वि0 रवीनखाल, पौड़ी-गढ़वाल . .	इन्टर नवीन।
13—सिद्ध खाल जनता इं0 का0, चुरानी, पौड़ी-गढ़वाल।	इन्टर में वैज्ञानिक वर्ग अतिरिक्त।

जनपद—टिहरी गढ़वाल

14—ग्रामीण मा0 वि0 ठेला नेणचासी, डांगीनेलचामी, टिहरी गढ़वाल।	हाई स्कूल नवीन।
15—महेन्द्र जनता उ0 मा0 वि0 काफलपानी, टिहरी-गढ़वाल।	हाई स्कूल नवीन।
16—पूर्व मा0 वि0 पिपलीघर, टिहरी गढ़वाल . .	हाई स्कूल नवीन।

जनपद—चमोली

17—उ0 मा0 वि0, कण्डाई दशज्यूला, चमोली . .	हाई स्कूल वैज्ञानिक अतिरिक्त।

जनपद—देहरादून

18—गुरुनानक पब्लिक महिला हा0 से0 स्कूल, प्रेमनगर, देहरादून।	इन्टर नवीन।
19—जौनसार बावर हा0 से0 स्कूल, साहिया, देहरादून।	इन्टर नवीन।
20—महावीर जैन कन्या पाठशाला इ0 का0, देहरादून।	हाई स्कूल वैज्ञानिक वर्ग अतिरिक्त।

विधान सभा

परिशिष्ट 'ग'

विद्यालयों को हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट की मान्यता प्रदान करने हेतु निर्धारित मानकों से पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों को जिन-जिन विषयों में छूट दी गयी है उसका विवरण

मैदानी क्षेत्र के विद्यालयों के लिए निधारित मानक	पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों के लिए निर्धारित मानक
(1) **भवन**—	
(1) शिक्षण कक्ष का क्षेत्रफल 48 वर्ग-मीटर तथा विशेष परिस्थितियों में 41 वर्ग-मीटर तक मान्य होगा पुराने शिक्षण कक्ष 36 वर्ग मीटर तक मान्य होंगे।	(1) शिक्षण कक्ष का क्षेत्रफल 36 वर्ग-मीटर तक पुराने कक्ष 32 वर्गमीटर तक मान्य होंगे।
(2) **क्रीड़ास्थल :—**	
(क) ग्रामीण क्षेत्र के लिए कम से कम 7776 वर्गमीटर का क्रीड़ास्थल।	(2) पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार छूट दी जा सकती है।
(ख) शहरी क्षेत्र के लिए कम से कम ऐसा मैदान जिसमें दो बालीवाल के मैदान निकल सकें।	
(3) **छात्र संख्या हाई स्कूल के लिए**—	
जूनियर कक्षाओं में (कक्षा 6 से 8 तक में) कम से कम 150 छात्र तथा कक्षा 8 में कम से कम 40 छात्र।	(3) जूनियर कक्षाओं में कम से कम 85 छात्र तथा कक्षा 8 में कम से कम 30 छात्र।
(4) **छात्र संख्या इन्टरमीडिएट के लिए**—	
हाई स्कूल में आवेदित वर्ग में दो उप विभाग हों अथवा विद्यालय में कम से कम 400 छात्र हों अथवा पिछले परीक्षाफल से यह निष्कर्ष निकलता हो कि कक्षा 11 में उसी विद्यालय से कम से कम 40 छात्र उपलब्ध हो जायेंगे।	(4) हाई स्कूल में आवेदित वर्ग में दो उप विभाग हों अथवा विद्यालय में कम से कम 250 छात्र हों अथवा पिछले परीक्षाफल से यह निष्कर्ष निकलता हो कि कक्षा 11 में उसी विद्यालय से कम से कम 25 छात्र उपलब्ध हो जायेंगे।
(5) प्राभूत—	
हाई स्कूल के लिए 15,000 रु0 तथा इन्टरमीडिएट के लिए 20,000 रु0 जिससे क्रमश: 900 रु0 तथा 1,200 रु0 वार्षिक आय हो।	(5) हाई स्कूल के लिए 10,000 रु0 तथा इन्टरमीडिएट के लिए 15,000 जिससे क्रमश: 500 रु0 तथा 800 रु0 वार्षिक आय हो।

टिप्पणी—उपर्युक्त मानकों में "पर्वतीय क्षेत्र" के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र माने जावेंगे :—

अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल तथा पौड़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण क्षेत्र, नैनीताल जनपद में तराई क्षेत्र को छोड़कर शेष भाग तथा देहरादून जनपद की केवल चकराता तहसील।

परिशिष्ट 'घ'

उन विद्यालयों की तालिका जिनके मान्यता के प्रकरण वर्ष 1976-77 में स्वीकृत हुए--

1—बालिका विद्या मन्दिर, नैनीताल	हाई स्कूल नवीन।
2—नगरपालिका बालिका उ0 मा0 वि0, ऐशडेयमल्लीताल, नैनीताल।	इन्टर साहित्य वर्ग में समाजशास्त्र, संगीत मा0, कला (आलेखन) तथा संस्कृत अति0 विषय।
3—कृषि विज्ञान उ0 मा0 वि0, चनौली कैलानी, अल्मोड़ा।	हाई स्कूल नवीन।

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर।)

महत्वपूर्ण

संख्या 3185/29-एफ-6-10--57(20)-77

प्रेषक,

खंजन लाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक, अगस्त 20, 1977।

विषय---वितरण प्रणाली में सुधार।

महोदय,

ाद्य तथा
रसद
विविध)
ुभाग-6

उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उपभोक्ताओं के हित में सबल बनाने के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिए हैं --

(1) सरकारी सस्ते गस्ले की दुकानों का प्राथमिकता क्रम निम्न प्रकार रहेगा--

(क) सहकारी समितियां

(1) जनता दुकान।

(2) हरिजन, स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों तथा राजनैतिक मीसा या डी0 आई0 एस0 आई0 आर0 के बन्दियों की सहकारी समितियां।

(3) अन्य सहकारी समितियां।

(ख) राजनैतिक मीसा बन्दी या डी0 आई0 एस0 आई0 आर0 बन्दी जिन्होंने कम से कम 6 मास का कारावास भोगा हो।

(ग) स्वतन्त्रता सैनिक, आजाद हिन्द फौज के सैनिक, परिगणित जाति के व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक, अपंग और लड़ाई में मारे गये सैनिकों के परिवार के सदस्य।

(घ) वर्मा तथा लंका से वापस हुए लोग।

(ड.) व्यक्तिगत फुटकर विक्रेता।

उपरोक्त श्रेणियों में आने वालों को दूकानों का आवंटन इस शर्त पर किया जायेगा कि आवंटी को व्यापार करने में रुचि तथा उसमें दूकान चलाने की आर्थिक क्षमता हो।

(2) तहसील स्तर पर खाद्य सलाहकार समिति का गठन।

पहले तहसील स्तर पर किसी भी समिति का गठन न था जिसके कारण उपभोक्ताओं एवं उचित मूल्य के दुकानदारों को जिला मुख्यालय तक दौड़ना पड़ता था और उनके विरुद्ध कभी भी अनियमितता के पाए जाने पर मण्डलायुक्त स्तर के मुख्यालय तक दौड़ना पड़ता था। साथ ही साथ दूकानदारों पर भली प्रकार से निगरानी भी नहीं हो पाती थी। अत : शासन ने तहसील स्तर पर समिति का गठन एवं जिलाधिकारी के स्थान पर परगनाधिकारी को लाइसेन्स देने का अधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया है जिसकी व्यवस्था इस प्रकार होगी :—

(1) तहसील स्तर पर खाद्य समिति का गठन किया जाएगा । सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार होगी :

सरकारी सदस्य—8

(अ) एस0 डी0 एम0 अध्यक्ष होंगे तथा तहसीलदार सचिव व समस्त बी0 डी0 ओ0 सदस्य होंगे

(ब) जिन तहसीलों में नगरीय क्षेत्र होंगे, उनकी तहसील समिति में नगर क्षेत्र के अधिकारी को भी सम्मिलित किया जाएगा।

(स) जो नगर क्षेत्र सिटी की परिभाषा म आते हैं वहां की समिति का गठन सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में किया जाएगा।

गैर सरकारी सदस्य—

गैर सरकारी सदस्य 3 से 5 तक होंगे जिनका नामांकन शासन के अनुमोदन से किया जाएगा।

तहसील खाद्य समिति के अधिकार

इस समिति को सरकारी दुकान चयन करने का अधिकार होगा। यह समिति न्याय पंचायत के स्तर की चयन तथा सतर्कता समिति से प्रत्येक दुकान के लिए कम से कम 3 नाम संस्तुति के साथ प्राप्त करेगी और यदि किसी दुकान के प्रति शिकायत होगी तो वह भी न्याय पंचायत से प्राप्त करेंगी। इसके पश्चात् न्याय पंचायत समिति से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करने के पश्चात् अपना प्रस्ताव परगना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। परगना अधिकारी समिति के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए दुकानों का चयन करेंगे और जब तक बहुत ही विपरीत बात चयन समिति की संस्तुति में न हो, उनकी संस्तुति मानेंगे

(3) आवंटन प्रणाली का विकेन्द्रीकरण

आवंटन की वर्तमान व्यवस्था में जिलाधिकारी ही दूकानों का आवंटन करते हैं तथा वह ही आवंटी के साथ अनुबन्धपत्र में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अब वितरण व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने के लिए इस प्रणाली का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत देहाती क्षेत्रों में दुकानों के आवंटन का अधिकार परगना अधिकारी/एस0डी0एम0 को होगा। उनको वही अधिकार प्राप्त होंगे जो अब तक वर्तमान व्यवस्था में जिलाधिकारी को प्राप्त थे। जो नगर क्षेत्र सिटी, की परिभाषा में आते हैं वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट को इस सम्बन्ध में वही अधिकार प्राप्त होंगे।

इन अधिकारियों के आवंटन/निलम्बन/निरस्तीकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार मन्डलायुक्त के स्थान पर जिलाधिकारी को होगा।

(4) सस्ते गल्ले की दुकानों की स्क्रीनिंग

अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले स्क्रीनिंग के अतिरिक्त यह अधिकार तहसील स्तर की समिति को भी होगा। यह समिति यदि वर्तमान दुकानों में से किसी दुकान को अनुपयुक्त समझती है तो उसको रद्द करने के लिए परगना अधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट से कहेगी और तद्नुसार परगना अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट दुकान को रद्द करेंगे लेकिन इस समिति द्वारा आवंटित दुकानों का भविष्य में निरस्तीकरण शिकायत के आधार पर नियमानुसार परगना अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट ही करेंगे।

दुकान किस स्थान विशेष में हो इस सम्बन्ध में न्याय पंचायत स्तर की चयन एवं सतर्कता समिति उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हाट (बाजार) वाले स्थान आदि को दृष्टिगत करके जो निर्णय ले उसे सामान्यत: अनुमोदित किया जाएगा।

(5) राशन कार्डों का जारी किया जाना

प्रचलित व्यवस्था में उपभोक्ताओं को नया राशन कार्ड प्राप्त करने में काफी कठिनाई व विलम्ब होता था। अत: उपभोक्ताओं को तत्काल राहत दिए जाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि खाद्य अधिकारी के अधिकार का विकेन्द्रीकरण करते हुए समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को भी प्राधिकृत किया जाय कि वह यदि स्वयं संतुष्ट हो या दो स्थानीय राशन कार्ड धारकों द्वारा सत्यापित प्रार्थना-पत्र हो तो प्राप्ति होने के दिन ही 15 दिन के लिए अस्थायी रूप से राशन कार्ड जारी करें। 15 दिन की अवधि में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की आवश्यक जांच पड़ताल पर पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने के बाद इस राशन कार्ड को स्थायी रूप से जारी किया जाय।

(6) आबंटित कोटे का उठान एवं वितरण

वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ताओं एवं सुपरवाइजरों एवं जांच अधिकारियों को यह पता नहीं चल पाता है कि दुकानदार ने स्थानीय भारतीय खाद्य निगम या अन्य राज्य सरकार के गोदामों से चीनी या अन्य नियन्त्रित वस्तुयें कब उठायी। कोटा रिलीज कराने के लिए वर्तमान व्यवस्था में दुकानदार के लिए खंड विकास अधिकारी/तहसीलदार/पूर्ति निरीक्षक एवं जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालयों में दौड़ना पड़ता है जिससे समय एवं धन का अपव्यय होता है। इस कमी को दूर करने के लिए शासन ने यह निर्णय लिया है कि देहाती क्षेत्रों के दूकानदारों का विगत महीनों के आवंटन के आधार पर मासिक कोटा स्थायी रूप से निश्चित किया जायेगा तथा दुकानदार बिना किसी प्रमाण-पत्र के चीनी का उठान कर सकेंगे। जिला अधिकारी या परगना अधिकारी भारतीय खाद्य

निगम के स्थानीय अधिकारियों से विचार विमर्श के पश्चात् वे कोटे की उठान तिथि एवं पंचायत में उपभोक्ताओं के बीच वितरण की तिथियां निश्चित करेंगे । तत्पश्चात् सम्बन्धित अधिकारी चीनी आदि का स्टाक रजिस्टर में सत्यापन करेंगे कि वस्तुओं का वितरण नियमानुसार हुआ है कि नहीं।

नियन्त्रण को और भी प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय में गठित मोबाइल दस्तों को जिसमें उपक्षेत्रीय हाट अधिकारी/हाट निरीक्षक व लिपिक है, को भी दुकानों के आकस्मिक निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किया गया है । वह अपनी निरीक्षण आख्या परगना अधिकारी को देंगे ।

देहाती क्षेत्रों में उचित मूल्यों की दुकानों को लाभ पूर्ण बनाने के लिए अब देहाती क्षत्रों में 5,000 के स्थान पर 6,000 जन संख्या पर एक शाप खोली जायेगी। तथा शहरी क्षेत्रों में 3,000 के स्थान पर 4,000 से 4,500 यूनिट्स तक के बीच एक शाप स्थापित करने की व्यवस्था की जावेगी ।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

भवदीय,
खंजन लाल,
उप सचिव ।

संख्या 3185(1)/उन्तीस-एफ-6-10-57(20)/77

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) समस्त मन्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन 18, अशोक मार्ग, लखनऊ (20 प्रतियां) ।
(3) समस्त अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति), उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) खाद्य सचिव शाखा के ममस्त अधिकारी/अनुभाग।
(6) गोपन अनुभाग-1 को उनके अ0 शा0 प0 सं0 4/2/27/77-मी0 एक्स0(1), दिनांक 12 अगस्त, 1977 के सन्दर्भ में ।

आज्ञा से,
खंजन लाल
उप सचिव ।

निर्गमनार्थ प्राधिकृत,

(ह0) शिव मंगल राम त्रुमिया

अनुभाग अधिकारी,
खाद्य तथा रसद (विविध)-6,
सचिवालय, लखनऊ ।

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

सन् 1977 के तीसरे त्रैमास के लिए. फ्री सेल कोटे के अन्तर्गत सीमेन्ट का जिलेवार आबंटन

क्रम-संख्या	जिले का नाम	मात्रा (मीट्रिक टन)
1	2	3
1	देहरादून	5,150
2	सहारनपुर	10,150
3	मुजफ्फरनगर	10,200
4	मेरठ	9,000
5	गाजियाबाद	8,700
6	बुलन्दशहर	9,150
7	अलीगढ़	7,150
8	मथुरा	6,150
9	आगरा	12,000
10	मैनपुरी	4,150
11	एटा	4,650
12	बरेली	5,150
13	बिजनौर	5,150
14	बदायूं	5,150
15	मुरादाबाद	9,150
16	शाहजहांपुर	4,150
17	पीलीभीत	4,150
18	रामपुर	3,150
19	फर्रुखाबाद	6,150
20	इटावा	5,150
21	कानपुर	13,000
22	फतेहपुर	3,150
23	इलाहाबाद	12,000
24	बांदा	3,150
25	हमीरपुर	3,150
26	झांसी	5,150

1	2				3
27	जालौन	..	..	..	4,150
28	ललितपुर	..	..	..	3,000
29	वाराणसी	..	..	..	12,000
30	मिर्जापुर	..	..	..	4,150
31	जौनपुर	.	..	..	6,150
32	गाजीपुर	..	..	..	5,150
33	बलिया	..	..	..	5,000
34	गोरखपुर	..	..	..	9,200
35	देवरिया	..	..	..	7,150
36	बस्ती	..	..	..	7,150
37	आजमगढ़	..	..	..	8,150
38	नैनीताल	..	..	..	6,150
39	अल्मोड़ा	..	..	..	1,000
40	गढ़वाल	..	..	..	1,500
41	लखनऊ	..	..	..	12,000
42	उन्नाव	..	..	..	4,150
43	हरदोई	..	..	..	4,150
44	सीतापुर	..	..	..	3,650
45	रायबरेली	..	..	..	3,000
46	खीरी	..	..	..	5,150
47	फैजाबाद	..	..	..	5,150
48	गोन्डा	..	..	..	5,000
49	बहराइच	..	..	..	3,150
50	सुल्तानपुर	..	..	..	5,150
51	प्रतापगढ़	..	..	..	4,150
52	बाराबंकी	..	..	..	3,000
53	टिहरी गढ़वाल	..	..	..	500
54	चमोली	..	..	..	500
55	उत्तरकाशी	..	..	..	500
56	पिथौरागढ़	..	..	..	500
			योग ..	..	3,13,000

पी0एस0यू0पी0—एल0 257 वि0 सभा (614)—1977—8431